



सत्यमेव जयते



UPSC (IAS)

2027/28



COMPLETE JULY MONTH

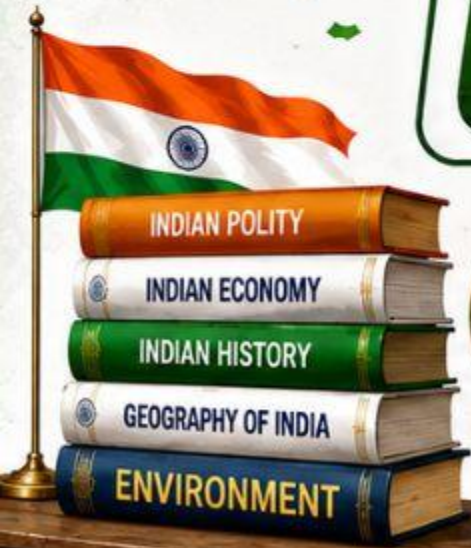
CURRENT AFFAIRS

15TH
AUGUST

HAPPY
INDEPENDENCE
DAY!

FOR
PRELIMS & MAINS

By- **Dr. Faiyaz Sir**



Happy INDEPENDENCE Day

15 AUGUST 2026





INDEX

01

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs)"

1. शिक्षा क्षेत्र के लिए गठित उच्च-स्तरीय कार्य बल और परीक्षा सुधार
2. सारनाथ: भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
3. सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर 'कर्तव्य भवन क्षेत्र' किया गया
4. मिज़ोरम संग्रहालय: भारत का 21वां 'नामित भंडार'
5. कर्नाटक में स्थापित होगा भारत का पहला सरकारी एआई (AI) विश्वविद्यालय
6. ऑपरेशन अमिस्ताद: भारत द्वारा वेनेजुएला को आपदा राहत सहायता
7. सरस शक्ति कलेक्शन और कॉफी टेबल बुक
8. SHE-LEAPS प्लेटफॉर्म
9. सरदार सरोवर विवाद पर ऐतिहासिक समझौता
10. कामराजर पोर्ट (एनौर): भारत का पहला कॉर्पोरेट प्रमुख बंदरगाह
11. संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट: ध्रुवीय राजदूत (Polar Ambassador) की सिफारिश
12. भारत की डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) का वैश्विक विस्तार
13. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तरी मैसेडोनिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण
14. भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभ्यारण्य
15. शब्दालोक: भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय
16. भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन
17. 'मानस और महाभारत' अंतरराष्ट्रीय सभ्यतागत अध्ययन केंद्र
18. AISHE रिपोर्ट 2023-24: उच्च शिक्षा नामांकन और मुख्य निष्कर्ष
19. हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026: जयपुर वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर
20. प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा और प्रम्बानन मंदिर जीर्णोद्धार
21. भारतीय थल सेना का 'ऑपरेशन जल राहत'
22. व्हाइट रैबिट आधारित भारतीय मानक समय नेटवर्क
23. मानव-वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र

02

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा (International Relations)

1. भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता
2. SHANTI (Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity)
3. 3rd भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेताओं का शिखर सम्मेलन
4. 16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन
5. भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora)
6. भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी (रोडमैप 2030)
7. भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
8. विश्व व्यापार संगठन का मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता
9. भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा (8th Trade Policy Review - TPR)
10. गुवाहाटी घोषणापत्र: ब्रिक्स देशों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नया तंत्र
11. UNSC 2028-29 की सदस्यता के लिए भारत का 'SHANTI विज़न'
12. अमेरिका-सऊदी अरब नागरिक परमाणु समझौता (123 समझौता)
13. भारत-जापान शिखर सम्मेलन 2026
14. वैश्विक गिग अर्थव्यवस्था और आईएलओ कन्वेंशन 193 (ILO Convention 193)
15. जिनेवा कन्वेंशन 1949 (Geneva Conventions)
16. ऑपरेशन सदरन रेडीनेस
17. रोम घोषणापत्र 2026

INDEX

03

राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance)

1. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025
2. भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार (The Right to Protest in India)
3. फास्ट-ट्रैक कोर्ट (FTCs): त्वरित न्याय की ओर कदम
4. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम
5. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
6. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों के लिए समान सेवानिवृत्ति पश्चात सुविधाएं
7. सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
8. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
9. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025: संयुक्त संसदीय समिति (JPC) रिपोर्ट
10. लद्दाख के लिए विशेष सुई जेनेरिस शासन मॉडल
11. भारतीय पासपोर्ट और नागरिकता: विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण
12. दिल्ली इंटरनेट शटडाउन और कानूनी स्थिति
13. नियम 176 बनाम नियम 267: संसदीय चर्चा के प्रावधान
14. पैदल चलने का अधिकार और अनुच्छेद 21
15. राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक

04

अर्थव्यवस्था (Economy)

1. 'एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा नीति ढाँचे' (UNEPF) का प्रस्ताव भारत में 'प्लास्टिक करेंसी' (पॉलीमर नोटों) का आगमन
2. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS)
3. भारत दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण देश
4. रुपये का अवमूल्यन (Rupee Undervaluation)
5. 8 कोर उद्योगों से बढ़कर 9 कोर उद्योग
6. सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Services Production)
7. विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax)
8. इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट
9. भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र
10. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति" (The State of Food Security and Nutrition in the World - SOFI) 2026
11. निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index – IFI)
12. भारत का जून 2026 व्यापार घाटा

INDEX

05

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

1. गगनयान मिशन: भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम
2. गगनयान मिशन: SOLVE रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण
3. भारत 6G गठबंधन (B6GA) और स्पेक्ट्रम रोडमैप
4. आयुर्वेद एवं योग का वैश्वीकरण: नीति आयोग की रिपोर्ट
5. चांदीपुरा वायरस (CHPV) का प्रकोप और केंद्र की प्रतिक्रिया
6. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) में हेक्सावैलेंट (6-in-1) वैक्सीन
7. प्रोजेक्ट कुशा: भारत का स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम (LR-SAM)
8. परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा से हाइड्रोजन उत्पादन: भारत की विश्व में पहली उपलब्धि
9. विक्रम-1 और भारत का अंतरिक्ष भविष्य
10. सुधार 3.0: AI लीपफ्रॉग के माध्यम से भारत की विकास दर
11. NIDAR 2.0: ड्रोन अनुसंधान और नवाचार चुनौती
12. I-2SEA सबमरीन केबल सिस्टम
13. भारत की स्वदेशी नेत्र प्रणाली AEW&C
14. संचालित युद्ध: भविष्य के युद्ध हेतु भारत की तैयारी और सामरिक तत्परता

06

पर्यावरण (Environment)

1. जलवायु 'टिपिंग पॉइंट्स'(Tipping Point)
2. बादल फटना (Cloudburst)
3. 3D-प्रिंटेड कृत्रिम चट्टान (3D-Printed Artificial Reef)
4. एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme - EBP)
5. पर्यावरण की हत्या (Ecocide)
6. सतत खनन और जल जोखिम
7. कीटनाशक प्रदूषण (Pesticide Pollution)
8. इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (Indian Grey Hornbill)
9. पूगा घाटी: भारत के भू-तापीय ऊर्जा युग का उदय
10. मानसबल झील (Manasbal Lake)
11. पल्लीकरनई मार्शलैंड (Pallikaranai Marshland)
12. डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (Debrigarh Wildlife Sanctuary)

INDEX

07

सरकारी योजना (Government Scheme)

1. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY)
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना विस्तार
3. EPFO एमनेस्टी योजना 2026
4. GST के नौ वर्ष- 'एक राष्ट्र, एक कर से 'विकसित भारत' की ओर
5. पीएम-यशस्वी (PM-YASASVI) योजना
6. भव्य रसायन योजना
7. सुमन रोडमैप 2030
8. 'संशोधित उड़ान' योजना को मंजूरी
9. मिशन गोल्डन स्पाइस' का शुभारंभ

08

महत्वपूर्ण नियुक्तियां (Important Appointments)

1. प्रल्हाद जोशी: भारत के नए शिक्षा मंत्री
2. रवि शंकर: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कार्यपालक निदेशक
3. अनुराग जैन: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
4. जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)
5. रवि अग्रवाल: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष
6. विश्वनाथन आनंद: अंतरिम अध्यक्ष - अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE)
7. एंडी बर्नहैम बने यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री
8. जनरल धीरज सेठ बने 31वें थल सेनाध्यक्ष
9. दिलीप अस्वे: वैश्विक शासी बोर्ड (Global Supervisory Board), SWIFT)
10. कीको फुजीमोरी: राष्ट्रपति, पेरू
11. सर गारफील्ड सोबर्स
12. दिग्गज रंगमंच निर्देशिका विजया मेहता का निधन
13. पंडवानी लोकगायिका तीजन बाई का निधन
14. दक्षिण भारत की स्वर कोकिला एस. जानकी का निधन
15. कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी
16. मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंड्रु मुंटेनु ने दिया इस्तीफा

INDEX

09

खेल (SPORTS)

1. 2026 फीफा पुरुष विश्व कप और स्पेन की ऐतिहासिक जीत
2. आईसीसी महिला टी-20 क्रिकेट विश्व कप 2026
3. 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026
4. विंबलडन चैंपियनशिप 2026: पुरुष एवं महिला एकल
5. 20वें एशियाई खेल (Asian Games) 2026
6. पहली एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026
7. राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (खेलो भारत नीति 2025)
8. पीवी सिंधु बनीं जापान ओपन 2026 जीतने वाली पहली भारतीय

11

जुलाई 2026: महत्वपूर्ण दिवस

10

पुरस्कार (Award)

1. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा
2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित
3. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित
4. खगोल भौतिकीविद् अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित 'COSPAR विक्रम साराभाई पदक 2026' से सम्मानित
5. ICMR-MINDS को ई-गवर्नेंस 2026 के लिए नेशनल अवार्ड्स में मिला गोल्ड अवार्ड
6. अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय टीम ने पांच स्वर्ण पदक जीते
7. भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में चार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास
8. भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में चार पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया
9. दूरसंचार विभाग की 'समृद्ध ग्राम' परियोजना को WSIS पुरस्कार 2026 में वैश्विक विजेता का खिताब
10. अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर 'बुखमैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार' हुआ
11. अमेरिकी फिल्म निर्माता जेम्स ग्रे को लोकानो फिल्म फेस्टिवल में 'ऑनररी करियर पाडों' पुरस्कार
12. प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर. वैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार
13. आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी को 'उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025'
14. सुनील भारती मित्तल को 2026 USISPF लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया

शिक्षा क्षेत्र के लिए गठित उच्च-स्तरीय कार्य बल और परीक्षा सुधार



चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय उच्च-स्तरीय कार्य बल (Task Force) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश की परीक्षा प्रणाली (NTA आदि) को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक-आधारित और लीक-मुक्त बनाना है।

मुख्य बिन्दु:

- नेतृत्व एवं संरचना: इस 6 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता नंदन नीलेकणि (इंफोसिस के सह-संस्थापक और UIDAI के पूर्व अध्यक्ष) कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में एस. सोमनाथ, तपन डेका, वी. कामाकोटी, अनीता करवाल और अमृत लाल मीना शामिल हैं।

- मुख्य उद्देश्य व अधिदेश: परीक्षा प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बायोमेट्रिक्स और मजबूत साइबर सुरक्षा का उपयोग करना तथा पेन-पेपर मोड से हटकर सुरक्षित कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ना।
- संस्थागत और विधायी कदम: एनटीए (NTA) में संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' के माध्यम से कड़े दंड और त्वरित न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।
- यह सुधार भारतीय शासन व्यवस्था में पारदर्शी लोक सेवाओं, संस्थागत उत्तरदायित्व और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के उपयोग को बढ़ावा देता है।

सारनाथ: भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल



चर्चा में क्यों?

- दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र (जुलाई 2026) के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।

प्रमुख विवरण:

ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व:

- धर्मचक्र प्रवर्तन: बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था।

- **संघ की स्थापना:** यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रथम पाँच शिष्यों को उपदेश देकर बौद्ध भिक्षु संघ का औपचारिक आरंभ तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया।
- **प्राचीन नाम:** ऋषिपत्तन, इशिपत्तन और मृगदाव (हिरण उद्यान)।

स्थल के प्रमुख घटक :

- **धमेख स्तूप:** विशाल बेलनाकार स्तूप जो बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्थान को चिह्नित करता है।
- **चौखंडी स्तूप:** ईंट निर्मित संरचना, जहाँ बुद्ध अपने प्रथम पाँच शिष्यों से मिले थे।

- **अशोक स्तंभ:** तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित बलुआ पत्थर का स्तंभ, जिसका 'सिंह शीर्ष' भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना।
- **धर्मराजिका स्तूप व मूलगंधकुटी विहार:** क्रमशः सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित स्तूप तथा बुद्ध के प्रथम वर्षावास का निवास स्थल।

यूनेस्को चयन मानदंड एवं वैश्विक स्थिति:

- इसे मानदंड (iii) [निरंतर आध्यात्मिक महत्त्व] तथा मानदंड (vi) [बुद्ध के जीवन, उपदेशों एवं त्रिरत्न से प्रत्यक्ष संबंध] के तहत शामिल किया गया।

- भारत 45 विश्व धरोहर स्थलों के साथ वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है।
- **चार प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल:** लुंबिनी (नेपाल), बोधगया (भारत), सारनाथ (भारत) और कुशीनगर (भारत)। इनमें से पहले तीन अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं।

सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर 'कर्तव्य
भवन क्षेत्र' किया गया



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने सीपीडब्ल्यूडी के स्थापना दिवस (12 जुलाई 2026) पर नई दिल्ली स्थित 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र' का आधिकारिक नाम बदलकर "कर्तव्य भवन क्षेत्र" करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- इस नए नामांकित क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा ज़ोन के भीतर स्थित सभी सरकारी भवन, कर्तव्य मार्ग तथा भविष्य में निर्मित होने वाली नई प्रशासनिक संरचनाएं शामिल होंगी।

- इनमें से निर्मित शुरुआती भवनों को 'कर्तव्य भवन' नाम दिया गया है, जो सितंबर 2026 तक पूर्ण रूप से कार्यात्मक होंगे।
- सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला भारत का केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र है, जिसका मूल डिज़ाइन ब्रिटिश काल में एडविन लुटियंस और हरबर्ट बेकर द्वारा तैयार किया गया था।

हाल ही में किए गए अन्य प्रमुख नाम परिवर्तन:

- राजपथ: सितंबर 2022 में इसका नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' किया गया।
- प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) परिसर: दिसंबर 2025 में इसका नया नाम 'सेवा तीर्थ' रखा गया।
- विभिन्न राज्यों के राजभवनों का नाम बदलकर 'लोक भवन' किया जा रहा है।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

मिज़ोरम संग्रहालय: भारत का 21वाँ
'नामित भंडार'



चर्चा में क्यों?

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की सिफारिश पर मिज़ोरम विश्वविद्यालय के 'प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय' को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के तहत भारत के 21वें नामित भंडार के रूप में अधिसूचित किया है।

नामित भंडार का कार्य व दायरा:

- धारा 39 (जैव विविधता अधिनियम, 2002): इसके तहत नामित संस्थान अभिगमित प्रमाणित जैविक प्रतिदर्शों का सुरक्षित दीर्घकालिक संरक्षण करते हैं।
- यह संग्रहालय इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के भीतर आइजोल में स्थित है (स्थापना वर्ष 2022)।
- संरक्षित नमूने: यह फर्न (टेरिडोफाइट्स), मैक्रोफंगी तथा सरीसृप, उभयचर, मीठे पानी की मछलियाँ, पतंगे, भृंग और तितलियों जैसे जीवों के प्रामाणिक वाउचर नमूनों का संग्रह करेगा।

वैज्ञानिक एवं शोध संबंधी महत्व:

- यह नई खोजी गई प्रजातियों के 'टाइप स्पेसिमेंस' के लिए एक आधिकारिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इससे प्रजातियों की वैज्ञानिक पहचान, खोज स्रोतों की प्रामाणिकता तथा ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित होगी।
- यह 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क' के तहत भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना (NBSAP)

2024-2030 के 'राष्ट्रीय लक्ष्य-4' की 5. अतिरिक्त

जानकारी:

- नामित भंडार (Designated Repository): ऐसा मान्यता प्राप्त संस्थान जहाँ वैज्ञानिक शोध या व्यावसायिक उपयोग के बाद जमा किए गए जैविक नमूनों को संदर्भ के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

कर्नाटक में स्थापित होगा भारत का पहला
सरकारी एआई (AI) विश्वविद्यालय



चर्चा में क्यों?

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में 'गूगल आई/ओ कनेक्ट इंडिया 2026' कार्यक्रम के दौरान देश के पहले सरकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विश्वविद्यालय और एक समर्पित एआई हब की स्थापना की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

विश्वविद्यालय की रूपरेखा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर:

- **मुख्य परिसर:** बेंगलुरु में 100 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय मुख्य परिसर का निर्माण किया जाएगा।

- क्षेत्रीय केंद्र: राज्य भर में शिक्षा के प्रसार हेतु कलबुर्गी, बेलगावी, हुबली-धारवाड़, मंगलुरु और मैसूरु में 5 क्षेत्रीय परिसर खोले जाएंगे।

एआई हब एवं स्कूली शिक्षा में समावेश:

- इनक्यूबेशन सेंटर: स्टार्टअप्स, टेक कंपनियों और शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) हेतु एक विशेष केंद्र बनाया जाएगा।

- स्कूली पाठ्यक्रम: राज्य के स्कूलों में कक्षा 6 से ही एआई (AI) की शिक्षा शुरू करने की रूपरेखा तैयार की गई है।
- कर्नाटक भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है। अकेले बेंगलुरु में 17,000 से अधिक स्टार्ट-अप और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) कार्यरत हैं।

ऑपरेशन अमिस्ताद: भारत द्वारा वेनेजुएला को आपदा राहत सहायता



चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने विनाशकारी भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता एवं आपदा राहत मिशन के रूप में 'ऑपरेशन अमिस्ताद' का आधिकारिक शुभारंभ किया है।

मुख्य बिंदु:

नामकरण एवं उद्देश्य:

- स्पैनिश शब्द "Amistad" का अर्थ "मित्रता" है, जो वेनेजुएला के लोगों के प्रति भारत की एकजुटता और सहयोग का प्रतीक है।
- इसका मुख्य उद्देश्य खोज व बचाव कार्य, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और मानवीय राहत प्रदान करना है।

मिशन के प्रमुख घटक:

- **परिवहन:** भारतीय वायु सेना (IAF) के दो C-17 ग्लोबमास्टर विमानों के माध्यम से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से त्वरित रणनीतिक एयरलिफ्ट सुनिश्चित की गई।
- **विशेषज्ञ टीम:** भारतीय सेना के 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की 41-सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सा टीम तैनात।

- राहत सामग्री: लगभग 35 टन राहत सामग्री (30 टन राहत सामग्री व शेल्टर + 6 टन दवाएं एवं विशेष चिकित्सा उपकरण)।

चिकित्सा सहायता एवं तकनीकी नवाचार:

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित एवं पोर्टेबल ट्रॉमा केयर प्रदान करने के लिए भारत की 'आरोग्य मैत्री' पहल के तहत विकसित दो भीष्म (BHISHM) क्यूब पोर्टेबल फील्ड अस्पताल भेजे गए।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

सरस शक्ति कलेक्शन और कॉफी टेबल बुक



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2026 में आयोजित 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026' के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत 'सरस शक्ति कलेक्शन' और 'सरस शक्ति कॉफी टेबल बुक' का अनावरण किया गया है।

'सरस शक्ति के बारे में:

- **लॉन्चकर्ता:** केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- **संबंधित मिशन:** दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)।
- **मुख्य उद्देश्य:** ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा संचालित उद्यमों, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराना।

- **प्रमुख उत्पाद:** इसमें डोकरा शिल्प, पारंपरिक वस्त्र, होम डेकोर, वेलनेस उत्पाद और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया गया है।
- **कॉफी टेबल बुक:** यह पुस्तक भारत भर के महिला स्वयं सहायता समूहों की विविधता, गुणवत्ता और उनके व्यावसायिक सफर का दस्तावेजीकरण करती है।
- इस मिशन के तहत वर्तमान में देश भर में 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं (लखपति दीदियों) के आर्थिक सशक्तीकरण को मजबूत करती है और वर्ष 2029 तक 6 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने के लक्ष्य में योगदान देती है।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

SHE-LEAPS प्लेटफॉर्म



चर्चा में क्यों?

- नई दिल्ली में आयोजित 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन' के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को ट्रैक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए SHE-LEAPS (समृद्धि और स्थिरता के लिये स्वयं-सहायता उद्यमी-आजीविका और उद्यम एप्लीकेशन) डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

SHE-LEAPS क्या है?

- **पूरा नाम:** Self-Help Entrepreneur-Livelihoods and Enterprise Application for Prosperity and Sustainability (SHE-LEAPS)।
- **विकासकर्ता:** इसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) द्वारा विकसित किया गया है तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत 'LoKOS' प्लेटफॉर्म पर कार्यान्वित किया गया है।
- **पहुंच:** यह प्लेटफॉर्म राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से देश के 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।

- **मुख्य उद्देश्य:** ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों का वास्तविक समय डेटा कैप्चर करना, उनकी आय वृद्धि की निगरानी करना और उन्हें औपचारिक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना।
- **लखपति दीदी मिशन:** यह प्लेटफॉर्म 6 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने के विस्तारित सरकारी लक्ष्य को प्राप्त करने में डेटा-संचालित सहायता प्रदान करता है।

सरदार सरोवर विवाद पर ऐतिहासिक समझौता



चर्चा में क्यों?

- सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ने नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित दशकों पुराने वित्तीय व लागत-साझाकरण विवादों को सुलझाने के लिए एकमुश्त निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवाद एवं समाधान की रूपरेखा:

- **विवाद का कारण:** सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं की निर्माण लागत, संचालन व रखरखाव व्यय, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन खर्च तथा ऋण ब्याज से जुड़े वित्तीय मतभेद।
- **गुजरात की भूमिका:** निपटान को सुगम बनाने के लिए गुजरात परियोजना लागत में अपना हिस्सा 50% से बढ़ाकर 75% करने पर सहमत हुआ, जिससे मध्य प्रदेश पर वित्तीय बोझ कम हुआ।

सरदार सरोवर परियोजना के बारे में:

- **स्थान:** केवडिया/नवगाम (गुजरात) में नर्मदा नदी पर निर्मित टर्मिनल ग्रेविटी डैम (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट)।
- **लाभार्थी राज्य:** चार राज्य — गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।
- **परिकल्पना व नींव:** विचार 1946 में सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा प्रस्तुत; आधारशिला 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई।

नर्मदा जल विवाद अधिकरण व प्राधिकरण:

- **नर्मदा जल विवाद अधिकरण:** अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत 1969 में गठित; 1979 में जल व ऊर्जा-साझाकरण पर अंतिम निर्णय दिया।
- **नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण:** NWDT के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु 1980 में स्थापित।

नर्मदा नदी संबंधित प्रमुख तथ्य:

- **उद्गम:** अमरकंटक पठार (मध्य प्रदेश)।
- **विस्तार व मुहाना:** 1,312 किमी बहकर खंभात की खाड़ी (अरब सागर) में गिरती है। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी पश्चिम-प्रवाही प्रायद्वीपीय नदी है।

कामराजर पोर्ट (एनौर): भारत का पहला कॉर्पोरेट प्रमुख बंदरगाह



चर्चा में क्यों?

- कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने अपने 'कैपिटल ड्रेजिंग चरण VI' प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे यह विशाखापत्तनम के बाद 18 मीटर की परिचालन ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है।

कामराजर पोर्ट के बारे में:

- नामकरण: पूर्व में 'एनौर पोर्ट लिमिटेड' के नाम से प्रसिद्ध इस बंदरगाह का नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी के. कामराज के सम्मान में बदला गया था।

- **स्थान:** तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर, चेन्नई बंदरगाह से लगभग 24 किमी उत्तर में स्थित है।
- **प्रकृति:** यह एक कृत्रिम गहरे पानी का बंदरगाह है, जो दो विशाल ब्रेकवाटर द्वारा संरक्षित है।
- **घोषणा व निगमन:** मार्च 1999 में भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह घोषित; अक्टूबर 1999 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित।
- **लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल:** यह भारत का एकमात्र कॉर्पोरेटेड प्रमुख बंदरगाह है, जहाँ बुनियादी ढाँचे का स्वामित्व प्राधिकरण के पास रहता है और टर्मिनल संचालन निजी संस्थाओं (PPP आधार पर) को सौंपा जाता है।

संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट: ध्रुवीय
राजदूत (Polar Ambassador) की सिफारिश



चर्चा में क्यों?

- संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति (अध्यक्ष: शशि थरूर) ने हाल ही में "भारत की भूमिका और आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों में उपस्थिति" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की है, जिसमें भारत सरकार से एक समर्पित 'पोलर एंबेसडर' (ध्रुवीय राजदूत) नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

मुख्य सिफारिशें :

- **ध्रुवीय राजदूत की नियुक्ति:** जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और सिंगापुर जैसे देशों की तर्ज पर भारत को भी ध्रुवीय मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त करना चाहिए, जिससे वैश्विक दक्षिण की भूमिका मजबूत हो और कूटनीतिक प्रयास प्रभावी हों।
- **आर्कटिक काउंसिल की पूर्ण सदस्यता:** वर्तमान में आर्कटिक काउंसिल में 'प्रेक्षक' (Observer) देश के रूप में शामिल भारत को इसकी पूर्ण सदस्यता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।

- **रणनीतिक एवं भू-राजनीतिक विस्तार:** भारत की ध्रुवीय नीति को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित न रखकर इसे भू-राजनीति, रणनीतिक हितों और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज तक विस्तारित किया जाना चाहिए।
- **रूस के साथ सहयोग:** यूक्रेन संकट के बावजूद रूस के साथ आर्कटिक वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग बनाए रखने और रूसी अनुसंधान स्टेशनों तक पहुँच तलाशने पर विशेष जोर दिया गया है।

ध्रुवीय क्षेत्रों का महत्व और भारत की गतिविधियाँ:

- **जलवायु और मानसून पर प्रभाव:** ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाले जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव भारत के 11,000 किमी लंबे तटीय क्षेत्रों, द्वीपों और भारतीय मानसून पर पड़ता है।

भारत के मौजूदा अनुसंधान स्टेशन (अंटार्कटिका):

- **मैत्री स्टेशन:** 1989 से सक्रिय (शिरमाचर ओएसिस में स्थित)।
- **भारती स्टेशन:** 2012 में स्थापित (प्रिंसेस एलिजाबेथ लैंड)।
- समिति ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ाने के लिए 'मैत्री' स्टेशन के त्वरित पुनर्निर्माण की भी सिफारिश की है।

भारत की डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) का वैश्विक विस्तार



चर्चा में क्यों?

- भारत की डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) वैश्विक स्तर पर डिजिटल शासन, वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक सेवा वितरण का एक प्रमुख मॉडल बन गई है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण मील के पथर के रूप में, 24 देशों ने 'इंडिया स्टैक' के घटकों को अपनाने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है।

महत्वपूर्ण विवरण एवं तथ्य:

- साझेदार देश: कुल 24 देश भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना रहे हैं।
- मुख्य प्लेटफॉर्म: यूपीआई (UPI), डिजिलालकर, ई-केवाईसी, ई-साइन और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क।

वैश्विक क्रियान्वयन:

- केन्य और क्यूबा ने डिजिलॉकर का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।
- कई देश यूपीआई-आधारित भुगतान प्रणालियों को एकीकृत कर रहे हैं।
- आगामी चर्चा में शामिल देश: लाओस, सेशेल्स, वेनेजुएला, आर्मेनिया, फिजी, गुयाना और कोलंबिया (जो ई-संजीवनी, ई-ऑफिस और ई-हॉस्पिटल जैसे गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं)।

यूपीआई मर्चेन्ट भुगतान की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति:

- भारत का यूपीआई (Unified Payments Interface) पारिस्थितिकी तंत्र देश की सीमाओं से बाहर तेजी से फैला है। वर्तमान में यूपीआई मर्चेन्ट भुगतान निम्नलिखित 10 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है:
- भूटान
- फ्रांस
- मॉरीशस
- नेपाल
- कतर
- सिंगापुर
- श्रीलंका
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- कंबोडिया (तथा अन्य विस्तारित बाजार)

'इंडिया स्टैक' के प्रमुख घटक और उनके कार्य:

- Aadhaar Redacted : डिजिटल पहचान मंच।
- यूपीआई (UPI): नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित त्वरित वास्तविक समय डिजिटल भुगतान प्रणाली (लॉन्च: 2016)।
- डिजिलॉकर (DigiLocker): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सुरक्षित क्लाउड-आधारित डिजिटल दस्तावेज़ भंडारण मंच (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि के लिए)।
- अन्य घटक: ई-केवाईसी (पहचान सत्यापन), ई-साइन (इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर), और अकाउंट एग्रीगेटर (वित्तीय डेटा का सुरक्षित साझाकरण)।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तरी मैसेडोनिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण



चर्चा में क्यों?

- भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में 'म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप्जे' में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है।

महत्वपूर्ण विवरण:

- दिनांक: 22 जुलाई 2026
- स्थान: म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप्जे, उत्तरी मैसेडोनिया।

- **उपस्थित गणमान्य व्यक्ति:** भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिनोव्स्का-डावकोवा ।
- **द्विपक्षीय घोषणा:** भारत ने उत्तरी मैसेडोनिया के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) स्लॉट को दोगुना करने की घोषणा की है।
- **सांस्कृतिक जुड़ाव:** दोनों नेताओं ने स्कोप्ये में मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस का भी दौरा किया (मदर टेरेसा का जन्म 1910 में इसी शहर में हुआ था)।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभ्यारण्य



चर्चा में क्यों?

- महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच स्थित ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में भारत के पहले एआई-संचालित पक्षी अभ्यारण्य और ₹45 करोड़ की लागत वाले 'इको-नेचर पार्क' को मंजूरी दी है। यह वन्यजीव संरक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
- **स्थान:** ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, महाराष्ट्र (यह पूर्वी तटीय क्षेत्र और 'सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है)।

- **परियोजना लागत:** ₹45 करोड़।
- **प्रमुख आकर्षण:** देश का पहला एआई-आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र, जो अभ्यारण्य के 1.5 किमी क्षेत्र में प्रभावी होगा।
- **पारिस्थितिक महत्व:** यह अभ्यारण्य ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो के अलावा विभिन्न प्रवासी और स्थानीय पक्षियों (जैसे हेरॉन, एग्रेट, किंगफिशर, वाडर और वाटरफॉल) का प्रमुख प्राकृतिक आवास है।

एआई निगरानी प्रणाली की कार्यप्रणाली:

- पूरे क्षेत्र में एआई-सक्षम कैमरों की तैनाती।
- पक्षी प्रजातियों और उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों की स्वचालित पहचान।
- प्रवासी पक्षियों के आवागमन का निरंतर डेटा संकलन व भविष्य के अनुसंधान में सहायता।
- पर्यटकों के लिए प्रजातियों की वास्तविक समय (real-time) जानकारी हेतु इंटरैक्टिव डिस्प्ले।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

शब्दालोक: भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी कैंपस (बेलवेडियर हाउस) में भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय 'शब्दालोक' का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय भारत की समृद्ध भाषाई विविधता और बहुसांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित करता है।
- **उद्घाटन तिथि:** 19 जुलाई 2026
- **स्थान:** बेलवेडियर हाउस, नेशनल लाइब्रेरी कैंपस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
- **विकासकर्ता:** संस्कृति मंत्रालय के अधीन 'भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय'।

- **भाषाई दायरा:** इसमें संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं के साथ-साथ (2011 की जनगणना की 121 भाषाओं सहित) कुल लगभग 380 भाषाओं को शामिल किया गया है।
- **प्रवेश शुल्क:** संस्कृति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, 15 अगस्त 2026 तक जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क है (समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक, सोमवार अवकाश)।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएँ और संरचना:

- **गैलरी की संख्या:** इसमें कुल 9 अत्याधुनिक गैलरियां हैं, जो भारतीय लिपियों के ऐतिहासिक विकास, मौखिक परंपराओं, प्राचीन पांडुलिपियों और आधुनिक डिजिटल पाठ को दर्शाती हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** पारंपरिक और स्थिर प्रदर्शनों के विपरीत, यह संग्रहालय AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), AR (संवर्धित वास्तविकता), VR (आभासी वास्तविकता), होलोग्राम, टचस्क्रीन, जेस्चर रिकग्निशन और मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन का उपयोग करता है।

भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन



चर्चा में क्यों?

- भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन के संचालन की तैयारी पूरी कर ली है। स्वदेशी तकनीक से विकसित यह ट्रेन हरियाणा के जींद में स्थित हाइड्रोजन इकोसिस्टम की मदद से संचालित होगी, जो पर्यावरण अनुकूल और हरित ऊर्जा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

परिचालन मार्ग एवं स्टेशन संरचना

- संचालन मार्ग: यह ट्रेन उत्तर रेलवे के अंतर्गत जींद से सोनीपत (89 किमी खंड) के मध्य चलाई जाएगी।

- **प्रमुख स्टेशन:** इस रूट पर जींद जंक्शन, जींद सिटी, पाण्डु पिंडारा जंक्शन, गोहाना जंक्शन, भाम्भेवा, बुटाना, मोहाना, सोनीपत और सोनीपत न्यू स्टेशन शामिल हैं।
- **ट्रेन की संरचना:** इस ट्रेन में कुल 10 कारें हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन पावर कारें और 8 ट्रेलर कारें शामिल हैं। इसकी यात्री क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों की है।

कार्यप्रणाली एवं तकनीकी विनिर्देश

- **ऊर्जा उत्पादन:** यह ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजन या ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों के स्थान पर ऑनबोर्ड हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती है। इसमें लगी PEM (प्रोटॉन एक्सचेंज मेंब्रेन) फ्यूल सेल यूनिट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया से बिजली पैदा करती है।
- **समीकरण:** हाइड्रोजन + ऑक्सीजन $\rightarrow$ बिजली + भाप + ऊष्मा (इसका मुख्य उप-उत्पाद केवल जल वाष्प होता है)।

गति और शक्ति:

- संचालन गति: 75 किमी/घंटा (अधिकतम डिजाइन स्पीड: 110 किमी/घंटा)।
- कुल ऊर्जा उत्पादन: 2,400 किलोवाट (प्रत्येक पावर कार में 1,200 kW)।

हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग बुनियादी ढाँचा (जींद, हरियाणा)

- हरियाणा के जींद में देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग केंद्र स्थापित किया गया है।
- यहाँ पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, जिसे लगभग 500 बार के दबाव में संपीड़ित करके संग्रहित किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 3,000 किग्रा है।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

'मानस और महाभारत' अंतरराष्ट्रीय सभ्यतागत अध्ययन केंद्र



चर्चा में क्यों?

- भारत और किर्गिस्तान ने जुलाई 2026 में बिश्केक में 'मानस और महाभारत' अंतरराष्ट्रीय सभ्यतागत अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के महान महाकाव्यों की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत पर तुलनात्मक शोध को बढ़ावा देना है।

अध्ययन केंद्र के प्रमुख बिंदु

- उद्घाटन स्थल: बिश्केक, किर्गिस्तान।
- संस्थागत सहयोग: इसे नई दिल्ली स्थित 'सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस' और किर्गिस्तान की 'मानस नेशनल अकादमी' द्वारा स्थापित किया गया है। साथ ही, इसके तहत किर्गिस्तान के 7 प्रमुख विश्वविद्यालयों (जैसे- KNU, BSU, AUCA) के बीच त्रिपक्षीय समझौते हुए हैं।

- **मुख्य उद्देश्य:** भारत के महाकाव्य 'महाभारत' और किर्गिस्तान के राष्ट्रीय महाकाव्य 'मानस' का तुलनात्मक व अंतःविषयी अध्ययन करना तथा सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना।
- **विशेष आकर्षण:** उद्घाटन समारोह के दौरान किर्गिज़ महाकाव्य 'मानस' (जिसके तीन प्रमुख भाग- मानस, सेमेतेई और सेइतेईक हैं) के पहले हिंदी अनुवाद का विमोचन किया गया, जिसे प्रोफेसर हेम चंद्र पांडे और प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी द्वारा तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

AISHE रिपोर्ट 2023-24: उच्च शिक्षा नामांकन और मुख्य निष्कर्ष



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट 2022-23 और 2023-24 के अनुसार, देश में कुल उच्च शिक्षा नामांकन पहली बार बढ़कर 4.5 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

AISHE रिपोर्ट 2023-24 के प्रमुख बिंदु

- सकल नामांकन अनुपात (GER): वर्ष 2023-24 में 18-23 आयु वर्ग के लिए GER बढ़कर 30 हो गया है, जो 2014-15 में 23.7 था।

- **महिला भागीदारी:** उच्च शिक्षा में कुल महिला नामांकन 2.24 करोड़ हो गया है, जिसमें महिला GER 31.2 (राष्ट्रीय औसत से अधिक) दर्ज किया गया है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) 1.08 है।

हाशिए के समुदायों का नामांकन (2014-15 की तुलना में वृद्धि):

- **अनुसूचित जाति (SC):** नामांकन बढ़कर 69.72 लाख (GER: 27.8) हो गया है।
- **अनुसूचित जनजाति (ST):** नामांकन बढ़कर 28.83 लाख (GER: 22.8) हो गया है।
- **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC):** नामांकन बढ़कर 1.80 करोड़ हो गया है।

- **एसटीईएम (STEM) शिक्षा:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में कुल नामांकन पहली बार 1 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 1.02 करोड़ हो गया है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 44% है।
- **संकाय शक्ति (Faculty Strength):** वर्ष 2023-24 में कुल शिक्षकों की संख्या 17.32 लाख हो गई है, जिसमें 7.78 लाख महिला शिक्षक शामिल हैं।

हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026: जयपुर वैश्विक स्तर पर छठे
स्थान पर



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जारी 'हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026' की वैश्विक सूची में राजस्थान की राजधानी जयपुर ने छठा स्थान हासिल किया है। इस प्रतिष्ठित सूची के टॉप-10 में शामिल होने वाला जयपुर भारत का एकमात्र शहर है।

हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के प्रमुख बिंदु

- वैश्विक रैंकिंग: इस सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम का लंदन शहर पहले स्थान पर है, जबकि भारत का जयपुर छठे स्थान पर है।

- **सर्वेक्षण का आधार:** यह सूचकांक जीवन की गुणवत्ता, सुशासन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, गतिशीलता (mobility), अर्थव्यवस्था, समृद्ध संस्कृति और नागरिकों की समग्र भलाई (well-being) के आधार पर तैयार किया जाता है।
- **जयपुर की सफलता के कारण:** पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे का बेहतरीन तालमेल, ऐतिहासिक विरासत, मजबूत सामुदायिक भावना, पर्यटन विकास और बेहतर नागरिक सुविधाएं।

प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा और प्रम्बानन मंदिर जीर्णोद्धार



चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नेतृत्व में मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ किया।

प्रम्बानन मंदिर के बारे में

- **स्थान और निर्माण:** यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में संजय राजवंश द्वारा कराया गया था।

- **समर्पण:** यह मंदिर हिंदू धर्म के मुख्य देवता त्रिमुर्ती (भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा) को समर्पित है। इसमें सबसे बड़ा और मुख्य मंदिर भगवान शिव का है, जो लगभग 47 मीटर ऊंचा है।
- **यूनेस्को मान्यता:** इसकी उत्कृष्ट वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए वर्ष 1991 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) घोषित किया गया था।
- **संरक्षण परियोजना:** इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की 2025 की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य करेगा।

भारतीय थल सेना का 'ऑपरेशन जल राहत'



चर्चा में क्यों?

- भारतीय थल सेना ने पूर्वी असम में गंभीर बाढ़ से निपटने और नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए 'ऑपरेशन जल राहत' नामक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है।

ऑपरेशन जल राहत के प्रमुख बिंदु

- संचालनकर्ता: भारतीय थल सेना और असम राइफल्स।
- प्रभावित क्षेत्र: ऊपरी असम के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिले जैसे- शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट।

- **सहयोगी एजेंसियां:** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA)।
- **मुख्य उद्देश्य:** जलमग्न क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित निकालना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना तथा रसद ड्रोन और हेलिकॉप्टरों की मदद से आवश्यक राहत सामग्री पहुँचाना।

राष्ट्रीय घटनाक्रम "(National Current Affairs")

व्हाइट रैबिट आधारित भारतीय मानक समय नेटवर्क



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 16 जुलाई 2026 को बेंगलुरु (कर्नाटक) के जक्कूर स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला में 'व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी' पर आधारित भारतीय मानक समय (IST) वितरण प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किया है।

प्रमुख बिंदु

- उद्देश्य: 'एक राष्ट्र, एक समय' दृष्टिकोण के तहत देश की समय संप्रभुता को मजबूत करना और विदेशी समय स्रोतों पर निर्भरता समाप्त करना।

- **विकासकर्ता:** यह प्रणाली उपभोक्ता मामले विभाग, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (CSIR-NPL) और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है।
- **व्हाइट रैबिट तकनीक:** यह एक उन्नत प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से नैनोसेकंड स्तर तक की अत्यधिक सटीक समय सिंक्रनाइजेशन प्रदान करती है। मूल रूप से इसे CERN द्वारा विकसित किया गया था।
- **उपयोग:** बैंकिंग, वित्तीय बाजार, दूरसंचार (5G/6G), पावर ग्रिड, रक्षा और डिजिटल शासन जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में।

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 10 जुलाई 2026 को कोयंबटूर (तमिलनाडु) स्थित WII-SACON परिसर में देश के पहले मानव-वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है।

उत्कृष्टता केंद्र के प्रमुख बिंदु

- घोषणा और पृष्ठभूमि: इस केंद्र को स्थापित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान की गई थी।

- **संस्थागत सहयोग:** इसकी स्थापना भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (SACON) के सहयोग से की गई है।
- **मुख्य पहल:** उद्घाटन अवसर पर डेटा प्रबंधन और निर्णय-सहायता के लिए एक 'राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष पोर्टल' तथा 'Current Status of Human-Wildlife Conflict in India: An Overview' नामक पहली प्रकाशन श्रृंखला भी जारी की गई।
- **प्रमुख उद्देश्य:** वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन रणनीतियां तैयार करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना तथा स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण करना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा (International Relations)

भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता



चर्चा में क्यों?

- भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA), अपने सहयोगी सामाजिक सुरक्षा समझौते जिसे 'डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन' (DCC) के रूप में जाना जाता है, के साथ औपचारिक रूप से 15 जुलाई 2026 को लागू हो गया है।
- डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC) भारत और यूके के बीच हुआ एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा समझौता है, जो अल्पकालिक काम के लिए दोनों देशों के बीच आने-जाने वाले पेशेवरों (जैसे IT इंजीनियर्स) को दोहरे टैक्स के नुकसान से बचाता है।

मुख्य बिंदु

बाजार पहुंच

- **यूके द्वारा छूट:** यूके ने भारत के 99% निर्यात पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान की है, जो दोनों देशों के बीच होने वाले लगभग 100% व्यापार मूल्य को कवर करता है।
- **भारत की प्रतिबद्धता:** भारत ने अपने 89.5% टैरिफ लाइनों पर छूट दी है (यूके निर्यात का 91% हिस्सा)। 24.5% वस्तुओं को तत्काल शुल्क-मुक्त पहुंच दी गई है, जबकि बाकी पर धीरे-धीरे शुल्क कम किया जाएगा।

संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा

- भारत ने अपने डेयरी, कृषि, श्री अन्न (मोटे अनाज), सेब, खाद्य तेल और सोने जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को आयात शुल्क छूट से पूरी तरह बाहर रखा है।
- **मेक इन इंडिया व PLI:** रणनीतिक उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए शुल्क में कटौती को 5, 7 और 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

ऑटोमोबाइल एवं स्टील

- **ऑटोमोबाइल:** भारत ने कोटा-आधारित और चरणबद्ध तरीके से बाजार खोला है। सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) पर आयात छूट 6वें वर्ष से शुरू होगी ताकि घरेलू निर्माताओं को समय मिल सके।
- **स्टील:** यूके के भावी स्टील व्यापार नियमों से भारतीय निर्यातकों के व्यावसायिक हितों की सुरक्षा हेतु आम सहमति बनी है।

सेवा क्षेत्र एवं पेशेवर गतिशीलता

- **सेवाओं का विस्तार:** यूके ने अपने सभी 12 प्रमुख सेवा क्षेत्रों और 137 उप-क्षेत्रों को खोला है, जिससे भारतीय IT, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और इंजीनियरिंग पेशेवरों को बड़ा अवसर मिलेगा।
- **नियमों में छूट:** पेशेवरों की अस्थायी आवाजाही के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। बिना किसी छिपे हुए कोटा या इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट (ENT) के आवाजाही आसान होगी।

वर्तमान में भारत-यूके द्विपक्षीय व्यापार:

- **आर्थिक आकार (2025):** भारत की GDP \$3.96 ट्रिलियन तथा यूके की GDP \$3.84 ट्रिलियन तक पहुँची।
- **वस्तु व्यापार (2025-26):** कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार \$25.12 बिलियन रहा।
- **भारत का निर्यात:** \$13.44 बिलियन
- **भारत का आयात:** \$11.68 बिलियन
- **व्यापार संतुलन:** भारत के पक्ष में \$1.76 बिलियन का अधिशेष (Trade Surplus)।
- **सेवा व्यापार (2024):** कुल द्विपक्षीय सेवा व्यापार \$35.44 बिलियन रहा।

- भारत का निर्यात: \$21.66 बिलियन
- भारत का आयात: \$13.78 बिलियन
- सेवा व्यापार संतुलन: भारत के पक्ष में \$7.88 बिलियन का अधिशेष।

द्विपक्षीय निवेश:

- यूके का भारत में निवेश: \$35 बिलियन (सितंबर 2024 तक) — भारत में 6ठा सबसे बड़ा निवेशक।
- भारत का यूके में निवेश: \$19 बिलियन (मार्च 2024 तक)।
- रोजगार सृजन: यूके में 971 से अधिक भारतीय कंपनियाँ सक्रिय हैं, जो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा (International Relations)

SHANTI (Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity)



चर्चा में क्यों?

- UNSC (2028-29) के लिए भारत की हालिया उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही, विदेश मंत्रालय ने SAGAR और MAHASAGAR के बाद भारत के समुद्री दृष्टिकोण के अगले चरण के रूप में SHANTI की अवधारणा पेश की है।

SHANTI (2026):

- **उद्देश्य:** बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों (जैसे- जलवायु आपदाएं, अवैध मत्स्य पालन, समुद्री प्रदूषण और साइबर खतरों) से निपटने के लिए एक नियम-आधारित और पारदर्शी व्यवस्था बनाना।

तीन मुख्य स्तंभ:

- **Norms (मानक):** अंतरराष्ट्रीय कानूनों और समुद्री नियमों का पालन करना ।
- **Trust (विश्वास):** देशों के बीच विश्वास बढ़ाना और सूचना साझा करना ।
- **Integrity (अखंडता):** समावेशी और नियम-आधारित समुद्री शासन ।

बंगाल की खाड़ी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?

- **सामरिक केंद्र :** आर्थिक, भू-राजनीतिक और सुरक्षात्मक महत्व के कारण बंगाल की खाड़ी भारत के समुद्री दृष्टिकोण के सामरिक केंद्र के रूप में उभरी है।
- **गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ:** जलवायु प्रेरित आपदाएँ, अवैध मत्स्य पालन, साइबर जोखिम, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और समुद्री प्रदूषण जैसी विस्तार लेती गैर-पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए पारंपरिक सैन्य-केंद्रित रणनीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं।

- **सहयोगी समुद्री शासन:** भारत ने सहकारी समुद्री शासन को बढ़ावा देने के लिए SHANTI के मानक ढांचे का प्रस्ताव रखा है।

भारत के समुद्री दृष्टिकोण का विकास

- **SAGAR (Security and Growth for All in the Region), 2015:** इसने हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच समावेशी समुद्री विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) तथा क्षमता निर्माण पर जोर दिया।

- **MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth throughout Regions), 2025:** इसने परस्पर जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार करते हुए, पूरे इंडो-पैसिफिक और ग्लोबल साउथ में सहयोग बढ़ाकर तथा व्यापक समुद्री गठबंधनों को बढ़ावा देकर भारत के दृष्टिकोण का विस्तार किया।
- **SHANTI (2026):** इसे लागू करने में बिम्सटेक (BIMSTEC) संगठन सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगा।

SHANTI की आवश्यकता क्यों है?

- बंगाल की खाड़ी में कई ऐसी साझा चिंताएं हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं:
- प्राकृतिक आपदाएँ और चक्रवातों की बारंबारता।
- तटीय क्षरण (Coastal Erosion) और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि।
- अवैध, असूचित और अनियंत्रित (IUU) मत्स्य पालन।
- समुद्री प्रदूषण।
- समुद्र के नीचे बिछे संचार केबलों (Undersea Cables) की सुरक्षा।
- बंदरगाहों को प्रभावित करने वाली साइबर संवेदनशीलता।
- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान।

बिम्सटेक के बारे में

- **पूरा नाम :** बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन (BIMSTEC - Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)
- **स्थापना:** 6 जून 1997 (बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से)।
- **मुख्यालय (सचिवालय):** ढाका, बांग्लादेश।

- **सचिवालय का नेतृत्व:** महासचिव । वर्तमान में तेंजिन लेकफेल (भूटान क्षेत्र से) के बाद इंद्र मणि पांडे (भारत) इसके महासचिव हैं।
- **सदस्य देश (7):** भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड।
- **मुख्य उद्देश्य:** बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में त्वरित आर्थिक विकास, व्यापार, तकनीकी सहयोग, कनेक्टिविटी और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा (International Relations)

3rd भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेताओं का शिखर सम्मेलन



चर्चा में क्यों

- जुलाई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री ने 3वें भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया।

मुख्य बिन्दु:

रक्षा और समुद्री सुरक्षा

- रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा: यह 2009 के मौजूदा ढांचे का नवीनीकरण करता है। यह मुख्य रूप से इंटरऑपरेबिलिटी, साइबर सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित है।

- **समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप:** इसे समुद्री क्षेत्र में सूचना साझाकरण और परिचालन समन्वय बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया।

ऊर्जा सुरक्षा और असैन्य परमाणु संबंध

- **यूरेनियम की आपूर्ति:** वर्ष 2014 के भारत-ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु समझौते के प्रशासनिक प्रबंधों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इससे भारत की असैन्य परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम की निरंतर आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है।
- **रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी:** इसकी स्थापना पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय, गांधीनगर में की गई है।

प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार

- साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन के लिए ऑस्ट्रेलिया-इंडिया पार्टनरशिप: यह डिजिटल लचीलेपन और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए 2020 के ढांचे का विस्तार है।
- त्रिपक्षीय समझौता: उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **Australian Super निवेश:** ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सुपरएनुएशन फंड ने भारत के राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (NIIF) में 500 मिलियन AUD के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की।

शिक्षा, अंतरिक्ष और संस्कृति

- **फिलंडर्स यूनिवर्सिटी:** बेंगलुरु में परिसर स्थापित करेगी।
- **विक्टोरिया यूनिवर्सिटी :** गुरुग्राम में परिसर स्थापित करेगी।
- **TKDL एक्सेस:** ऑस्ट्रेलिया की पेटेंट संस्था को भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच दी गई है, ताकि भारतीय प्रणालियों (जैसे आयुर्वेद) के गलत पेटेंट को रोका जा सके।
- **गगनयान मिशन सहयोग:** ऑस्ट्रेलिया भारत के गगनयान मिशन के लिए कोकोस (कीलिंग) द्वीप समूह (Cocos Islands) पर एक अस्थायी स्पेस-ट्रैकिंग टर्मिनल की सुविधा देगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा (International Relations)

16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन



चर्चा में क्यों है?

- 16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 1 से 3 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जापान की नवनिर्वाचित पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आईं और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- **UNICORN प्रोजेक्ट:** दोनों देशों ने UNICORN (यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना) प्रोजेक्ट के तकनीकी पहलुओं पर सहमति जताई। यह भारत और जापान के बीच पहला रक्षा सह-विकास (Co-development) कार्यक्रम है, जो नौसैनिक संचार और रडार स्टील्थ क्षमताओं से जुड़ा है।
- **2+2 Ministerial Meeting:** दोनों पक्ष वर्ष 2026 के अंत तक टोक्यो में चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक (विदेश और रक्षा मंत्री) आयोजित करने पर सहमत हुए।
- **सैन्य अभ्यास:** द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'JIMEX 25' के सफल संचालन की सराहना की गई।

आर्थिक सुरक्षा, एआई (AI) और उभरती तकनीक

- **आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा:** दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, आईसीटी (ICT), और फार्मास्यूटिकल्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने का संकल्प लिया।
- **पहला भारत-जापान एआई रणनीतिक संवाद:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसे लॉन्च किया गया। इसके तहत प्रमुख तकनीकी अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी की गई (जैसे IIT बॉम्बे के BharatGen प्रोजेक्ट का जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स के साथ जुड़ाव)।

ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन

- **ऊर्जा लचीलेपन पर संयुक्त बयान:** दोनों देशों ने पहली बार रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और समुद्री ऊर्जा परिवहन में सहयोग शुरू किया।
- **IEA सदस्यता समर्थन:** जापानी पीएम ताकाइची ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) में भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया।
- **बायोमास ग्रोथ पहल:** भारत के 1,000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'भारत-जापान सहयोगी बायोगैस विकास पहल' शुरू की गई।

व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचा

- **10 ट्रिलियन येन का लक्ष्य:** अगले एक दशक में भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन (लगभग \$65-70 बिलियन) के निवेश के लक्ष्य को दोहराया गया। इसके लिए 10 बिलियन डॉलर के निवेश पैकेज के समझौता ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **डायरेक्ट करेंसी सेटलमेंट:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सीधे येन-रुपया व्यापार निपटान ढांचा विकसित करने पर सहमति बनी।

- **CEPA समीक्षा:** वर्ष 2011 से प्रभावी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) की समीक्षा में तेजी लाने का निर्णय लिया गया।

सांस्कृतिक और पीपल-टू-पीपल संबंध

- **वर्ष 2027 की घोषणा:** राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2027 को "भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष" के रूप में घोषित किया गया।

भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora)



- ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समूह बन गए हैं, जिन्होंने पहली बार इंग्लैंड मूल के प्रवासियों को पीछे छोड़ दिया है।

भारतीय प्रवासियों का वर्गीकरण

- विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत सरकार मुख्यतः तीन कानूनी श्रेणियों में बांटती है:
- **अनिवासी भारतीय (NRI - Non-Resident Indian):** ये भारत के नागरिक होते हैं जो शिक्षा, रोजगार या किसी अन्य कारण से कम से कम 182 दिन विदेश में बिताते हैं। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है और इन्हें भारत में वोट देने का अधिकार है।

- **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO - Person of Indian Origin):** ये वे लोग हैं जो कभी भारतीय नागरिक थे या जिनके माता-पिता/दादा-दादी भारतीय थे, लेकिन अब उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है।
- **विदेशी भारतीय नागरिक (OCI - Overseas Citizen of India):** साल 2015 में भारत सरकार ने PIO और OCI श्रेणियों को आपस में मिला दिया। OCI कार्डधारकों को आजीवन बिना वीज़ा के भारत आने-जाने और यहाँ संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता मिलती है। हालांकि, ये वोट नहीं दे सकते और न ही कोई संवैधानिक पद (जैसे राष्ट्रपति या जज) संभाल सकते हैं।

तथ्य

- **दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय:** संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, भारत का प्रवासी समुदाय दुनिया में सबसे बड़ा है। विश्व भर में लगभग 3.5 करोड़ (35 Million) भारतीय मूल के लोग रहते हैं।
- **शीर्ष देश:** भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी खाड़ी देशों (यूएई, सऊदी अरब), अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहती है।
- **क्षेत्रीय प्रभाव:** न्यूजीलैंड जैसे देशों में भारतीय प्रवासी कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 5% हैं, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और संस्कृति का बड़ा माध्यम हैं।

प्रेषण

- **वैश्विक प्रेषण में नंबर 1:** विदेशी प्रवासियों से अपने गृह देश में पैसा प्राप्त करने के मामले में भारत लगातार दुनिया में पहले स्थान पर है।
- **रिकॉर्ड वित्तीय प्रवाह:** हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारतीय प्रवासियों द्वारा भारत भेजा जाने वाला धन 138 अरब डॉलर (लगभग ₹11.5 लाख करोड़) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

- **अर्थव्यवस्था का सुरक्षा कवच:** यह भारी वित्तीय प्रवाह गैर-ऋण पूंजी के रूप में कार्य करता है, जो अकेले ही भारत के कुल व्यापार घाटे के लगभग आधे हिस्से की भरपाई कर देता है।
- **सबसे अमीर समूह:** अमेरिका में रहने वाले सभी एशियाई समुदायों में भारतीय-अमेरिकी सबसे अधिक कमाने वाले हैं। उनकी औसत वार्षिक घरेलू आय \$150,000 (लगभग 1.25 करोड़ रुपये) से अधिक है, जो अन्य समूहों से 40% अधिक है।

वैश्विक नेतृत्व और सॉफ्ट पावर

- **टेक और कॉर्पोरेट लीडरशिप:** दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक कंपनियों का नेतृत्व भारतीय प्रवासी कर रहे हैं, जैसे सुंदर पिचाई और सत्या नडेला ।
- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** प्रवासी भारतीय विदेशों में भारत के "सॉफ्ट पावर" और रणनीतिक हितों को बढ़ावा देते हैं (जैसे ऐतिहासिक भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते को मंजूरी दिलाने में प्रवासियों की बड़ी भूमिका थी)।
- **सांस्कृतिक विस्तार:** दुनिया भर में योग, बॉलीवुड, भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता और विदेशी संसदों में दिवाली जैसे त्योहारों का भव्य आयोजन पूरी तरह से भारतीय प्रवासियों की देन है।

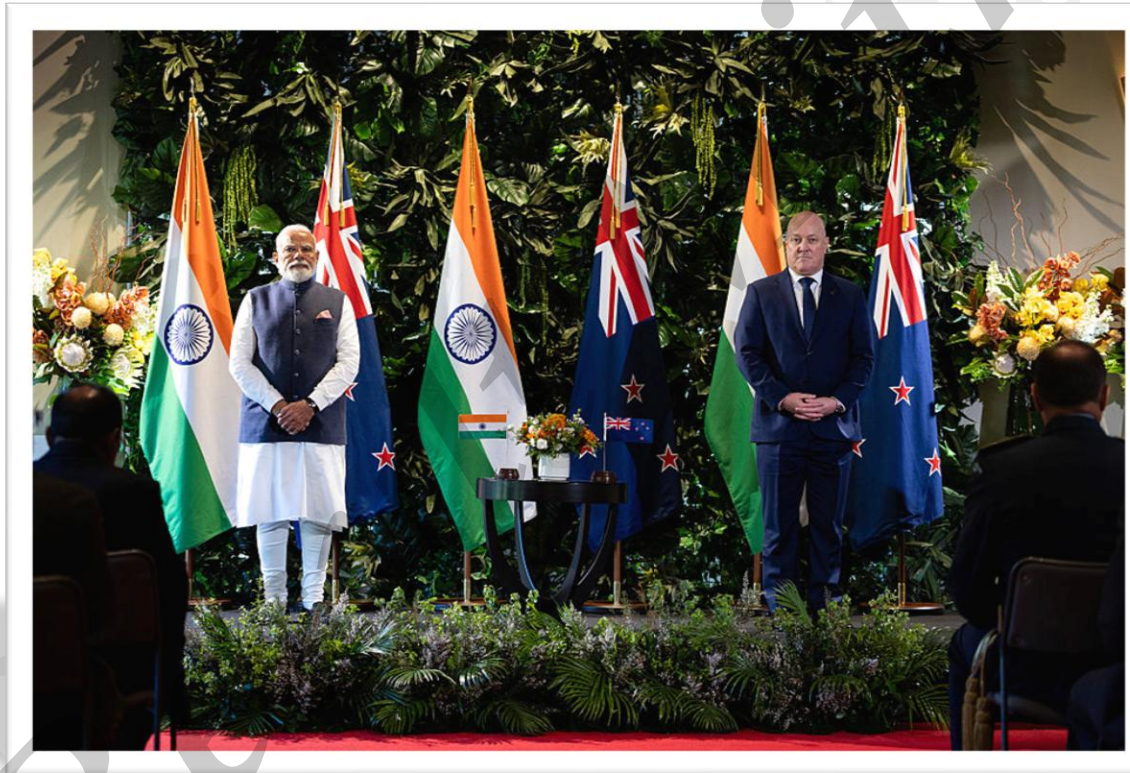
प्रवासियों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

- **पश्चिम में प्रवासन नीतियां:** अमेरिका में H-1B वीजा नियमों का सख्त होना और ब्रिटेन/यूरोप में प्रवासियों के प्रति बढ़ती कड़ाई भारतीय पेशेवरों के लिए मुश्किलें खड़ी करती है।
- **खाड़ी देशों में शोषण और असुरक्षा:** खाड़ी देशों (UAE, सऊदी अरब) में रहने वाले भारतीय नीली टोपी (ब्लू-कॉलर) वाले मजदूर हैं। वहां उन्हें सख्त 'कफाला प्रणाली' और कम वेतन/खराब रहने की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, खाड़ी देशों के आंतरिक संकटों (जैसे युद्ध या मंदी) के समय उनके रोजगार पर सीधा खतरा मंडराता है।
- **पहचान का संकट:** कई देशों (जैसे कनाडा या ब्रिटेन) में दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भारतीय प्रवासियों को नस्लवाद और अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के संघर्ष का सामना करना पड़ता है।

भारत सरकार के प्रमुख प्रयास

- **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD):** हर दो साल में 9 जनवरी को उन प्रवासियों को सम्मानित करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिन्होंने विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है।
- **'वंदे भारत' और 'ऑपरेशन अजय' जैसे रेस्क्यू मिशन:** जब भी दुनिया के किसी हिस्से में (जैसे यूक्रेन, सूडान, या खाड़ी युद्ध के समय) संकट आता है, भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सबसे आगे रहती है।
- **मदद (MADAD) पोर्टल:** विदेशों में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए विदेश मंत्रालय का एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म।

भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी (रोडमैप 2030)



चर्चा में क्यों?

- भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूज़ीलैंड की एक आधिकारिक यात्रा की, जो पिछले चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया और 'भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी: वर्ष 2030 हेतु रोडमैप' अपनाया गया।

'रोडमैप 2030' के प्रमुख बिंदु

- **प्रकृति:** यह एक गैर-बाध्यकारी क्रियान्वयन ढाँचा है। इसमें कोई वित्तीय प्रतिबद्धता या कानूनी दायित्व शामिल नहीं है।
- **व्यापारिक लक्ष्य:** वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके NZ\$7 अरब (लगभग ₹35,000 करोड़) तक पहुँचाने का लक्ष्य।
- **कस्टम एवं व्यापार सुगमता:** वर्ष 2024 के कस्टम सहयोग समझौते के तहत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारस्परिक मान्यता व्यवस्था लागू करना।

कृषि एवं प्राथमिक उद्योग:

- पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन।
- कीवीफ्रूट कार्य योजना: कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु नागालैंड और उत्तराखंड में दो 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना।

सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग:

- वार्षिक समुद्री सुरक्षा संवाद की स्थापना।
- आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह तथा साइबर सुरक्षा संवाद की शुरुआत।

स्वच्छ ऊर्जा एवं आपदा प्रबंधन:

- न्यूज़ीलैंड भारत के नेतृत्व वाले 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन' में शामिल हुआ।
- भारत के NDMA और न्यूज़ीलैंड के NEMA के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सुनामी तैयारी हेतु समझौता।

शिक्षा, अनुसंधान एवं संस्कृति:

- **अंटार्कटिक अनुसंधान:** भारत के NCPOR (राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र) और कैंटरबरी विश्वविद्यालय के बीच समझौता।
- **समुद्री विरासत:** गुजरात के लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर और न्यूजीलैंड समुद्री संग्रहालय के बीच सहयोग।
- **कनेक्टिविटी:** सीधी/नॉन-स्टॉप उड़ानों को बढ़ावा देने हेतु संशोधित हवाई सेवा समझौता।

- भारत के NCPOR (राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र) और कैंटरबरी विश्वविद्यालय के बीच समझौता।
- **समुद्री विरासत:** गुजरात के लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर और न्यूज़ीलैंड समुद्री संग्रहालय के बीच सहयोग।
- **कनेक्टिविटी:** सीधी/नॉन-स्टॉप उड़ानों को बढ़ावा देने हेतु संशोधित हवाई सेवा समझौता।

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)



वस्तुओं का व्यापार और टैरिफ में छूट

- **भारत को लाभ:** न्यूज़ीलैंड भारतीय निर्यात की जाने वाली 100% वस्तुओं को पूरी तरह से ड्यूटी-फ्री (सीमा शुल्क मुक्त) एक्सेस दे रहा है। इससे भारत के कपड़ा, परिधान, चमड़ा, फुटवियर, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग सामानों को भारी बढ़ावा मिलेगा
- **न्यूज़ीलैंड को लाभ:** भारत न्यूज़ीलैंड के लगभग 70% टैरिफ लाइनों (लगभग 95% आयात मूल्य) पर शुल्क कम या समाप्त कर रहा है। इसमें सेब, कीवी, ऊन, वाइन, भेड़ का मांस और लकड़ी शामिल हैं।

- **संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा:** भारत ने अपने डेयरी क्षेत्र (दूध, क्रीम, पनीर, घी आदि) और मुख्य कृषि उत्पादों (जैसे चीनी, बादाम, प्याज) को इस समझौते से बाहर रखा है ताकि भारतीय किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

भारी निवेश की प्रतिबद्धता

- न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर (USD) के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की प्रतिबद्धता जताई है।
- यह निवेश बुनियादी ढांचे, तकनीकी सहयोग और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने में खर्च किया जाएगा।

पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही

- समझौते के तहत STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स) स्नातकों और कुशल पेशेवरों के लिए न्यूज़ीलैंड में 'पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा' के रास्ते खोले गए हैं।
- लगभग 5,000 कुशल व्यवसायों के लिए नए वीजा मार्ग तैयार किए गए हैं, जिससे भारतीय आईटी और तकनीकी पेशेवरों को बड़ा अवसर मिलेगा।

पारंपरिक चिकित्सा और अन्य क्षेत्र

- दुनिया में पहली बार किसी व्यापार समझौते में आयुष (AYUSH - पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों) के लिए एक विशेष अध्याय शामिल किया गया है, जिससे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को न्यूज़ीलैंड में पहचान मिलेगी।
- न्यूज़ीलैंड भारत में कीवी, सेब और मधुमक्खी पालन के लिए 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित करने में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

विश्व व्यापार संगठन का मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता



चर्चा में क्यों ?

- भारत ने आधिकारिक तौर पर इस समझौते को अपनी मंजूरी सौंप दी है। इस दस्तावेज़ को जमा करने के साथ ही भारत इस वैश्विक समझौते में शामिल होने वाला दुनिया का 123वां सदस्य देश बन गया है।

तथ्य:

- हुआ: जून 2022 (WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन - MC12, जिनेवा में)।
- लागू हुआ: 15 सितंबर 2025 (2/3 सदस्य देशों की मंजूरी के बाद)।
- भारत शामिल हुआ: 20 जुलाई 2026 (स्वीकृति पत्र सौंपकर भारत 123वां सदस्य बना)।

समझौते की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

- **मराकेश समझौते में संशोधन:** यह वर्ष 1995 में WTO की स्थापना के बाद पहला ऐसा समझौता है, जो पूरी तरह से एक पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे पर केंद्रित है। इसके लिए WTO के मराकेश समझौते में संशोधन किया गया है।
- **मुख्य उद्देश्य:** इसका मुख्य लक्ष्य महासागरों में मछलियों के अंधाधुंध शिकार को रोकना और उन सरकारी वित्तीय सहायताओं पर प्रतिबंध लगाना है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं।

समझौते के तीन मुख्य स्तंभ

- **अवैध, असूचित और अनियंत्रित (IUU) मछली पकड़ने पर प्रतिबंध:** कोई भी देश ऐसे जहाजों या ऑपरेटरों को सब्सिडी नहीं दे सकता जो IUU गतिविधियों में शामिल हैं।
- **ओवरफिशड स्टॉक पर प्रतिबंध:** यदि किसी समुद्री क्षेत्र में मछलियों की संख्या पहले से ही खतरे के स्तर से नीचे आ चुकी है, तो वहां मछली पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी देने पर पूरी तरह रोक होगी।
- **अनियमित खुले समुद्र पर प्रतिबंध:** राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र (EEZ) से बाहर, खुले समुद्रों में विनियमित प्रबंधन के बिना मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी देने पर प्रतिबंध है।

भारत के लिए विशेष प्रावधान

- भारत जैसे विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए इस समझौते में विशेष और विभेदक व्यवहार को शामिल किया गया है:
- **2 साल की छूट अवधि:** विकासशील और सबसे कम विकसित देशों (LDCs) को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ - तट से 200 समुद्री मील तक) के भीतर दी जाने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंधों से 2 वर्ष की छूट दी गई है।

- **गरीब मछुआरों का संरक्षण:** भारत के तटीय क्षेत्रों में पारंपरिक, छोटे और गरीब मछुआरों द्वारा की जाने वाली आजीविका आधारित फिशिंग पर इस समझौते का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपने घरेलू नीतिगत अधिकारों को सुरक्षित रखा है।

भारत का रुख और 'फेज-2' की चुनौतियां

- **टिकाऊ प्रबंधन का समर्थन:** भारत का मानना है कि बड़े और औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने वाले विकसित देशों (जैसे यूरोपीय संघ, चीन, यूएसए) को अपनी भारी सब्सिडी बंद करनी चाहिए, क्योंकि वे वैश्विक स्तर पर ओवरफिशड स्टॉक के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं।

- **दूसरे चरण की वार्ता:** वर्तमान समझौता (Phase-1) केवल चुनिंदा प्रतिबंधों पर लागू है। वर्तमान में WTO में 'ओवरकैपेसिटी और ओवरफिशड' से जुड़े व्यापक नियमों को लेकर 'फेज-2' की वार्ताएं चल रही हैं। भारत इसमें विकासशील देशों के लिए कम से कम 25 वर्षों की लंबी संक्रमण अवधि की मांग कर रहा है।

भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा (8th Trade Policy Review - TPR)



चर्चा में क्यों?

- विश्व व्यापार संगठन में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा हाल ही में 21 और 23 जुलाई 2026 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य की घोषणा के बाद वैश्विक मंच पर भारत की व्यापार और आर्थिक नीतियों का यह पहला आधिकारिक मूल्यांकन था।

व्यापार नीति समीक्षा तंत्र (TPRM) क्या है?

- इसे "8वीं" (8th) व्यापार नीति समीक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से यह भारत की आठवें नंबर की आधिकारिक समीक्षा थी अर्थात यह भारत का WTO के सामने पेश होने वाला 8वां "व्यापारिक रिपोर्ट कार्ड" था। भारत ने अपना 7 वां "व्यापारिक रिपोर्ट कार्ड" 2021 में पेश किया था।

- WTO के नियमों के अनुसार, हर सदस्य देश की नीतियों का समय-समय पर ऑडिट होता है। भारत के वैश्विक व्यापारिक आकार को देखते हुए इसकी समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार की जाती है।
- **पारदर्शिता का साधन:** यह WTO का एक अनिवार्य पारदर्शिता तंत्र है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी करना है।
- **गैर-दंडात्मक प्रकृति:** इसका उद्देश्य किसी नियम के उल्लंघन की कानूनी जांच करना, विवाद सुलझाना या सदस्य देश पर कोई कानूनी जुर्माना/दंड लगाना नहीं होता है।

- यह समीक्षा दो रिपोर्टों पर आधारित होती है—एक WTO सचिवालय द्वारा तैयार स्वतंत्र रिपोर्ट और दूसरी संबंधित देश की सरकार की नीतिगत रिपोर्ट।
- यह एक 'पीयर-रिव्यू' प्रक्रिया है इसका तात्पर्य है कि भारत की नीतियों की जांच किसी बाहरी स्वतंत्र अदालत या जजों द्वारा नहीं, बल्कि WTO के अन्य सदस्य देशों जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन आदि द्वारा की जाती है।

समीक्षा के दौरान प्रस्तुत भारत की मुख्य उपलब्धियां

- भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक मजबूती को साबित करने के लिए निम्नलिखित बिंदु रखे:
- **सर्वकालिक उच्च निर्यात:** वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएँ मिलकर) 863.1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर:** भारत के UPI, वित्तीय समावेशन और फिनटेक क्रांति की वैश्विक सदस्यों द्वारा सराहना की गई।

- **व्यापार सुगमता:** भारत ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, सीमा शुल्क के आधुनिकीकरण और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के प्रयासों को रेखांकित किया।
- **मत्स्य पालन समझौता:** भारत द्वारा 20 जुलाई 2026 को मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने का सभी 68 भागीदार देशों ने स्वागत किया।

वैश्विक चिंताओं पर भारत का रुख

- समीक्षा के दौरान अन्य देशों द्वारा भारत की कुछ नीतियों (जैसे कृषि सब्सिडी और टैरिफ दरें) पर 1,094 से अधिक लिखित प्रश्न पूछे गए, जिस पर भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट किया:
- **कृषि और खाद्य सुरक्षा:** भारत ने दोहराया कि उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग नीतियां करोड़ों गरीब आबादी की खाद्य सुरक्षा के लिए गैर-परक्राम्य हैं।
- **विकास-उन्मुख सुधार:** भारत ने कहा कि भविष्य में WTO के भीतर कोई भी सुधार 'विकासशील देशों के हितों' और उनकी नीतिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए ही होना चाहिए।

गुवाहाटी घोषणापत्र: ब्रिक्स देशों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी
के खिलाफ नया तंत्र



चर्चा में क्यों?

- भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, असम के गुवाहाटी में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में विस्तारित ब्रिक्स सदस्य देशों की एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों ने मादक पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के लिए 'गुवाहाटी घोषणापत्र' को आधिकारिक रूप से अपनाया।

घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य:

- वैश्विक नशीले पदार्थों के व्यापार, सीमा पार संगठित गिरोहों और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक त्वरित, उच्च-विश्वास और आधुनिक कानून प्रवर्तन नेटवर्क का निर्माण करना।

प्रमुख परिणाम :

- **सिंथेटिक ड्रग्स एवं प्रिकर्सर नियंत्रण:** प्रिकर्सर रसायनों की निगरानी करना और अवैध सिंथेटिक ड्रग प्रयोगशालाओं को बंद करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करना।
- **साइबर व डार्कनेट स्पेस में कार्रवाई:** बेनामी क्रिप्टो-लेनदेन ट्रेकिंग, डार्कनेट आधारित नशीले पदार्थों के बाजारों को ध्वस्त करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकना।
- **रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग:** नशीले पदार्थों की तस्करी के मार्गों पर रियल-टाइम परिचालन डेटा साझा करना ताकि त्वरित सीमा पार कार्रवाई की जा सके।

- **ब्रिक्स वर्चुअल वर्किंग ग्रुप:** भारत द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो निरंतर सूचना विनिमय और एजेंसियों के क्षमता निर्माण को आसान बनाएगा।
- **जन-केंद्रित मांग में कमी:** कड़ी कानून प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ पुनर्वास, नशामुक्ति केंद्रों और युवाओं में जागरूकता के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना।

भारत का 3-वर्षीय रोडमैप (2026-29):

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अनुसार, भारत ने ड्रग्स के खिलाफ "ज़ीरो टॉलरेंस" नीति अपनाई है, जो पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने और जन जागरूकता पर केंद्रित है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **ब्रिक्स (BRICS) का विस्तार:** मूल रूप से पांच देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के इस समूह में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इंडोनेशिया शामिल हो चुके हैं।
- **NCB (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो):** भारत में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत दायित्वों को पूरा करने वाली शीर्ष नोडल एजेंसी (गृह मंत्रालय के अधीन)।

UNSC 2028-29 की सदस्यता के लिए भारत का 'SHANTI विज़न'



चर्चा में क्यों?

- भारत के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के वर्ष 2028-29 के कार्यकाल की अस्थायी सदस्यता के लिए देश की दावेदारी का औपचारिक शुभारंभ किया, जिसके केंद्र में 'SHANTI विज्ञान' नामक राजनयिक अभियान है।
- **SHANTI का पूर्ण रूप:** Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity (मानदंडों, विश्वास और अखंडता के माध्यम से समग्र प्रगति सुनिश्चित करना)।

विज्ञान के मुख्य स्तंभ:

- **ग्लोबल साउथ का सशक्तिकरण:** निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में विकासशील देशों की आवाज़, वित्तीय चिंताओं और विकास संबंधी चुनौतियों का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व करना।
- **शांति स्थापना में सुधार:** संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को अधिक संसाधन-संपन्न, तकनीक-आधारित और यथार्थवादी जनादेश प्रदान करना तथा 'महिला, शांति और सुरक्षा' एजेंडा को बढ़ावा देना।
- **वैश्विक चुनौतियाँ व आतंकवाद:** सीमा-पार आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा सुरक्षित एवं नियम-आधारित समुद्री व्यापार मार्गों के लिए विधिक ढाँचा तैयार करना।

- **उत्तरदायी तकनीक:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित एवं पारदर्शी उपयोग हेतु वैश्विक मानक बनाना।
- **विकास साझेदारी:** भारत की विश्वसनीय भूमिका (79 देशों में अवसंरचना परियोजनाएँ) के ज़रिए संघर्ष की जगह संवाद और सहयोग स्थापित करना।

UNSC में भारत की स्थिति:

- भारत अब तक 8 बार (नवीनतम 2021–22) UNSC का अस्थायी सदस्य रह चुका है।
- 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए दो-तिहाई बहुमत से किया जाता है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसने अब तक लगभग 50 मिशनों में 3 लाख से अधिक सैन्य व पुलिस कर्मी भेजे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा (International Relations)

अमेरिका-सऊदी अरब नागरिक परमाणु समझौता (123 समझौता)



चर्चा में क्यों?

- अमेरिका और सऊदी अरब ने शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग के लिए 30-वर्षीय धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने शर्त रखी है कि यह समझौता सऊदी अरब द्वारा अब्राहम समझौते में शामिल होने और इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद ही प्रभावी रूप से लागू होगा।

123 समझौते के बारे में:

कानूनी ढाँचा (Section 123):

- यह अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123 के तहत हुआ समझौता है, जो किसी अन्य देश को अमेरिकी परमाणु तकनीक, रिएक्टर और सामग्री स्थानांतरित करने की अनिवार्य कानूनी अनुमति देता है।

यूरेनियम संवर्धन व रियायत:

- इस समझौते में 'गोल्ड स्टैंडर्ड' की शर्त को हटाकर सऊदी अरब को अमेरिकी-संचालित सुविधाओं के तहत यूरेनियम संवर्धन की लचीलापन/संभावना प्रदान की गई है।

सऊदी विज्ञान 2030 :

- सऊदी अरब का लक्ष्य अपनी ऊर्जा निर्भरता को क्रूड ऑयल से हटाकर परमाणु ऊर्जा पर शिफ्ट करना और अधिक तेल का निर्यात करना है।

भारत (2008) बनाम सऊदी अरब (2026) 123

समझौता:

- **भारत:** गैर-एनपीटी (Non-NPT) देश होने के बावजूद 2008 में NSG छूट मिली और वैश्विक परमाणु व्यापार का रास्ता खुला।
- **सऊदी अरब:** NPT का हस्ताक्षरकर्ता है, परंतु इसमें IAEA का 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल' अनिवार्य नहीं किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **अब्राहम समझौता:** वर्ष 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से इज़राइल और अरब राष्ट्रों (UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान) के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए शुरू की गई एक पहल।
- **IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी):** स्थापना 29 जुलाई 1957, मुख्यालय - वियना (ऑस्ट्रिया)। यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा (International Relations)

भारत-जापान शिखर सम्मेलन 2026



चर्चा में क्यों?

- नई दिल्ली में 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सह-विकास और स्वच्छ ऊर्जा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक पहलों की शुरुआत की।

सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा पत्र: सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज), एआई (AI), सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और क्लीन एनर्जी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

- **नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप:** रेल (जैसे बुलेट ट्रेन), ऑटोमोटिव, सड़क बुनियादी ढांचे और विमानन क्षेत्रों में निवेश को गति देना।
- **बायोगैस पहल:** भारत में 1,000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में जापानी सहयोग।
- **पहला रक्षा सह-विकास प्रोजेक्ट:** नौसेना के लिए 'नेवल रेडियो एंटीना' (Naval Radio Antenna) परियोजना के तहत पहला रक्षा सह-उत्पादन/विकास।
- **अन्य सहयोग क्षेत्र:** सक्रिय औषधि घटक (APIs), इंटरनेट रजिस्ट्री परिचालन, भूविज्ञान और खनिज अन्वेषण।

भारत-जापान संबंधों का रणनीतिक महत्व:

- निवेश व आर्थिक संबंध: जापान भारत में FDI का 5वाँ सबसे बड़ा स्रोत है (कुल FDI का 6%)। 2011 से दोनों के बीच 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता' (CEPA) लागू है।
- रणनीतिक एवं अंतरिक्ष संरेखण: दोनों देश क्वाड (QUAD) के सदस्य हैं तथा इसरो (ISRO) व जाक्सा (JAXA) के माध्यम से 'लुपेक्स' (LUPEX - लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन) मिशन पर सहयोग कर रहे हैं।

वैश्विक गिग अर्थव्यवस्था और आईएलओ कन्वेंशन 193 (ILO Convention 193)



चर्चा में क्यों ?

- जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा कन्वेंशन संख्या 193: 'प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में सभ्य कार्य' को अपनाया गया है। यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और गिग श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस मतदान के दौरान भारत सरकार ने भाग नहीं लिया।

आईएलओ कन्वेंशन 193 के मुख्य बिंदु

- **सार्वभौमिक अधिकार:** यह वर्गीकरण की परवाह किए बिना सभी प्लेटफॉर्म श्रमिकों को न्यूनतम अधिकार देता है। चाहे कंपनी उन्हें 'कर्मचारी' कहे या 'स्वतंत्र भागीदार', वे इन अधिकारों के हकदार हैं।
- **एल्गोरिथमिक पारदर्शिता:** पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय कानून में एल्गोरिथमिक प्रबंधन को शामिल किया गया है। कंपनियों को यह बताना होगा कि उनके स्वचालित सिस्टम काम का आवंटन, रेटिंग, और आईडी सस्पेंशन कैसे करते हैं।

- **मानवीय निरीक्षण:** श्रमिकों के खातों को अचानक ब्लॉक करने या हटाने के फैसलों पर मानव समीक्ष का अधिकार अनिवार्य किया गया है।
- **सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा:** उचित मजदूरी, समय पर भुगतान, और कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- **वर्गीकरण का सिद्धांत:** सरकारों को श्रमिकों का वर्गीकरण केवल अनुबंध की शर्तों पर नहीं, बल्कि काम की वास्तविक प्रकृति के आधार पर करना होगा।

भारत का रुख

- मतदान के दौरान जहां भारत के नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधियों ने इसके पक्ष में वोट दिया, वहीं भारत सरकार के प्रतिनिधि ने मतदान से दूरी (Abstain) बना ली।

भारत के ऐसा करने के मुख्य कारण:

- 1. घरेलू कानूनों में सामंजस्य की कमी: भारत का सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security) गिग श्रमिकों को 'श्रमिक' के बजाय 'गिग पार्टनर' मानता है, जो वैश्विक बाध्यकारी मानकों से अलग है।

- **2. श्रम का समवर्ती सूची (Concurrent List)**
में होना: भारत में श्रम केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, जिससे पूरे देश में एक समान वैश्विक मानक तुरंत लागू करना जटिल है।
- **3. अनुपालन का बोझ (Compliance Burden):** सरकार को डर है कि अत्यधिक कड़े नियमों से देश की उभरती प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था और लचीले रोजगार (Flexibility) पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

जिनेवा कन्वेंशन 1949 (Geneva Conventions)



चर्चा में,

- 'हिंद रजब फाउंडेशन' नामक संस्था ने भारत में कानूनी याचिका दायर कर हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मना रहे एक इजरायली सैनिक को गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार करने की मांग की। इस घटना ने जिनेवा कन्वेंशन, सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र और भारत के घरेलू दायित्वों पर बहस छेड़ दी।

जिनेवा कन्वेंशन 1949

- यह अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का मुख्य आधार है, जो युद्ध के समय मानवीय सीमाओं को तय करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों की रक्षा करना है जो युद्ध का हिस्सा नहीं हैं (नागरिक) या जो अब लड़ने की स्थिति में नहीं हैं (घायल सैनिक, युद्धबंदी)।

चार कन्वेंशन (1949 में) अपनाए गए

- 1. प्रथम कन्वेंशन: जमीन पर लड़ रहे घायल या बीमार सैनिकों को चिकित्सा सहायता देना। (जैसे: मेडिकल कैंप या एम्बुलेंस पर हमला नहीं किया जा सकता)।

- **2. द्वितीय कन्वेंशन:** समुद्र में युद्ध के दौरान डूबे हुए या बीमार नौसैनिकों की रक्षा करना।
- **3. तृतीय कन्वेंशन:** यदि कोई सैनिक दुश्मन देश द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसे Prisoner of War (POW) माना जाएगा।
- **नियम:** उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता, और युद्ध खत्म होने पर ससम्मान वापस लौटाना होगा (जैसे: 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान ने इसी कन्वेंशन के दबाव में वापस सौंपा था)।
- **4. चतुर्थ कन्वेंशन:** युद्ध वाले क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा।
- **नियम:** सेना जानबूझकर अस्पतालों, स्कूलों, बिजलीघरों या रिहायशी इलाकों पर बमबारी नहीं कर सकती।

अतिरिक्त प्रोटोकॉल:

- **1977 के प्रोटोकॉल I और II:** अंतरराष्ट्रीय और गैर-अंतरराष्ट्रीय (गृह युद्ध) सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा का विस्तार करते हैं।
- **गंभीर उल्लंघन:** कन्वेंशन के तहत जानबूझकर की गई हत्या, यातना, अमानवीय व्यवहार और बिना सैन्य आवश्यकता के बड़े पैमाने पर संपत्ति को नष्ट करना युद्ध अपराध माना जाता है।
- **सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र:** इसके तहत कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का यह कानूनी दायित्व है कि वे अपनी भूमि पर मौजूद किसी भी ऐसे व्यक्ति को खोजें, मुकदमा चलाएं या प्रत्यर्पित करें, जिस पर "गंभीर उल्लंघन" या युद्ध अपराध का संदेह हो—चाहे वह अपराध दुनिया में कहीं भी और किसी भी राष्ट्रीयता के व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

जिनेवा कन्वेंशन का विशेष नियम (Universal Jurisdiction):

- युद्ध अपराध इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें "पूरी मानवता के खिलाफ अपराध" माना जाता है। इसके तहत, दुनिया का कोई भी देश (जिसने कन्वेंशन पर साइन किए हैं) किसी भी देश के युद्ध अपराधी को अपनी धरती पर गिरफ्तार कर सकता है और उस पर मुकदमा चला सकता है—चाहे वह अपराध उसकी धरती पर न हुआ हो, और अपराधी उस देश का नागरिक न हो।

- भारत जिनेवा कन्वेंशन 1949 का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत ने इसे 1950 में ही स्वीकार कर लिया था और इसके लिए संसद से 'जिनेवा कन्वेंशन एक्ट, 1960' भी पास किया। हालांकि, भारत के पास 'युद्ध अपराधों' को एक अलग विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित करने वाला कोई स्वतंत्र घरेलू कानून नहीं है।
- भारत ने 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल I और प्रोटोकॉल II पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत का मानना है कि ये प्रोटोकॉल संप्रभुता को प्रभावित कर सकते हैं और आतंकवाद या आंतरिक सुरक्षा जैसी स्थितियों में सुरक्षा बलों के हाथ बांध सकते हैं

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा (International Relations)

ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस (Operation Southern Readiness)



चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि (केरल) में 'ऑपरेशन सदरन रेडीनेस नामक एक विशाल बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। इतिहास में पहली बार है जब भारत ने इस वैश्विक स्तर के बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की है।

परिचय:

- यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटना है।
- इस अभ्यास का संचालन भारतीय नौसेना के नेतृत्व में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (CMF) के 'कंबाइंड टास्क फोर्स 154' (CTF 154) के तत्वावधान में किया गया, जिसमें 27 देशों और 4 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 276 सैन्य कर्मियों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- **समुद्री कानून:** समुद्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रवर्तन की समझ विकसित करना।
- **मादक पदार्थों की तस्करी रोधी:** समुद्री डकैती और अवैध रास्तों से होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकना।
- **समुद्री डोमेन जागरूकता:** वास्तविक समय में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखना और सूचना साझा करना।
- **व्यावहारिक कौशल:** जहाजों पर आपातकालीन आग बुझाना, समुद्र में जीवन रक्षा और संदिग्ध जहाजों पर चढ़ने का व्यावहारिक प्रशिक्षण।

- CMF क्या है? यह बहरीन में मुख्यालय वाला एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संगठन (30 से अधिक देशों का गठबंधन) है, जो वैश्विक जलक्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- **टास्क फोर्स 154 (CTF 154):** यह CMF के तहत काम करने वाली एक विशिष्ट कोर है, जिसका मुख्य काम सदस्य देशों की नौसेनाओं को 'समुद्री प्रशिक्षण' (Maritime Training) देना है।
- **भारत की स्थिति:** भारत 2022 में CMF का एक सहयोगी सदस्य बना था। अब भारत इसके टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहा है, जो भारत के बढ़ते नौसैनिक राजनयिक प्रभाव को दर्शाता है।

रोम घोषणापत्र 2026



चर्चा में क्यों?

- जुलाई 2026 को कैपिटॉलीन हिल, रोम (इटली) में जारी।
- **हस्ताक्षरकर्ता:** नोबेल पुरस्कार विजेता, AI वैज्ञानिक, धार्मिक नेता और नीति विश्लेषक।
- **मुख्य उद्देश्य:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु हथियारों के खतरनाक मिलन से पैदा होने वाले "अभिसारी खतरे" (Convergent Peril) को रोकना।

मुख्य प्रस्ताव एवं सिद्धांत

- मूल संदेश: "मानवता को कभी भी AI को यह तय करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि कौन जिएगा, कौन मरेगा या परमाणु युद्ध कब शुरू होगा।"

Result Mitra

प्रमुख मांगें:

- **अंतर्राष्ट्रीय संधि:** एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि की मांग, जो स्वायत्त AI प्रणालियों को परमाणु कमांड, कंट्रोल और लॉन्च सिस्टम में शामिल होने से पूरी तरह रोके।
- **सार्थक मानवीय नियंत्रण:** युद्ध, शांति और अस्तित्व से जुड़े सभी नैतिक फैसलों पर अंतिम नियंत्रण इंसानों के हाथ में ही रहना चाहिए।
- **निर्णय की समय-सीमा बढ़ाना:** संकट के दौरान AI द्वारा अत्यधिक त्वरित/स्वचालित निर्णयों को रोकना, ताकि इंसानी समझ को विचार का पर्याप्त समय मिले।

महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रयह घोषणापत्र पोप लियो XIV के इनसाइक्लिकल (पोप का पत्र) 'मैग्निफिका ह्यूमैनिटास' (Magnifica Humanitas) से प्रेरित है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** यह वर्ष 2025 के 'शिकागो घोषणापत्र' पर आधारित है।
- **कानूनी स्थिति:** यह वर्तमान में गैर-बाध्यकारी है। यह केवल एक नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम)
संशोधन विधेयक, 2026



चर्चा में क्यों?

- NEET-UG 2026 के प्रश्नपत्र लीक, व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।

अधिनियम के मुख्य बिन्दु:

- **मूल अधिनियम का स्वरूप:** यह विधेयक मूल रूप से वर्ष 2024 में लाए गए 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम' का अधिक कठोर और व्यापक स्वरूप है।

- **सजा और जुर्माने में वृद्धि:** अनुचित साधनों का सहारा लेने पर जेल की सजा 3-5 साल से बढ़ाकर 5-10 साल तथा जुर्माना ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है।
- **सेवा प्रदाताओं पर शिकंजा:** सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ तथा परीक्षा आयोजित करने पर प्रतिबंध की अवधि 4 से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है।
- **संगठन एवं प्रबंधन:** सेवा प्रदाताओं के निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन के लिए सजा 5-10 वर्ष और जुर्माना ₹5 करोड़ तक तथा संगठित अपराध के लिए सजा 7-10 वर्ष और अधिकतम जुर्माना ₹10 करोड़ तय किया गया है।

- **त्वरित न्याय तंत्र:** मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट, चार्जशीट दाखिल होने के 2 महीने के भीतर जांच और 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का प्रावधान है।
- **विशेष एजेंसियां:** मामलों की जांच हेतु 'स्पेशल टास्क फोर्स' (STF) के गठन और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है।
- यह विधेयक मूल रूप से वर्ष 2024 में लाए गए 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम' का अधिक कठोर और व्यापक स्वरूप है।

- **महत्व:** यह विधेयक यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, और एनटीए जैसी प्रमुख भर्ती एजेंसियों की परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सहायक है। यह कड़े कानूनी प्रावधानों के माध्यम से लाखों मेधावी और ईमानदार छात्रों के भविष्य की रक्षा करता है तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करता है।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025



चर्चा में क्यों?

- 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' [VB-G RAM G Act] को 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिसने पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA, 2005) का स्थान लिया है।

परिचय एवं मुख्य उद्देश्य

- **प्रतिस्थापन:** इसने MGNREGA 2005 को पूरी तरह प्रतिस्थापित किया है।
- **लक्ष्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और मात्र जीवन निर्वाह-आधारित रोजगार से आजीविका-संबंधी टिकाऊ संपत्तियों के सृजन की ओर बढ़ना है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं और प्रावधान

- **रोजगार की गारंटी:** प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए प्रति वित्तीय वर्ष अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
- **दैनिक मजदूरी:** न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर कम से कम ₹300 निर्धारित की गई है, जो पुरानी दरों से 10% से अधिक है।

केंद्र-राज्य निधि का बंटवारा:

- उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10
- अन्य राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40
- विधानसभाओं के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय निधि

- **कृषि कार्य में विराम:** खेती-बाड़ी के लिए श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को बुवाई और कटाई के चरम मौसमों के दौरान सालाना 60 दिनों तक काम बंद रखने की अनुमति है।
- **विषयगत कार्य क्षेत्र:** परियोजनाएं चार प्रमुख क्षेत्रों (जल सुरक्षा, ग्रामीण मूलभूत अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना, और चरम मौसम से बचाव) तक सीमित हैं।

- **प्रौद्योगिकी और भुगतान:** चेहरे के आधार पर उपस्थिति, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से साप्ताहिक भुगतान को अनिवार्य किया गया है।
- **श्रमिक सुरक्षा उपाय:** मांग के 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और कार्यस्थल 5 किमी से दूर होने पर मजदूरी का अतिरिक्त 10% परिवहन भत्ता।

भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार (The Right to Protest in India)



चर्चा में क्यों?

- दिल्ली पुलिस द्वारा संसद परिसर की ओर मार्च करने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े प्रदर्शन पर कार्रवाई के बाद 'विरोध प्रदर्शन के अधिकार' और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया है।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 19(1)(a): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 19(1)(b): बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है।

- **अनुच्छेद 19(2) और 19(3):** इसके तहत भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार पर 'उचित प्रतिबंध' लगाए जा सकते हैं।

प्रमुख कानूनी विशेषताएं:

- प्रदर्शनकारियों के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य है।
- इसके लिए जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे निर्दिष्ट स्थल तय किए गए हैं।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा होने पर अधिकारियों को अनधिकृत सभाओं पर रोक लगाने का अधिकार है।

प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

- हिमत लाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त (1973): शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को मौलिक माना गया।
- अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020): यह स्पष्ट किया गया कि प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते।
- यह अधिकार नागरिकों को आवधिक चुनावों के अलावा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और लोकतांत्रिक संवाद को बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट (FTCs): त्वरित न्याय की ओर कदम



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे संवेदनशील और गंभीर अपराधों से निपटने हेतु समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की गई है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण:

- परिचय एवं स्थापना: भारत में इनकी शुरुआत वर्ष 2000 में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुई थी।
- संचालन: देश में इनके संचालन हेतु कोई केंद्रीय कानून नहीं है; इनका गठन संबंधित राज्यों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से किया जाता है।

संवैधानिक व विधिक आधार:

- **अनुच्छेद 21:** भारतीय संविधान के तहत 'त्वरित सुनवाई' (Speedy Trial) को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है।
- **विधिक ढांचा:** इनका संचालन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और विशेष अधिनियमों (जैसे POCSO एक्ट) के प्रावधानों के अंतर्गत होता है।

- **वित्त पोषण व सिफारिशें:** 14वें वित्त आयोग (2015–2020) ने जघन्य अपराधों और लंबे समय से लंबित मामलों (जैसे हत्या, अपहरण) के निपटान हेतु बड़ी संख्या में FTCs स्थापित करने की सिफारिश की थी।
- **उद्देश्य:** मामलों के बैकलॉग को कम करना, पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाना और अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करना।

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम



चर्चा में क्यों?

- लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में नए जिलों और तहसीलों के सृजन के साथ, 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) अधिनियम' के प्रावधानों को सभी नवनिर्मित जिलों तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है।

मूल विवरण और विकास

- अधिनियम का इतिहास: मूल रूप से यह लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1995 (लेह के लिए) के रूप में पारित हुआ। इसके बाद एकीकृत LAHDC अधिनियम, 1997 आया, जिसका विस्तार 2003 में कारगिल तक किया गया।

- **हालिया अपडेट:** लद्दाख प्रशासन ने इस परिषद के ढांचे को सभी 7 जिलों में विस्तारित करने की घोषणा की है। यह निर्णय 5 नए जिलों (शम, नुब्रा, चांगथांग, जंस्कार और द्रास) के गठन और कुल 32 तहसीलों के बाद लिया गया है।
- **कानूनी स्थिति:** यह कानून द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। यह संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाला संवैधानिक निकाय नहीं है।

परिषद की संरचना

- **कुल सीटें:** प्रत्येक परिषद में कुल 30 सीटें होती हैं।
- **निर्वाचित सदस्य:** 30 में से 26 सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
- **मनोनीत सदस्य:** शेष 4 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- **कार्यकारी शाखा:** परिषद का नेतृत्व एक मुख्य कार्यकारी पार्षद करता है। इनकी सहायता के लिए एक कार्यकारी समिति होती है जिसमें चार अन्य कार्यकारी पार्षद शामिल होते हैं।

शक्तियाँ और कार्य

- **विकास और योजना:** यह जिला स्तर पर योजनाओं का मसौदा तैयार करती है, बजट का आवंटन करती है और विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करती है।
- **अधिकार क्षेत्र के विषय:** यह परिषद मुख्य रूप से भूमि का उपयोग और आवंटन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, लघु उद्योग और सार्वजनिक निर्माण जैसे विषयों को संभालती है।
- **कराधान शक्तियाँ:** परिषद को अपने जिला ढांचे के भीतर कुछ विशिष्ट स्थानीय कर और शुल्क वसूलने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026



चर्चा में क्यों?

- लोकसभा ने मूल 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' में संशोधन करने तथा विलंबित पंजीकरण के नियमों को कठोर बनाने के लिए 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' को पारित कर दिया है।

अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- हाल के वर्षों में जन्म प्रमाण पत्र को स्कूल प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पासपोर्ट, मतदाता सूची और सरकारी नौकरियों के लिए जन्मतिथि का मुख्य प्रमाण बनाया गया है।
- इससे फर्जी पंजीकरण की आशंका बढ़ने के कारण सत्यापन प्रक्रिया को डिजिटल और कानूनी रूप से मजबूत करना जरूरी हो गया था।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान :

- **मूल अधिनियम, 1969:** यह देश में सभी जन्मों और मृत्युओं के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, जिसका पर्यवेक्षण भारत के महापंजीयक द्वारा किया जाता है।
- **दो वर्ष से अधिक का विलंब:** यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 साल के बाद दी जाती है, तो इसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही संभव होगा।
- **1 से 2 वर्ष के बीच का विलंब:** घटना की सूचना 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष के भीतर मिलने पर जिलाधिकारी (DM), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।

- **विधिक सामंजस्य:** इसमें पुराने संदर्भों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अनुरूप अद्यतन किया गया है।
- **CRS प्रणाली:** अक्टूबर 2023 से सभी जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के माध्यम से डिजिटल रूप से संधारित किए जा रहे हैं।
- **सूचना की समय-सीमा:** जन्म, मृत्यु और मृतजन्म की सामान्य सूचना घटना के 21 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है।
- इस प्रकार यह संशोधन जन्म प्रमाण पत्र के फर्जी इस्तेमाल और अवैध पंजीकरण पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों के लिए समान सेवानिवृत्ति पश्चात सुविधाएं



चर्चा में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति देश भर के उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और जजों को मिलने वाली सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति और दिशा-निर्देश तैयार करेगी।

निर्देश संबंधी मुख्य बातें:

- **अदालत का निर्देश:** सर्वोच्च न्यायालय की पीठ (अगुवाई - मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति वी. मोहन और न्यायमूर्ति जॉयमालय बागची) ने केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में पैनल गठित करने और 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद:

- **अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें।
- **अनुच्छेद 221:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि।
- **असमानता पर चिंता:** विभिन्न राज्यों द्वारा पूर्व जजों को दी जाने वाली सुविधाओं (जैसे ड्राइवर, सुरक्षा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और भत्ते) में भारी अंतर है। कोर्ट ने इस असमानता को अनुचित और असंवैधानिक बताया है।

- **अपर्याप्त वित्तीय सहायता:** मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कुछ राज्यों द्वारा दी जाने वाली ₹45,000 से ₹50,000 जैसी सहायता राशि सुरक्षा और परिवहन आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है।
- **केंद्र की सहमति:** सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से समिति गठन पर सहमति व्यक्त की है।

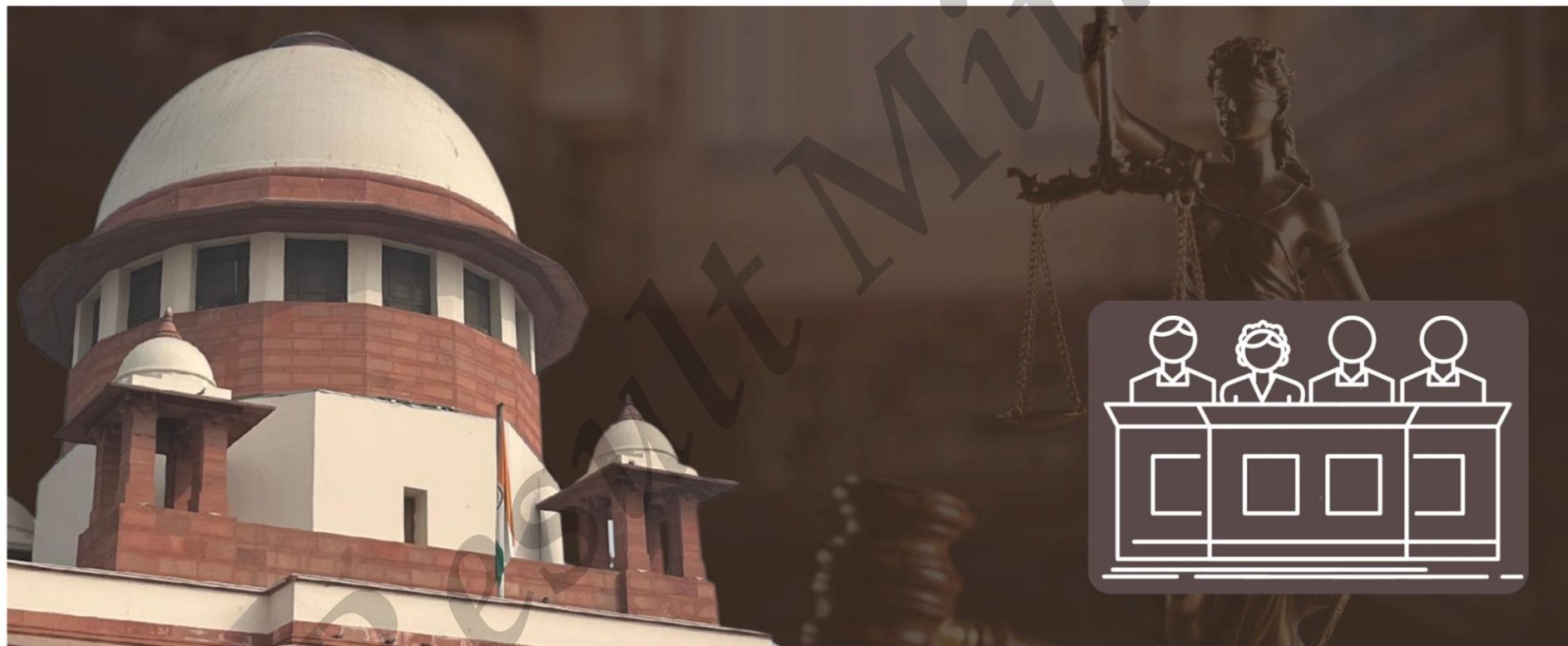
विचार के दायरे में शामिल प्रमुख सुविधाएं:

- सुरक्षा व्यवस्था
- ड्राइवर और घरेलू सहायता
- दूरसंचार और चिकित्सा प्रतिपूर्ति
- सरकारी आवास

महत्व:

- **न्यायिक स्वतंत्रता:** सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।
- **सहयोगात्मक संघवाद:** केंद्र और राज्यों के बीच न्यायिक अधिकारियों के कल्याण से जुड़ी नीतियों में एकरूपता लाना राष्ट्र स्तर पर एक समान न्याय प्रणाली को मजबूत करता है।

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026



चर्चा में क्यों?

- संसद ने 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' को पारित कर दिया है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित कुल संख्या अब 34 से बढ़कर 38 हो गई है।

आवश्यकता क्यों:

- सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ (1 जनवरी तक 92 हजार से अधिक मामले) और मुकदमों के दर्ज होने व उनके निपटान के बीच के अंतर को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अधिनियम के मुख्य बिन्दु:

- **संशोधित अधिनियम:** यह विधेयक 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956' में संशोधन करता है और मई 2026 में जारी अध्यादेश का स्थान लेता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित संख्या तक अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति पूरी तरह संसद के पास है।

ऐतिहासिक वृद्धि:

- मूल (1950): 1 CJI + 7 अन्य न्यायाधीश (कुल 8)
- 2019 संशोधन: 33 अन्य न्यायाधीश + 1 CJI (कुल 34)
- 2026 संशोधन: 37 अन्य न्यायाधीश + 1 CJI (कुल 38)
- यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक क्षमता को मजबूत करता है, मामलों के त्वरित निस्तारण में मदद करता है और नागरिकों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026



चर्चा में क्यों?

- संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इसके जरिए राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के समान वैधानिक संरक्षण और दंडात्मक प्रावधानों के दायरे में लाया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- इस विधेयक का आधार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई उस घोषणा को बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान के बराबर सम्मान दिए जाने की बात कही गई थी।

अधिनियम के मुख्य बिन्दु:

- **मूल अधिनियम:** यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 में संशोधन करता है।
- **संरक्षण का विस्तार:** अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्र गान के साथ-साथ अब राष्ट्र गीत (वंदे मातरम्) के गायन को जानबूझकर रोकने या उसमें व्यवधान उत्पन्न करने को दंडनीय अपराध बनाया गया है।
- **सजा का प्रावधान:** इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- **पुनरावृत्ति पर कठोर दंड:** धारा 3क के तहत, दूसरी या उसके बाद की दोषसिद्धि पर कम-से-कम 1 वर्ष का अनिवार्य कारावास होगा।

वंदे मातरम् का इतिहास:

- **रचना:** बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (पहली बार 1875 में 'बंगदर्शन' में प्रकाशित, 1882 में उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल)।
- **प्रथम गायन:** रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में।
- **राजनीतिक उपयोग:** 7 अगस्त, 1905 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार राजनीतिक उद्घोष बना।

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025: संयुक्त संसदीय समिति (JPC) रिपोर्ट



चर्चा में क्यों?

- संविधान (130वें संशोधन) विधेयक, 2025 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने अपनी रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। यह प्रस्तावित विधेयक गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के स्वतः इस्तीफे या पद से हटने का प्रावधान करता है।

विधेयक के प्रमुख बिंदु

- **मुख्य प्रावधान:** यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर मामलों (जिनमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है) में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन स्वतः पद छोड़ना होगा।

- **संवैधानिक अनुच्छेद:** इससे जुड़े प्रमुख प्रावधानों में अनुच्छेद 75 (केंद्रीय मंत्री), अनुच्छेद 164 (राज्य मंत्री) और अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के मंत्री) शामिल हैं।
- **समिति और नेतृत्व:** इस JPC की अध्यक्षता भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी द्वारा की जा रही है।
- **पुनर्नियुक्ति:** यदि व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है या आरोप मुक्त कर दिया जाता है, तो उसे पुनः पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

लद्दाख के लिए विशेष सुई जेनेरिस शासन मॉडल



चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत एक अनूठा और अनुकूलित सुई जेनेरिस शासन मॉडल प्रस्तावित किया है। यह ढांचा लद्दाख की स्थानीय भूमि, आदिवासी संस्कृति और रोजगार को कानूनी रूप से सुरक्षित करने के लिए लद्दाख के 'छठी अनुसूची' की मांग का एक विकल्प प्रदान करता है।

लद्दाख मॉडल के प्रमुख बिंदु

- **पृष्ठभूमि:** अगस्त 2019 में बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग की थी।
- **प्रस्तावित बदलाव:** छठी अनुसूची देने के बजाय, गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर अनुच्छेद 371 के प्रावधानों के आधार पर एक विशेष ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य विशेषताएं:

- **निर्वाचित UT निकाय:** विधाई, वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों से लैस एक लोकतांत्रिक, UT-स्तरीय निकाय की स्थापना।
- **नौकरशाही पर नियंत्रण:** स्थानीय निर्वाचित कार्यपालिका को क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवकों पर सीधा पर्यवेक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन अधिकार देना।
- **तृणमूल स्तर पर समन्वय:** स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और जिला पहाड़ी परिषदों के साथ मिलकर काम करना।

अनुच्छेद 371 बनाम छठी अनुसूची

- **अनुच्छेद 371:** यह संसद द्वारा तय किए गए अनुकूलित, राज्य-विशिष्ट या क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षात्मक प्रावधानों और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **छठी अनुसूची:** यह विशिष्ट विधायी, भूमि प्रबंधन और लघु न्यायिक शक्तियों के साथ समान स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) की स्थापना करती है।

भारतीय पासपोर्ट और नागरिकता: विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण



चर्चा में क्यों?

- विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अकाट्य या अंतिम प्रमाण नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय आवागमन को सुगम बनाने वाला एक 'यात्रा दस्तावेज' है।

वैधानिक स्थिति एवं कानूनी प्रावधान

- पासपोर्ट अधिनियम, 1967:** इसके तहत पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा और पारगमन के लिए अधिकृत एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुर्लभ व विशिष्ट परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी यह जारी किया जा सकता है।

- **नागरिकता का मूल आधार:** संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) और नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण या देशीकरण से तय होती है, न कि किसी पहचान पत्र से।

पासपोर्ट बनाम अन्य पहचान दस्तावेज

- **पहचान बनाम नागरिकता:** आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज केवल पहचान सत्यापित करते हैं, नागरिकता नहीं।
- **कानूनी मान्यता:** हालांकि पासपोर्ट राष्ट्रीयता का एक मजबूत साक्ष्य है, लेकिन कानूनी विवादों में नागरिकता साबित करने के लिए नागरिकता अधिनियम के प्रावधान और मूल अभिलेख ही सर्वोपरि होते हैं।

दिल्ली इंटरनेट शटडाउन और कानूनी स्थिति



चर्चा में क्यों?

- 'कॉकट्रेच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा NEET पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर आयोजित 'चलो संसद' प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं।

इंटरनेट शटडाउन संबंधी कानूनी ढांचा

- **दूरसंचार अधिनियम, 2023:** इसकी धारा 20(2)(b) के अंतर्गत सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा या लोक आपातस्थिति के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों में टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित करने की शक्ति मिलती है।

- दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024: यह नियम निलंबन आदेश जारी करने वाली सक्षम प्राधिकारी, उसकी प्रक्रिया, क्षेत्र और अवधि की सीमा तय करता है।

संवैधानिक और न्यायिक प्रावधान

मौलिक अधिकार:

- अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19(1)(g): व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता, जिसके तहत इंटरनेट बंद होने से डिजिटल अर्थव्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों पर असर पड़ता है।
- अनुच्छेद 21: केरल उच्च न्यायालय (फहीमा शिरीन मामला) ने इंटरनेट तक पहुंच को शिक्षा और निजता के अधिकार से जोड़ते हुए इसे जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है।

- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि इंटरनेट का अनिश्चितकालीन निलंबन असंवैधानिक है।
- **आनुपातिकता का सिद्धांत (Proportionality):** निलंबन आदेश केवल आवश्यकता और आनुपातिकता के मानदंडों पर आधारित होने चाहिए, और यह केवल तभी लागू किए जा सकते हैं जब सार्वजनिक सुरक्षा की अत्यंत गंभीर स्थिति हो।

नियम 176 बनाम नियम 267: संसदीय चर्चा के प्रावधान



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मणिपुर के हालात पर चर्चा के फॉर्मेट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद उभर आए, जहां विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा की मांग करता है, वहीं सरकार नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा चाहती है।

नियम 176 (अल्पकालिक चर्चा)

- परिभाषा: यह किसी तात्कालिक या महत्वपूर्ण विषय पर सदन में संक्षिप्त चर्चा की अनुमति देता है।
- समय सीमा: इस चर्चा की अधिकतम समय सीमा ढाई घंटे की होती है।

- **मतदान का अभाव:** इस नियम के तहत सदन में कोई औपचारिक मतदान नहीं कराया जाता है।
- **सामान्य कामकाज पर प्रभाव:** इससे सदन के सामान्य कामकाज या पूर्व-निर्धारित एजेंडे में कोई बाधा नहीं आती है।

नियम 267 (कार्यवाही का स्थगन)

- **विशेष शक्ति:** यह राज्यसभा सदस्य को सभापति की अनुमति से सदन के पूर्व-निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति देता है।
- **तत्काल विचार:** इसके तहत किसी बेहद जरूरी या आपातकालीन राष्ट्रीय मुद्दे पर तुरंत विचार करने के लिए अन्य सभी सूचीबद्ध कार्य रोक दिए जाते हैं।

- **अंतिम अधिकार:** इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार केवल सभापति के पास होता है।
- **मतदान का प्रावधान:** इस प्रकार की चर्चा के बाद सदन की राय या निर्णय स्पष्ट करने के लिए मतदान की स्थिति भी बन सकती है।

मुख्य अंतर

- **सदन के कामकाज पर असर:** नियम 176 सामान्य कामकाज के साथ-साथ चलता है, जबकि नियम 267 बाकी सारे निर्धारित काम रोक देता है।

- **मतदान:** नियम 176 में मतदान का प्रावधान नहीं है, जबकि नियम 267 के तहत गंभीर मामलों पर सदन की राय और मतदान की संभावना होती है।
- **दुकृष्टिकोण:** सरकार सामान्यतः नियम 176 के तहत संक्षिप्त चर्चा चाहती है, जबकि विपक्ष बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेरने और दबाव बनाने के लिए नियम 267 पर जोर देता है।

पैदल चलने का अधिकार और अनुच्छेद 21



चर्चा में क्यों?

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए निर्धारित फुटपथों पर सुरक्षित रूप से चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह फैसला कर्नाटक में एक दुर्घटना से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान आया।

निर्णय का संवैधानिक और कानूनी आधार

- अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): अदालत ने स्पष्ट किया कि गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार में पैदल चलने वालों की सुरक्षा और सुगम आवागमन का अधिकार भी शामिल है।

- **अनुच्छेद 19:** इसके अंतर्गत देश में सर्वत्र संचरण (आवागमन) की स्वतंत्रता का अधिकार भी इस व्यवस्था को बल देता है।
- **न्यायिक पीठ:** यह फैसला न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ द्वारा दिया गया।

पैदल यात्रियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

- **कानून का अभाव:** पैदल चलने वालों के अधिकारों को विशेष रूप से नियंत्रित करने वाले किसी राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट अभाव है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** शहरों में निरंतर और निर्बाध पैदल मार्गों की कमी है।

- **अतिक्रमण की समस्या:** मौजूदा फुटपथों पर वाहन पार्किंग, स्ट्रीट वेंडर्स, उपयोगिता सेवाओं और निर्माण मलबे का अवैध कब्जा रहता है।
- **वाहन चालकों का दृष्टिकोण:** वाहन चालक अक्सर पैदल यात्रियों को यातायात में बाधा या उपद्रव मानते हैं।

कानूनी और नीतिगत चुनौतियाँ

- **स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014:** इसका उद्देश्य वेंडर्स की सुरक्षा करना है, लेकिन सर्वेक्षण और वेंडिंग ज़ोन के उचित सीमांकन के अभाव में इसे लागू करने में कठिनाई आती है।
- **राज्य की जिम्मेदारी:** केवल अधिकार घोषित करने से काम नहीं चलेगा; इसके लिए राज्य सरकारों को सुरक्षित फुटपाथ और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा।
- **शहरी आधुनिकीकरण और गरीब:** सड़कों को अतिक्रमण-मुक्त करने के अभियानों में अक्सर शहरी गरीबों और फेरीवालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए संतुलित नीति की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक



चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लागू कर दिया है। इसके साथ ही खेल निकायों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भी चर्चा में है, जिसका उद्देश्य खेल प्रशासन को पारदर्शी बनाना और WADA के मानकों का पालन करना है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 की मुख्य विशेषताएं

- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB):** इसकी स्थापना का प्रावधान है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सहित सभी खेल महासंघों की देखरेख करेगा तथा मान्यता प्रदान करेगा।
- **संगठन का ढांचा:** इसके तहत राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण:** खेल संबंधी विवादों के त्वरित समाधान हेतु न्यायाधिकरण का गठन, जिसके दायरे में आने वाले मामलों पर सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

- **चुनावों की निगरानी:** खेल निकायों के चुनावों की पारदर्शी निगरानी के लिए चुनावी अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025 के मुख्य बिंदु

- **परिचालन स्वतंत्रता:** राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी (NADA) और इसके महानिदेशक को खेल महासंघों तथा सरकारी विभागों के हस्तक्षेप से मुक्त कर पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता दी गई है।

- **WADA मानकों के अनुरूप:** विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (WADA) और UNESCO के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के प्रावधानों को भारतीय कानून के साथ पूरी तरह संरेखित किया गया है।
- **स्वतंत्र पैनल:** हितों के टकराव को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ-आधारित अनुशासन और अपील पैनलों का प्रावधान किया गया है।

'एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा नीति ढाँचे' (UNEPPF) का प्रस्ताव



चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने भारत की खंडित ऊर्जा नीतियों को सुदृढ़ करने हेतु 'एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा नीति ढाँचे' का समर्थन किया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत वर्ष 2047 तक 'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' और वर्ष 2070 तक 'नेट-ज़ीरो उत्सर्जन' के अपने दीर्घकालिक संकल्पों की ओर बढ़ रहा है।

एकीकृत नीति (UNEPF) की आवश्यकता क्यों ?

- **प्रशासनिक विखंडन:** भारत का ऊर्जा शासन कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पृथक मंत्रालयों में बंटा हुआ है। इसके कारण नीतियों में दोहराव, नियामक जटिलता और निर्णय लेने में देरी होती है।
- **उच्च आयात निर्भरता:** भारत वर्तमान में अपनी आवश्यकता का 85% से अधिक कच्चा तेल और लगभग 50% प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है, जिससे वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के दौरान देश की राजकोषीय स्थिति प्रभावित होती है।

- **ग्रिड अनिश्चितता:** सौर और पवन ऊर्जा की अनिश्चितता को सँभालने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत भंडारण और पारेषण ढाँचे की आवश्यकता है।
- **DISCOMs का वित्तीय संकट:** राज्य विद्युत वितरण कंपनियाँ उच्च तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे के कारण वित्तीय संकट में हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को भुगतान में देरी होती है।

वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य

- स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।

पंचामृत लक्ष्य समय से पहले हासिल

- वर्ष 2035 तक के नए लक्ष्य (NDC 3.0)
- उत्सर्जन तीव्रता: 2005 के मुकाबले 47% तक कम करना।
- स्वच्छ बिजली: कुल बिजली क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों से पाना।
- कार्बन सिंक: वन क्षेत्र बढ़ाकर 3.5 से 4 अरब टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
- वैश्विक सूचकांक: विश्व आर्थिक मंच (WEF) के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (ETI) में भारत की रैंकिंग में निरंतर सुधार दर्ज किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा प्रस्तावित UNEPF के 4 मुख्य स्तंभ

1. **पर्याप्तता :** AI, डेटा सेंटर और तीव्र शहरीकरण के इस दौर में निर्बाध, ग्रिड-स्तरीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना।
2. **सुलभता:** अंतिम छोर के नागरिक तक स्वच्छ और आधुनिक ऊर्जा नेटवर्क का विस्तार करना।
3. **वहनयोग्यता:** जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय उपभोक्ताओं और उद्योगों पर अनुचित आर्थिक बोझ न पड़ने देना।
4. **अनुकूलित स्थिरता:** भारत के विभिन्न राज्यों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूल 'न्यायसंगत संक्रमण' के मार्ग अपनाना।

प्रमुख सरकारी पहलें

- **विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा:** पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (1 करोड़ घरों का सौरीकरण) और पीएम-कुसुम (कृषि पंपों का सौरीकरण)।
- **भविष्य के ईंधन:** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
- **घरेलू विनिर्माण:** उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल और उन्नत रसायन सेल बैटरी हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं।

आगे की राह

- **एकल ऊर्जा मंत्रालय का गठन:** NITI Aayog के सुझाव के अनुसार, नीतिगत सुसंगतता के लिए सभी ऊर्जा-संबंधित मंत्रालयों को मिलाकर एक एकीकृत 'Ministry of Energy' का गठन किया जाना चाहिए।
- **राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद:** केंद्र और राज्यों के मध्य नीतिगत तालमेल हेतु GST परिषद की तर्ज पर एक वैधानिक संस्था बनाई जाए।

भारत में 'प्लास्टिक करेंसी' (पॉलीमर नोटों) का आगमन



चर्चा में क्यों ?

- RBI ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से देश में पहली बार पॉलीमर (प्लास्टिक) बैंक नोट प्रायोगिक तौर पर जारी करेगा। केंद्र सरकार ने ₹10 और ₹20 के कुल 200 करोड़ नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी है।

'प्लास्टिक करेंसी' के बारे में

- **मूल पदार्थ:** ये नोट बायअक्शियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन (BOPP) नामक पतली, लचीली प्लास्टिक फिल्म से बनते हैं।

- **समानांतर संचलन:** प्लास्टिक नोट मौजूदा कपास-कागज नोटों के साथ एक साथ लीगल टेंडर के रूप में चलेंगे।
- **वॉल्यूम:** 100 करोड़ पीस ₹10 के और 100 करोड़ पीस ₹20 के नोट छापे जाएंगे। कुल 200 करोड़ (2 बिलियन)
- **वैश्विक परिदृश्य:** विश्व के 60+ देश (जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, सिंगापुर) इसका उपयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया (1988) इसे अपनाने वाला पहला देश था।

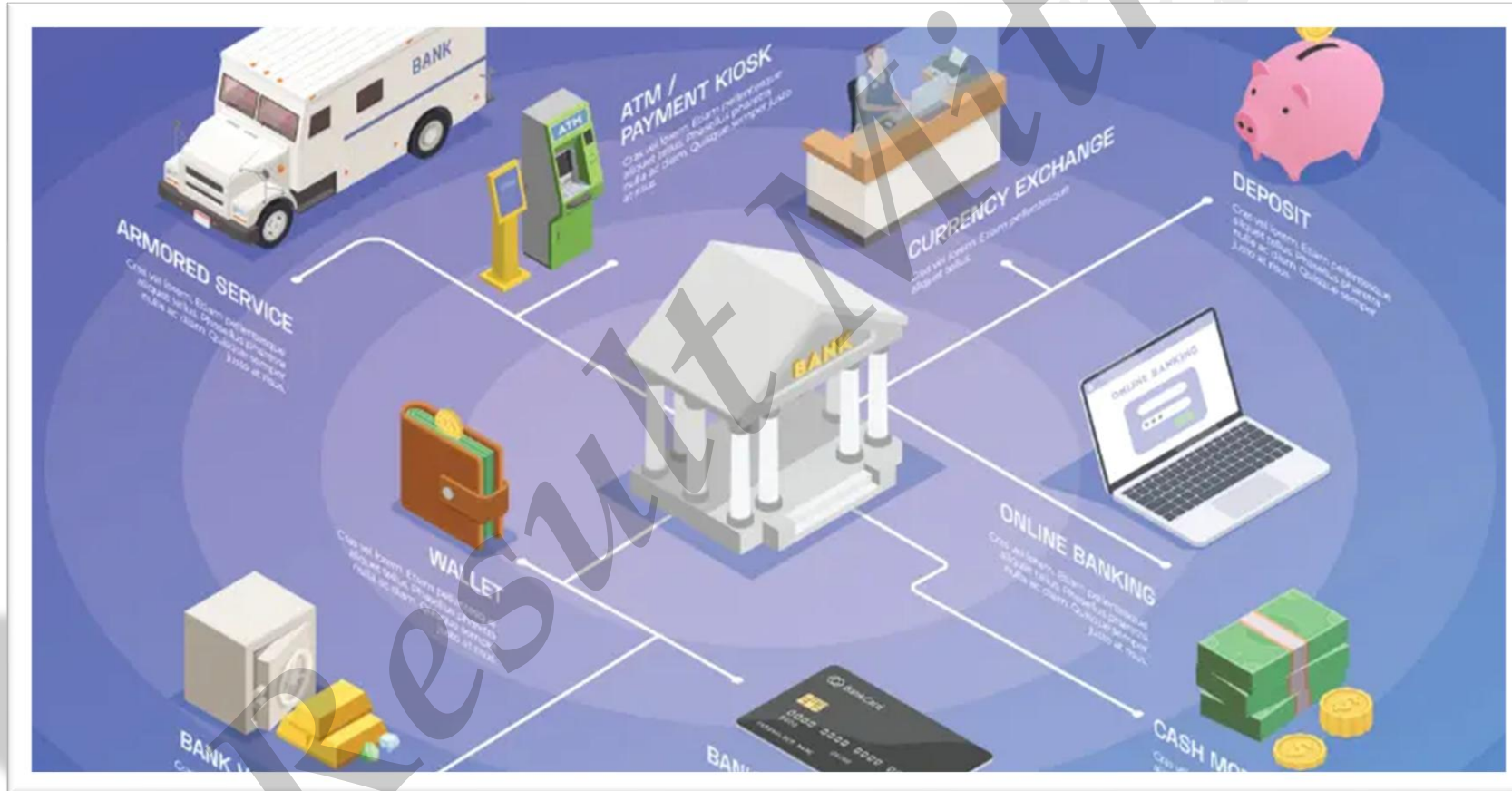
पॉलीमर नोटों के लाभ

- **लंबा जीवनकाल:** कागजी नोटों की तुलना में इनका जीवनकाल 2 से 4 गुना अधिक होता है।
- **स्वच्छ नोट नीति:** ये पानी, तेल और गंदगी प्रतिरोधी होते हैं, जिससे नोट जल्दी खराब नहीं होते।
- **जालसाजी पर रोक:** उन्नत होलोग्राम के कारण नकली नोट बनाना असंभव हो जाता है।
- **लागत प्रभावी:** बार-बार नोट बदलने और नष्ट करने का खर्च बचने से दीर्घकाल में मुद्रा प्रबंधन की लागत घटती है।
- **पुनर्चक्रण :** पुराने हो चुके प्लास्टिक नोटों को रीसायकल किया जा सकता है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **उच्च प्रारंभिक लागत:** पॉलीमर सबस्ट्रेट और विशेष सुरक्षा स्याही के कारण शुरुआती छपाई लागत बहुत अधिक होती है।
- **क्रूड ऑयल पर निर्भरता:** BOPP एक पेट्रोकेमिकल उत्पाद है, अतः कच्चे तेल की कीमतों का असर नोट निर्माण लागत पर पड़ेगा।
- **ढांचागत बदलाव:** बैंकों की नोट सॉर्टिंग मशीनों, एटीएम और वेंडिंग मशीनों को इन नोटों के अनुसार री-कैलिब्रेट करना होगा।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS)



चर्चा में क्यों?

- आरबीआई द्वारा जुलाई 2026 में जारी नए निर्देशों के अनुसार, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को अपने पूरे तंत्र को उन्नत CBS मॉडल पर लाना अनिवार्य किया गया ताकि वित्तीय धोखाधड़ी और जोखिमों को रीयल-टाइम ट्रैक किया जा सके।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में

- कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक सेंटरलाइज्ड नेटवर्क है जो बैंक की सभी शाखाओं को आपस में जोड़ता है। इसके तहत ग्राहक दुनिया के किसी भी कोने से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएं

- बैंक शाखाओं का एक ऐसा नेटवर्क जो सभी ऑपरेशन्स को एक केंद्रीकृत डेटाबेस से जोड़ता है।
- **CORE का पूरा नाम:** ट्रलाइज्ड ऑनलाइन रीयल-टाइम एक्सचेंज।
- **कार्यप्रणाली:** सभी ट्रांजैक्शन केवल स्थानीय शाखा में नहीं, बल्कि सीधे केंद्रीय सर्वर पर रीयल-टाइम में अपडेट होते हैं।
- **ग्राहक की स्थिति:** ग्राहक किसी विशेष शाखा का न रहकर, पूरे बैंक का ग्राहक बन जाता है।

विशेषताएं

- **केंद्रीकृत डेटाबेस:** विभिन्न शाखाओं के बीच डेटा के अलगाव को समाप्त करता है।
- **रीयल-टाइम प्रोसेसिंग:** पैसे निकालने, जमा करने या ट्रांसफर करने पर बैलेंस तुरंत अपडेट होता है।
- **एनीव्हेयर बैंकिंग:** एटीएम, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कहीं से भी बैंकिंग संभव।
- **इंटरऑपरेबिलिटी:** बैंकों के भीतर और आपस में फंड ट्रांसफर (NEFT, RTGS, IMPS) को आसान बनाता है।

नीतियां

- **डाकघर एकीकरण:** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक खातों को CBS नेटवर्क से जोड़ा है।
- **ई-कुबेर प्लेटफॉर्म:** यह आरबीआई का अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, जिसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की नीलामी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और संप्रभु लेनदेन के लिए किया जाता है।
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी:** डिजिटल रुपया (e-Rupee) के पायलट प्रोजेक्ट्स केंद्रीकृत बहीखातों का उपयोग करते हैं जो मौजूदा वाणिज्यिक CBS आर्किटेक्चर के साथ इंटरफेस करते हैं।

लाभ

- **ग्राहकों के लिए:** 24/7 बैंकिंग पहुंच मिलती है, लेनदेन का समय कम होता है और तत्काल मनी ट्रांसफर संभव होता है।
- **बैंकों के लिए:** परिचालन लागत कम होती है, तेज रिपोर्टिंग संभव है और केंद्रीकृत जोखिम प्रबंधन आसान होता है।
- **RBI के लिए:** NPA की रीयल-टाइम निगरानी की जा सकती है और वित्तीय धोखाधड़ी पर तुरंत रोक लगाई जा सकती है।
- **सरकार के लिए:** जनधन खातों में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का सुचारू और पारदर्शी कार्यान्वयन संभव होता है।

चुनौतियाँ

- **साइबर सुरक्षा:** डेटा एक जगह केंद्रित होने से बड़े डेटा ब्रीच और रैनसमवेयर हमलों का खतरा बढ़ जाता है।
- **डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर कनेक्टिविटी के कारण CBS का काम ठप हो जाता है।
- **सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर:** यदि Central Server डाउन हो जाए, तो पूरा बैंकिंग नेटवर्क रुक जाता है।

भारत दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण देश



चर्चा में क्यों ?

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत 35.4% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण (Ship Recycling) देश बन गया है।

भारत की सफलता के मुख्य कारण

- **ग्रीन यार्ड्स का विकास:** जहाजों के पर्यावरण-अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक संधि 'हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (HKC)' जून 2025 से लागू हुई थी। भारत ने समय रहते अपने 115 से अधिक रीसाइक्लिंग यार्डों को HKC के अनुरूप अपग्रेड कर दिया है।

- **मजबूत नीतिगत ढांचा:** जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 और हाल ही में लागू जहाज पुनर्चक्रण विनियम, 2026 ने परिचालन सुरक्षा और कड़े पर्यावरणीय मानकों को सुनिश्चित किया है।
- **क्रेडिट नोट योजना:** सरकार पर्यावरण-अनुकूल रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कैप मूल्य के 40% के बराबर का क्रेडिट नोट दे रही है, जिसका उपयोग घरेलू स्तर पर नए जहाजों के निर्माण में किया जा सकता है।
- **अलंग-सोसिया हब:** गुजरात का अलंग क्लस्टर भारत की 97% रीसाइक्लिंग गतिविधियों को संभालते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है।

रणनीतिक और आर्थिक महत्व

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था:** पुनर्चक्रित स्टील भारत के घरेलू उद्योगों को सस्ता कच्चा माल प्रदान करता है, जिससे महंगे लौह अयस्क के आयात पर निर्भरता कम होती है।
- **रोजगार और राजस्व:** तटीय क्षेत्रों में परिवहन, री-रोलिंग मिलों और अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार पैदा होते हैं।
- **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** प्राथमिक स्टील उत्पादन की तुलना में रीसायकल किए गए स्टील के निर्माण में काफी कम ऊर्जा लगती है, जो भारत के नेट-ज़ीरो 2070 के लक्ष्य का समर्थन करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **कम टन भार क्षमता :** जहाजों की संख्या में नंबर-1 होने के बावजूद, वैश्विक पुनर्चक्रित टन भार का केवल 13% ही भारत संभालता है। भारत में अभी भी मुख्य रूप से छोटे जहाजों को ही तोड़ा जाता है।
- **कमजोर जहाज निर्माण क्षेत्र:** भारत वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में 1% से भी कम हिस्सेदारी के साथ 18वें स्थान पर है, जिससे रीसाइक्लिंग क्रेडिट नोट योजना का पूरा आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- **सुरक्षा जोखिम:** समुद्र तटों पर जहाजों को खींचकर तोड़ने की विधि (Beaching Method) के कारण तटीय पर्यावरण और श्रमिकों के स्वास्थ्य पर जोखिम अभी भी बना रहता है।

रुपये का अवमूल्यन (Rupee Undervaluation)



- हाल ही में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया कि मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियादी ढांचे के बावजूद वैश्विक दबावों के कारण भारतीय रुपया इस समय 'अंडरवैल्यू' (अपनी असली कीमत से कमजोर) है। वर्ष 2026 में अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी निकासी के चलते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया ₹95.21 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुँच गया है।

अंडरवैल्यूएशन' का अर्थ

- **अंडरवैल्यू का अर्थ:** जब किसी देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य उसकी आर्थिक वास्तविक क्षमता से जानबूझकर या बाजार के बाहरी दबावों के कारण कम आंका जाता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है।
- **आरबीआई की भूमिका और तंत्र:** केंद्रीय बैंक बाजार से विदेशी मुद्रा (डॉलर) खरीदकर और रुपया बेचकर विनिमय दर को नियंत्रित करता है, जिससे बाजार में डॉलर की मांग और रुपये की आपूर्ति बढ़ती है।
- **फॉरेक्स रिजर्व पर प्रभाव:** इस हस्तक्षेप का सीधा परिणाम यह होता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ता है।

मापने के प्रमुख पैमाने (NEER और REER)

- NEER (अंकित प्रभावी विनिमय दर - Nominal Effective Exchange Rate):
- यह भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के सापेक्ष रुपये का व्यापार-भारित औसत है।
- यह केवल अंकित मूल्य को मापता है और देशों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर को शामिल नहीं करता है।

REER (वास्तविक प्रभावी विनिमय दर - Real Effective Exchange Rate):

- यह NEER का मुद्रास्फीति-समायोजित रूप है, जो विभिन्न देशों के बीच मूल्य स्तरों/मुद्रास्फीति के अंतर को समायोजित कर देश की वास्तविक बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता को मापता है।
- यदि **REER > 100**: मुद्रा अधिमूल्यित (Overvalued) है (निर्यात महंगा, आयात सस्ता)।
- यदि **REER < 100**: मुद्रा अवमूल्यित (Undervalued) है (निर्यात प्रतिस्पर्धी/सस्ता)।

गिरावट के मुख्य कारण:

- **भू-राजनीतिक तनाव:** अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल के दामों में वृद्धि और आयात बिल बढ़ना।
- **FII's की बिकवाली:** वैश्विक अनिश्चितता के कारण विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों से पूंजी निकालना।
- **सुरक्षित पनाहगाह :** निवेशकों द्वारा अमेरिकी डॉलर में भारी निवेश करना।

- **नकारात्मक:** आयातित मुद्रास्फीति (कच्चा तेल व इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होना), खुदरा महंगाई में वृद्धि, और विदेशी कर्ज का महंगा होना।
- भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ (6% से अधिक) और नियंत्रित मुद्रास्फीति यह दर्शाती है कि रुपये में आई हालिया कमजोरी आंतरिक कमजोरियों के कारण नहीं, बल्कि बाहरी भू-राजनीतिक कारणों से उपजी है।

8 कोर उद्योगों से बढ़कर 9 कोर उद्योग



चर्चा में क्यों?

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के 'उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (DPIIT) के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने कोर उद्योगों के सूचकांक में बड़ा संशोधन किया है। हाल ही में 'लौह अयस्क' को 9वें मुख्य उद्योग के रूप में शामिल किया गया है, तथा सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है।

प्रमुख विवरण :

- **IIP में हिस्सेदारी:** नए संशोधित सूचकांक के तहत ये 9 कोर उद्योग सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का 32.88% हिस्सा कवर करते हैं (जबकि पुरानी श्रृंखला में 8 उद्योगों का कुल भारांक 40.27% था)।

9 कोर उद्योगों का भारांक और घटता हुआ क्रम:

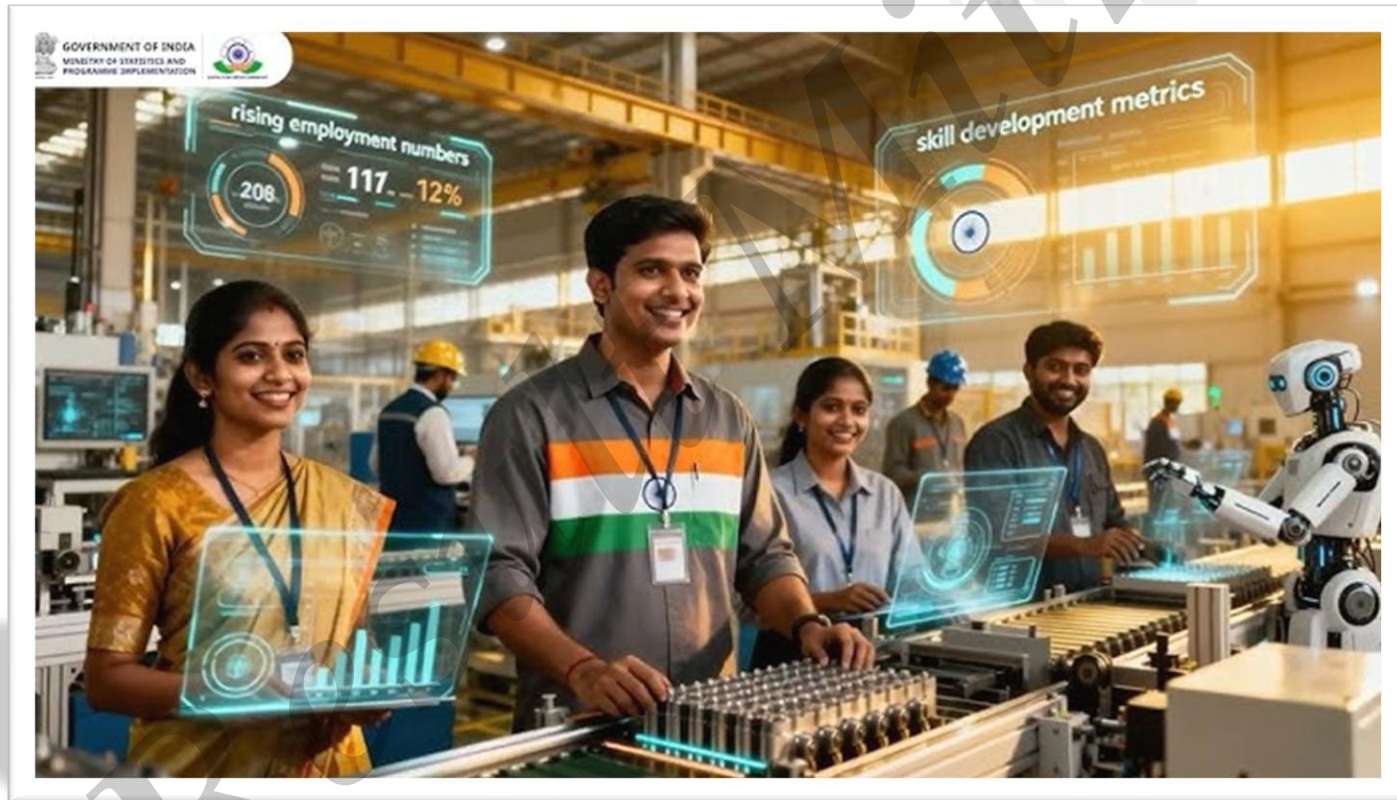
1. विद्युत: 30.93% (सर्वाधिक भार)
2. रिफाइनरी उत्पाद: 22.57%
3. इस्पात: 17.58%
4. कच्चा तेल: 7.43%
5. कोयला: 5.59%
6. लौह अयस्क (नया): 4.90%
7. सीमेंट: 4.41%
8. प्राकृतिक गैस: 3.84%
9. उर्वरक: 2.73% (न्यूनतम भार)

- **दोहरी गणना पर रोक:** डेटा की सटीकता बढ़ाने के लिए नई श्रृंखला में केवल 'कच्चे कोयले' को शामिल रखा गया है; 'कोयला मिडलिंग' और 'वाश्ट कोयला' को बाहर कर दिया गया है।
- **लिंकिंग फैक्टर:** पुरानी और नई श्रृंखला के बीच डेटा निरंतरता बनाए रखने हेतु 1.47 का लिंकिंग फैक्टर लागू किया गया है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

- **आधुनिक उपभोग पैटर्न:** दशक भर में बुनियादी ढाँचे व स्टील/ऊर्जा उपभोग में आए बदलावों को दर्ज करना।
- **लौह अयस्क की महत्ता:** इस्पात के मुख्य घटक के रूप में देश के वास्तविक औद्योगिक स्वास्थ्य के सटीक आकलन हेतु।
- **IIP से सामंजस्य:** इस्पात गणना में 'नेट' के स्थान पर 'ग्रॉस उत्पादन' डेटा का उपयोग।

सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Services Production)



चर्चा में क्यों?

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2026 में भारत के पहले सेवा उत्पादन सूचकांक का ट्रायल एडिशन (अप्रैल 2026 के डेटा के लिए) जारी किया है। यह सूचकांक देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का मासिक और अल्पकालिक आकलन प्रदान करेगा।

मुख्य विवरण:

- **जारीकर्ता मंत्रालय:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)।
- **आधार वर्ष:** 2024-25
- **प्रकाशन आवृत्ति:** यह मासिक रूप से जारी होगा, जिसका प्रकाशन 60 दिनों के समय-अंतराल के साथ प्रत्येक माह की 29 तारीख को 'e-Sankhyiki' पोर्टल पर किया जाएगा।
- **कवर क्षेत्र और उप-क्षेत्र:** इसमें सेवा क्षेत्र के 19 औपचारिक उप-क्षेत्र (जैसे खुदरा व्यापार, रियल एस्टेट, दूरसंचार, आवास और भोजन सेवा आदि) शामिल हैं, जो कुल सेवा क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा कवर करते हैं।

- **शीर्ष वृद्धि वाले क्षेत्र (अप्रैल 2026):** आवास और खाद्य सेवा (37.2%) और खुदरा व्यापार (30.8%) ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।
- **सूचकांक सूत्र:** यह फिक्स्ड-वेट लास्पेयरेस वॉल्यूम इंडेक्स पर आधारित है, जिसमें सकल मूल्य संवर्धन (GVA) के आधार पर भारांश दिए गए हैं।

IIP बनाम ISP:

- **IIP:** केवल खनन, विनिर्माण और बिजली (औद्योगिक क्षेत्र) के भौतिक उत्पादन को मापता है।
- **ISP:** केवल औपचारिक सेवा क्षेत्र के वास्तविक आउटपुट को मापता है।

इस सूचकांक की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- **सांख्यिकीय अंतर को भरना:** सेवा क्षेत्र भारत के सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में 50% से अधिक योगदान देता है, लेकिन इसके वास्तविक अल्पकालिक विकास को मापने के लिए अब तक कोई आधिकारिक मासिक सूचकांक उपलब्ध नहीं था।
- **परोक्ष संकेतकों पर निर्भरता कम करना:** अब तक नीति निर्माता केवल अप्रत्यक्ष संकेतकों जैसे PMI, GST संग्रह, हवाई यात्री यातायात या बैंक क्रेडिट पर निर्भर रहते थे। ISP से प्रत्यक्ष और सटीक डेटा उपलब्ध होगा।

विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax)



चर्चा में क्यों?

- पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक कच्चे तेल में अस्थिरता के बीच, भारत सरकार ने समय-समय पर बदलते भू-राजनीतिक हालात और तेल की कीमतों के आधार पर डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगाने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) यानी विंडफॉल टैक्स में बदलाव और अंततः इसके उन्मूलन तक के कदम उठाए हैं।

विंडफॉल टैक्स के बारे में

- **परिभाषा:** जब किसी कंपनी या उद्योग को उसकी अपनी किसी व्यावसायिक रणनीति, निवेश या उत्पादकता में वृद्धि के बिना, बल्कि बाहरी कारकों (जैसे- युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा या वैश्विक संकट) के कारण अचानक अत्यधिक और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ होता है, तो उसे 'विंडफॉल गेन' कहते हैं। इस असाधारण मुनाफे पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विशेष कर को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।

- **वैधानिक आधार:** भारत में यह टैक्स 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944' के तहत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है।
- **प्रकृति:** भारत में इस टैक्स की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन में वैश्विक तेल कीमतों के आधार पर की जाती है।

उदाहरण से समझें

- यदि वैश्विक तनाव के कारण डीजल की कीमत 70 डॉलर/बैरल से बढ़कर 120 डॉलर/बैरल हो जाती है, तो रिफाइनरी कंपनियां बिना किसी अतिरिक्त लागत के 50 डॉलर/बैरल का भारी मुनाफा कमाने लगती हैं। इस स्थिति में कंपनियां घरेलू आपूर्ति छोड़कर निर्यात को प्राथमिकता देती हैं। सरकार इसी अतिरिक्त मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाकर निर्यात को हतोत्साहित और घरेलू उपलब्धता को सुनिश्चित करती है।

कर लगाने के मुख्य कारण

- **घरेलू ईंधन सुरक्षा:** कंपनियों को घरेलू बाजार की अनदेखी कर केवल निर्यात से मुनाफा कमाने से रोकना।
- **राजस्व पुनर्वितरण:** अत्यधिक निजी लाभ का एक हिस्सा जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए जुटाना।
- **राजकोषीय संतुलन:** सब्सिडी और आर्थिक दबावों के बीच सरकारी राजस्व को सहारा देना।
- सरकार उस अतिरिक्त लाभ पर लगाए गए कर से अर्जित राजस्व का उपयोग सरकारी परियोजनाओं को फंड देने, घाटे को कम करने या धन को पुनर्वितरित करने के लिए करती है।

इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट



चर्चा में क्यों ?

- यह रिपोर्ट नई दिल्ली में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड' के सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ (CTIL) और कॉम्पेटियर फाउंडेशन फॉर ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बाधित करने वाले कारकों को कम करना तथा उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

भारत की रैंकिंग और प्रदर्शन:

- **मूल्यांकन पैमाना:** यह रिपोर्ट देशों के सुधार प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स (MDPI) का उपयोग करती है।
- **वैश्विक रैंकिंग में छलांग:** वर्ष 2010 से 2023 के बीच संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा-समर्थक सुधारों के कारण भारत वैश्विक रैंकिंग में 82वें स्थान से सुधरकर 57वें स्थान पर पहुँच गया है।
- **कुल प्रगति:** भारत ने अपनी बाजार विकृतियों को दूर करने और संस्थागत माहौल को बेहतर बनाने में कुल 25 स्थानों की प्रगति दर्ज की है।

सूचकांक के तीन मुख्य स्तंभ:

- यह सूचकांक निम्नलिखित तीन व्यापक आर्थिक स्तंभों पर आधारित है:
- **संपत्ति अधिकारों का संरक्षण:** देश में बौद्धिक संपदा और कानूनी स्वामित्व की सुरक्षा का आकलन।
- **घरेलू प्रतिस्पर्धा:** आंतरिक बाजार के नियमन और व्यावसायिक सुगमता को मापना (भारत ने इस स्तंभ में सबसे बेहतर सुधार दर्ज किया है)।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा:** वैश्विक व्यापार, सीमा शुल्क और विदेशी निवेश के प्रति खुलेपन का मूल्यांकन।

भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र



चर्चा में क्यों ?

- भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा 'हाई सीज़' (गहरे समुद्र) में मत्स्य पालन के सतत और विनियमित दोहन के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से भारतीय जहाजों को देश के समुद्री क्षेत्र से बाहर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने की कानूनी अनुमति दी जाती है।

मात्स्यिकी क्षेत्र सम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरण

- वैश्विक हिस्सेदारी और रैंकिंग: भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 7.96% से 8% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है।

उत्पादन के आंकड़े:

- कुल वार्षिक मछली उत्पादन रिकॉर्ड 197.75 लाख टन (FY 2024-25) तक पहुँच गया है (जो FY 2013-14 के 95.79 लाख टन से 106% की वृद्धि दर्शाता है)।
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन का योगदान लगभग 75% है, जबकि समुद्री मत्स्य पालन का योगदान 25% है।
- **भौगोलिक विस्तार:** भारत के पास 11,099 किमी से अधिक लंबी तटरेखा और लगभग 24 लाख वर्ग किमी का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है।

आर्थिक और कृषि मूल्य:

- कृषि GVA: यह क्षेत्र भारत के कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 7.43% का योगदान देता है।
- राष्ट्रीय जीडीपी: देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान लगभग 1.07% है।
- समुद्री खाद्य निर्यात: यह बढ़कर ₹62,408 करोड़ हो गया है, जिसमें फ्रोजन झींगा का योगदान सबसे अधिक (लगभग 50% से 70%) है (USA और चीन प्रमुख आयातक हैं)।
- रोजगार और आजीविका: यह क्षेत्र देश में लगभग 3 करोड़ (तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 लाख से अधिक मछुआरों सहित) लोगों की आजीविका का समर्थन करता है।

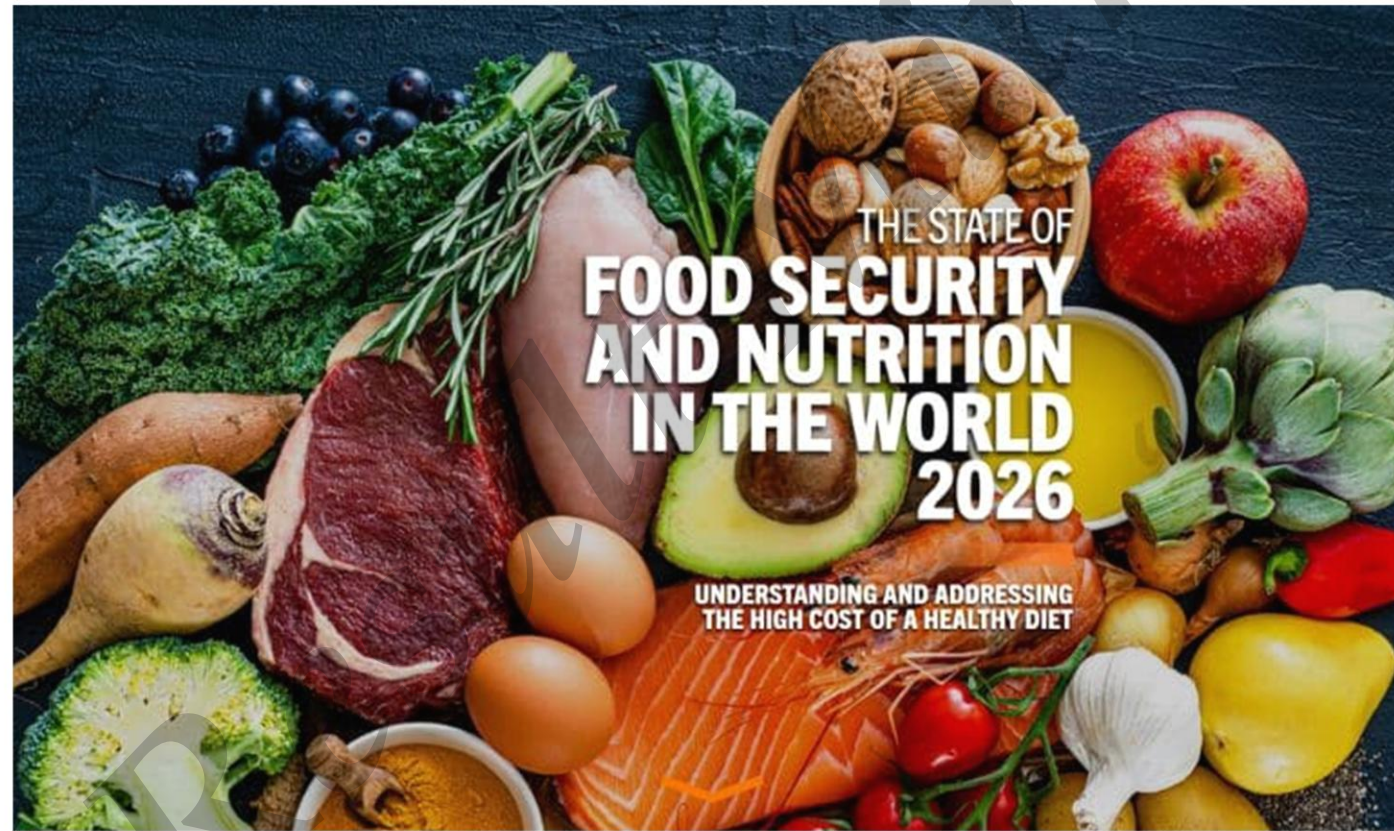
राज्य-वार प्रदर्शन:

कुल उत्पादन में शीर्ष राज्य:

1. आंध्र प्रदेश (प्रथम स्थान)
 2. पश्चिम बंगाल (द्वितीय स्थान)
- केवल समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष: गुजरात भारत में पहले स्थान पर है।
 - सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उपभोग: देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मछली की सबसे अधिक खपत त्रिपुरा राज्य में (लगभग 29.29 किलोग्राम) दर्ज की गई है।

अर्थव्यवस्था (Economy)

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति" (The State of Food Security and Nutrition in the World - SOFI) 2026



चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र की फ्लैगशिप रिपोर्ट "विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति" (SOFI) 2026 को जुलाई के अंत में जारी किया गया है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर भुखमरी, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट जारी करने वाली प्रमुख एजेंसियाँ:

- यह रिपोर्ट किसी एक संस्था द्वारा नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की 5 विशिष्ट एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है:
1. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)
 2. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)
 3. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)
 4. विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)
 5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

वैश्विक निष्कर्ष एवं आंकड़े:

- **शीर्ष भूखा महाद्वीप बदला:** इतिहास में पहली बार अफ्रीका ने एशिया को पीछे छोड़ दिया है और वह दुनिया में सबसे अधिक भूखी आबादी वाला महाद्वीप बन गया है।
- **भूख में वैश्विक गिरावट:** वैश्विक स्तर पर भूख के स्तर में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में वैश्विक आबादी का 7.8% हिस्सा भुखमरी से प्रभावित था (जो 2022 के 8.6% से कम है)।
- **अल्पपोषण (Undernourishment):** वैश्विक स्तर पर सुधार के बावजूद अभी भी दुनिया के लगभग 645 मिलियन लोग अल्पपोषित हैं।

- **स्वस्थ आहार का संकट:** दुनिया के करीब 2.7 अरब लोग आज भी स्वस्थ और पौष्टिक आहार खरीदने में असमर्थ हैं (अफ्रीका में 66.6% आबादी इसे वहन नहीं कर पाती)।

भारत से संबंधित प्रमुख बिंदु और आंकड़े:

- **दक्षिण एशिया में सुधार:** दक्षिण एशिया में भुखमरी की दर को 13.9% (2021) से घटाकर 9.3% (2025) पर लाने में भारत की कल्याणकारी योजनाओं ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है।
- **अल्पपोषित आबादी:** भारत में अल्पपोषित लोगों की संख्या घटकर 142.5 मिलियन (कुल आबादी का 9.8%) रह गई है, जो 2004-06 में 21.1% थी।

स्वस्थ आहार की लागत और असमर्थता:

- भारत में एक स्वस्थ आहार की लागत बढ़कर 4.11 PPP डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है (2017 की तुलना में 48% अधिक)।
- भारत की लगभग 35.5% आबादी (520.1 मिलियन लोग) आज भी स्वस्थ और संतुलित आहार खरीदने में असमर्थ है।
- **कुपोषण के संकेतक:** भारत में बच्चों में स्टंटिंग (नाटापन) घटकर 32.9% हो गई है, लेकिन वेस्टिंग (सूखापन) अभी भी 18.7% पर गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही महिलाओं में एनीमिया और वयस्कों में मोटापा बढ़ा है।

रिपोर्ट का मुख्य नीतिगत सुझाव :

- **पोषण-संवेदनशील नीतियाँ:** सरकारों को केवल 'कैलोरी-केंद्रित' (अनाज वितरण) नीतियों से आगे बढ़कर 'पोषण-संवेदनशील' (विशिष्ट पोषक तत्व और विविधता) खाद्य प्रणालियों की ओर बढ़ना होगा।
- **मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण:** इसके लिए कृषि में फलों, सब्जियों और दालों की मूल्य श्रृंखला (Value Chain) को मजबूत करना और किफायती दरों पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

अर्थव्यवस्था (Economy)

निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index – IFI)



चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने जुलाई 2026 में देश का पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI) जारी किया है। केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित यह स्वदेशी ढाँचा विश्व बैंक के बंद हो चुके 'डूइंग बिजनेस' फ्रेमवर्क के स्थान पर तैयार किया गया है, जो सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों की निवेश तत्परता का मूल्यांकन करता है।

मुख्य विवरण एवं कार्यप्रणाली:

- **पृष्ठभूमि:** इसकी अवधारणा नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में सामने आई थी।
- **मूल्यांकन का दायरा:** देश के सभी 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश।
- **संकेतक और सर्वेक्षण:** इसमें 84 वस्तुनिष्ठ संकेतक (माध्यमिक आंकड़े + निवेशक धारणा) तथा 1,850 से अधिक सक्रिय निवेशकों की प्राथमिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया गया है।

मूल्यांकन के आठ मुख्य स्तंभ और भारांक:

1. बुनियादी ढाँचा (25% भार): रसद, विद्युत आपूर्ति और डिजिटल कनेक्टिविटी।
2. व्यावसायिक वातावरण (20% भार): एकल खिड़की स्वीकृति और संचालन सुगमता।
3. संसाधन (15% भार): औद्योगिक भूमि, श्रमिक और कच्चा माल।
4. नियामकीय सुगमता (12% भार): अनुपालन और प्रशासनिक बाधाओं में कमी।
5. सरकारी नीति (10% भार): नीतिगत स्थिरता और स्पष्टता।
6. वित्तीय स्वास्थ्य (7% भार): राजकोषीय अनुशासन।
7. संस्थागत वातावरण (6% भार): पारदर्शिता और शासन की गुणवत्ता।
8. पर्यावरणीय स्थिरता: पारिस्थितिक और जलवायु-संवेदनशील योजना।

प्रदर्शन का वर्गीकरण (स्क्रीमिंग श्रेणियाँ):

- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: > 50 अंक
- अग्रणी प्रदर्शनकर्ता: 45–50 अंक
- उभरते प्रदर्शनकर्ता: 40–45 अंक
- आकांक्षी राज्य: < 40 अंक

IFI 2026 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष (रैंकिंग):

समग्र शीर्ष-5 राज्य:

1. गुजरात (56.6 अंक)
2. महाराष्ट्र (53.7 अंक)
3. तमिलनाडु (53.3 अंक)
4. गोवा (53.1 अंक)
5. ओडिशा (52.4 अंक)

श्रेणी-वार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:

- बड़े राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु।
- पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्य: उत्तराखंड (प्रथम), असम, और हिमाचल प्रदेश।
- केंद्रशासित प्रदेश / नगर राज्य: दिल्ली एवं चंडीगढ़ (तथा गोवा समग्र सूची में भी अग्रणी)।

प्रमुख राज्यों की सफलता के विशिष्ट कारक:

- गुजरात: बंदरगाह टर्नअराउंड समय, प्रतिस्पर्धी विद्युत क्षेत्र, देश के कुल व्यापारिक निर्यात में ~31% योगदान, और न्यूनतम राजकोषीय घाटा-से-GSDP अनुपात (FY24 तक 2.81%)।

- **महाराष्ट्र:** देश के कुल निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल निवेश का सर्वाधिक हिस्सा (~35%), और सबसे अधिक अटल टिकरिंग लैब्स।
- **तमिलनाडु:** बुनियादी ढांचा और व्यावसायिक वातावरण में अग्रणी, लगभग 100% MoU रूपांतरण दर।
- **गोवा:** छोटे राज्यों/UTs में संसाधन और नियामक सुगमता में अग्रणी, तथा नवीकरणीय ऊर्जा का व्यापक समावेशन।
- निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI) व्यवसाय सुगमता की पारंपरिक रैंकिंग प्रणाली से आगे बढ़कर राज्यों के निवेश पारिस्थितिकी तंत्र का सतत मूल्यांकन करने वाला एक व्यापक एवं प्रमाण-आधारित सुधार तंत्र स्थापित करता है।

भारत का जून 2026 व्यापार घाटा



चर्चा में क्यों?

- जून 2026 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा सालाना आधार पर 59% बढ़कर \$30.43 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कच्चे तेल, सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महंगे आयातों के कारण हुई है।

व्यापार घाटा सम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरण :

- **व्यापार घाटा:** जून 2026 में यह बढ़कर \$30.43 अरब डॉलर (पाँच महीने का उच्च स्तर) हो गया है, जबकि जून 2025 में यह \$19.10 अरब डॉलर और मई 2026 में \$28.21 अरब डॉलर था।

- **वस्तु निर्यात:** जून 2026 में निर्यात 15.5% की वृद्धि के साथ \$40.41 अरब डॉलर रहा (मई में यह \$45.20 अरब डॉलर था)। इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र रहे।
- **वस्तु आयात :** कुल वस्तु आयात 31% उछलकर \$70.84 अरब डॉलर पर पहुँच गया (मई में यह \$73.41 अरब डॉलर था)।

प्रमुख आयात चालक:

- कच्चे तेल और मूल्यवान धातुओं (जैसे सोना) की वैश्विक कीमतों में तेजी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य विनिर्माण इनपुट की बढ़ती घरेलू माँग।
- **सकारात्मक पहलू :** सेवाओं के व्यापार में मजबूत अधिशेष ने देश के समग्र बाह्य संतुलन को सहारा दिया है।

व्यापार घाटा बढ़ने के मुख्य कारण:

- **उच्च आयात लागत:** भारत अपनी ऊर्जा और विनिर्माण आवश्यकताओं के लिए कच्चे तेल, मशीनरी और औद्योगिक कच्चे माल के आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
- **निर्यात गति में सुस्ती:** मई की तुलना में जून में निर्यात की मात्रा और मूल्य में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
- **वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ:** भू-राजनीतिक तनाव, उच्च मुद्रास्फीति और प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सुस्त विकास दर के कारण वैश्विक माँग में अनिश्चितता बनी हुई है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- **चालू खाता घाटा (CAD):** बढ़ते व्यापार घाटे से देश के चालू खाता घाटे पर दबाव बढ़ सकता है, जब तक कि इसे सेवा निर्यात और प्रेषण (Remittances) द्वारा संतुलित न किया जाए।
- **मुद्रा और विनिमय दर:** आयात बिल बढ़ने से विदेशी मुद्रा की (विशेषकर डॉलर की) माँग बढ़ती है, जिससे यदि पूंजी प्रवाह मजबूत न हो तो रुपये के मूल्य पर दबाव पड़ता है।
- **मुद्रास्फीति का जोखिम:** कच्चे तेल और औद्योगिक इनपुट जैसी आवश्यक वस्तुओं के महंगे होने से घरेलू उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे खुदरा महंगाई (Inflation) की चिंता पैदा होती है।

गगनयान मिशन: भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम



चर्चा में क्यों?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम 'गगनयान मिशन' को वर्ष 2026 तक प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत 3 सदस्यीय दल को 400 किमी की निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में 3 दिवसीय मिशन पर भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा।

मुख्य बिन्दु:

- **संरचना एवं चरण:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा 2 मानवरहित मिशन (जिसमें महिला हाफ-ह्यूमनॉइड रोबोट 'व्योममित्रा' को भेजा जाएगा) और 1 मानवयुक्त मिशन को मंजूरी दी गई है।

- **प्रक्षेपण यान:** मिशन के लिए इसरो के सबसे भारोसेमंद रॉकेट LVM3 (पूर्व में GSLV Mk III) को पुनः कॉन्फ़िगर करके मानव-रेटेड (Human-Rated) बनाया गया है।

कक्षीय मॉड्यूल (Orbital Module): इसमें दो मुख्य भाग होंगे:

- **क्रू मॉड्यूल (CM):** अंतरिक्ष यात्रियों के रहने हेतु दोहरी दीवार वाली कठोर संरचना, जिसमें पृथ्वी जैसा वातावरण, जीवन रक्षक प्रणाली और री-एंट्री (पुनः प्रवेश) तकनीक शामिल है।

- **सर्विस मॉड्यूल (SM):** प्रणोदन, तापीय और विद्युत प्रणालियों के माध्यम से क्रू मॉड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करने वाली गैर-दबावयुक्त संरचना।
- **सुरक्षा एवं प्रशिक्षण:** आपात स्थिति से निपटने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम (CES) और 'फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन-1 (TV-D1)' का सफल परीक्षण किया जा चुका है। अंतरिक्ष यात्रियों को बेंगलुरु स्थित केंद्र में पैराबोलिक उड़ानों, एरो-मेडिकल और सर्वाइवल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

महत्व/विश्लेषण:

- वैश्विक साख: इस मिशन की सफलता के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।
- वैज्ञानिक अनुसंधान: सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (Microgravity) वातावरण में किए जाने वाले प्रयोगों से चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों को बढ़ावा मिलेगा।
- कूटनीतिक एवं आर्थिक लाभ: अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूती मिलेगी, भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों (Deep Space Exploration) की नींव मजबूत होगी, तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में रोजगार एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

अतिरिक्त जानकारी:

- पैड एबॉर्ट टेस्ट (PAT) एवं IADT: मंदी प्रणाली (पैराशूट्स) और लॉन्च पैड पर आपातकालीन बचाव क्षमताओं के सटीक मूल्यांकन हेतु भारतीय वायु सेना और नौसेना के सहयोग से विशेष परीक्षण आयोजित किए गए हैं।

गगनयान मिशन: SOLVE रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण



चर्चा में क्यों?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 'सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स' (SOLVE) की सॉलिड मोटर का पहला जमीनी स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह वाहन गगनयान क्रू मॉड्यूल की मंदी प्रणाली (Deceleration System) के परीक्षण हेतु विकसित किया जा रहा है।

मुख्य बिन्दु:

- **SOLVE का उद्देश्य:** गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की मंदी प्रणाली और पैराशूट परीक्षणों के सत्यापन हेतु एक ठोस मोटर आधारित सब-ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान विकसित करना।
- **परीक्षण की कार्यप्रणाली:** SOLVE अभियानों के दौरान क्रू मॉड्यूल को 10–17 किमी की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा, जहां से अलग होकर समुद्र में उतरने से पहले इसकी गति को धीमा करने के लिए कुल 10 पैराशूट तैनात किए जाएंगे।

तकनीकी विशेषताएं:

- SOLVE का सॉलिड स्टेज PSLV स्ट्रैप-ऑन मोटर पर आधारित है।
- इसमें गगनयान की आवश्यकताओं के अनुरूप धीमी गति से जलने वाले प्रणोदक (Propellant) तथा 'सेकंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल' के साथ सीधे नोजल का प्रयोग किया गया है।
- **परीक्षण परिणाम:** 3 जुलाई 2026 को आयोजित यह परीक्षण सफल रहा और मोटर के सभी प्रदर्शन मापदंड अपेक्षाओं के अनुरूप पाए गए।

महत्व/विश्लेषण :

- **परीक्षणों में लचीलापन:** SOLVE वाहन इसरो को गगनयान के परीक्षण मिशनों को वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग स्थितियों में संचालित करने का लचीलापन प्रदान करेगा।
- **चालक दल की सुरक्षा:** पैराशूट प्रणाली का सटीक सत्यापन अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी और क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत 6G गठबंधन (B6GA) और स्पेक्ट्रम रोडमैप



चर्चा में क्यों?

- संचार मंत्रालय और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, 'भारत 6जी एलायंस' (B6GA) के सदस्यों की संख्या जुलाई 2026 तक बढ़कर 90 हो गई है। इसके साथ ही दूरसंचार विभाग (DoT) ने हितधारकों के परामर्श से भारत में 6G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम रोडमैप जारी किया है और 6G टेराहर्ट्ज़ (THz) टेस्टबेड परियोजना को मंजूरी दी है।

मुख्य विवरण / बिन्दु:

- **भारत 6G एलायंस (B6GA):** यह उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों का एक सहयोगी मंच है। इसमें स्पेक्ट्रम, हरित एवं सतत प्रौद्योगिकी, IPR और परीक्षण केंद्रों जैसे प्रमुख विषयों के लिए 7 कार्य समूह गठित किए गए हैं।
- **6G टेराहर्ट्ज़ (THz) टेस्टबेड:** डिजिटल भारत निधि (दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष) के तहत 'समीर' (SAMEER), कोलकाता को IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT पटना के साथ मिलकर 3-वर्षीय 6G टेराहर्ट्ज़ टेस्टबेड स्थापित करने की मंजूरी मिली है।

- **अंतर्राष्ट्रीय मानक (ITU एवं 3GPP):** भारत ने अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के 'IMT-2030 ढाँचे' में "सर्वव्यापी कनेक्टिविटी" (Ubiquitous Connectivity) को 6G के मुख्य उपयोग परिदृश्य के रूप में शामिल कराया है।
- **वित्तीय एवं मानकीकरण प्रोत्साहन:** 'प्रौद्योगिकी विकास और निवेश प्रोत्साहन' (TDIP) योजना के तहत भारतीय स्टार्टअप्स और MSMEs को 3GPP, ITU और oneM2M जैसे वैश्विक मानकों की बैठकों में भाग लेने और पायलट परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

महत्व/विश्लेषण:

- **डिजिटल और तकनीकी संप्रभुता:** 6G प्रौद्योगिकी में घरेलू R&D और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने से दूरसंचार क्षेत्र में भारत की विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम होगी।
- **वैश्विक मानक निर्धारण में भूमिका:** ITU और 3GPP जैसे मंचों पर भारत का योगदान केवल प्रौद्योगिकी उपभोक्ता बनने के बजाय वैश्विक 6G मानकों का निर्माता (Standard Setter) बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

- **उन्नत अनुप्रयोग:** उच्च डेटा दर, नगण्य विलंबता (Ultra-low Latency) और सर्वव्यापी कनेक्टिविटी से स्मार्ट सिटी, स्वचालित वाहन, डिजिटल हेल्थकेयर और औद्योगिक क्रांति 4.0 को गति मिलेगी।

अतिरिक्त जानकारी:

- **समीर (SAMEER):** यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन RF एवं माइक्रोवेव प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान करने वाला एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास निकाय है।

आयुर्वेद एवं योग का वैश्वीकरण: नीति आयोग की रिपोर्ट



चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने 'आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए रणनीतिक रोडमैप' (Strategic Roadmap for Globalizing Ayurveda) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए 'ग्लोबल आयुर्वेद रजिस्टर' और 'विश्व महासंघ' बनाने का सुझाव दिया गया है।

मुख्य बिन्दु:

- **ग्लोबल आयुर्वेद रजिस्टर (GAR):** नीति आयोग ने दुनिया भर में आयुर्वेद पेशेवरों और चिकित्सकों को पंजीकृत करने के लिए जीएआर (GAR) के गठन का प्रस्ताव दिया है।
- **विश्व महासंघ की स्थापना:** आयुर्वेद और योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार और समन्वय हेतु एक विश्व महासंघ (World Federation) गठित करने की सलाह दी गई है।

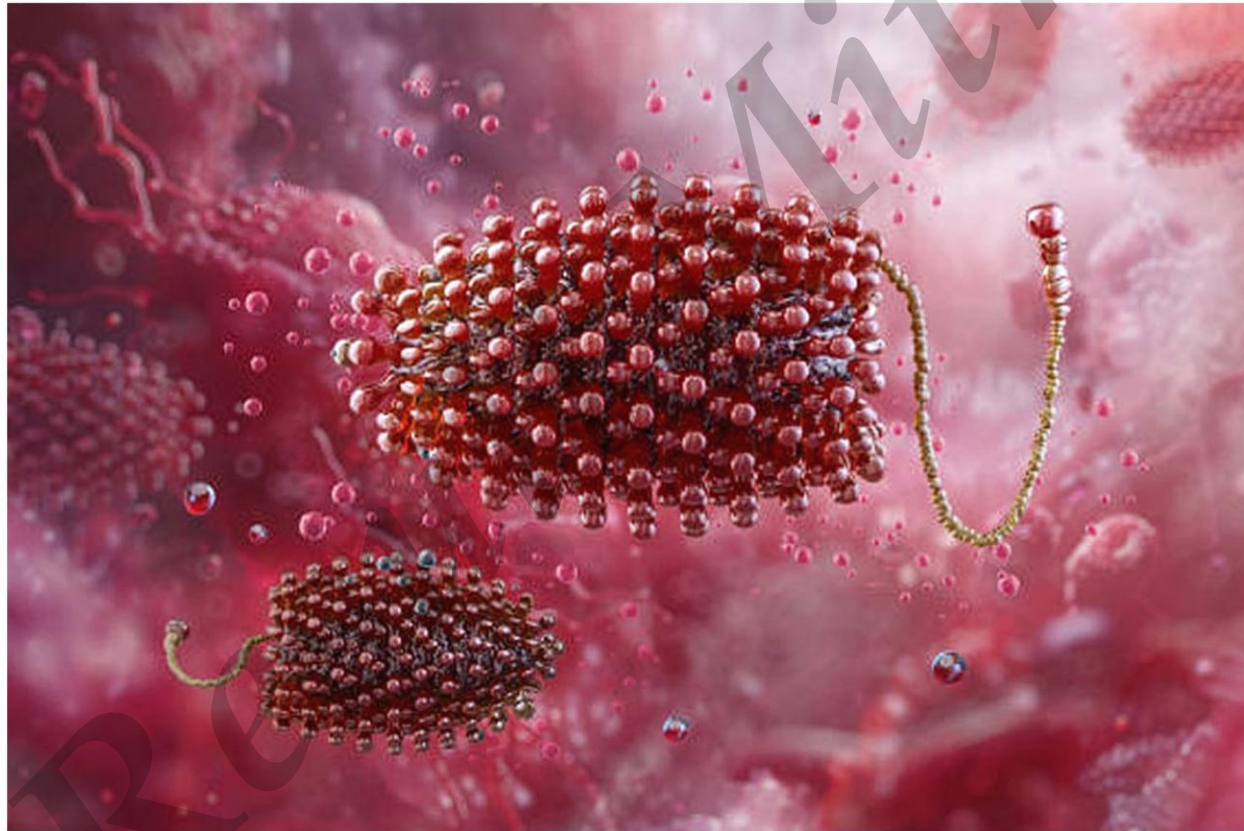
व्यापार एवं मानक:

- आयुर्वेदिक दवाओं के निर्यात के लिए विशेष मानक तैयार करने का सुझाव।
- निर्यात और व्यापार की निगरानी के लिए एक 'रियल-टाइम आयुर्वेद ट्रेड डैशबोर्ड' बनाने का प्रस्ताव।
- **उद्योग-अकादमिक तालमेल:** वैश्विक स्तर पर अनुसंधान और प्रसार बढ़ाने के लिए उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग पर बल।
- **वर्तमान स्थिति:** भारत का आयुर्वेद उत्पाद निर्यात वर्ष 2014 के 1.09 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 2.16 अरब डॉलर हो गया है, जो लगभग 150 देशों में निर्यात किया जा रहा है। विश्व के 95% योग्य आयुर्वेद पेशेवर भारत में केंद्रित हैं।

महत्व/विश्लेषण:

- **मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (MVT) एवं आर्थिक अवसर:**
आयुर्वेद के वैश्वीकरण से भारत में वेलनेस टूरिज्म, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और पारंपरिक स्वास्थ्य उत्पादों के बाजार में भारी वृद्धि होगी।
- **सॉफ्ट पावर एवं सांस्कृतिक कूटनीति:** योग की तर्ज पर आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में उसकी साख को मजबूत करेगा।
- **पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों और बौद्धिक संपदा सुरक्षा के माध्यम से भारतीय पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान मिलेगी।

चांदीपुरा वायरस (CHPV) का प्रकोप और केंद्र की प्रतिक्रिया



चर्चा में क्यों?

- गुजरात और राजस्थान में चांदीपुरा वायरस रोग (CHPV) के प्रकोप से निपटने और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल' (NJORT) को तैनात किया है।

मुख्य बिन्दु:

- बहुविषयक प्रतिक्रिया दल (NJORT):** इसमें NCDC, ICMR और पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो महामारी विज्ञान, प्रयोगशाला समन्वय, वेक्टर निगरानी और नैदानिक प्रबंधन में सहायता करेंगे।

- 'वन हेल्थ' (One Health) दृष्टिकोण: मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और कीट विज्ञान (Vector Surveillance) को एकीकृत करते हुए गाय, भैंस और बकरियों जैसे पशुओं के रक्त और दूध के नमूनों का भी सीरोसर्वेक्षण और परीक्षण किया जा रहा है।

जीनोमिक अनुक्रमण एवं वाहक की खोज:

- गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) द्वारा वायरस का 'होल जीनोम सीक्वेंसिंग' (WGS) किया जा रहा है।
- सैंडफ्लाई (Sandfly) के अलावा मच्छर, किलनी (Ticks) और सूक्ष्म कीटों की भूमिका की भी वैज्ञानिक जांच जारी है।

- **निगरानी नेटवर्क:** राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर' (PHEOC) और 15 तृतीयक अस्पतालों के 'अस्पताल-आधारित AES निगरानी नेटवर्क' को सक्रिय किया गया है।

महत्व/विश्लेषण:

- **संक्रामक रोगों से निपटने में 'वन हेल्थ' का महत्व:** जूनोटिक और वेक्टर जनित बीमारियों (जैसे CHPV) के नियंत्रण के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य एजेंसियों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

- **वैज्ञानिक अनुसंधान और जीनोमिक्स:** जीनोम अनुक्रमण से वायरस में होने वाले म्यूटेशन (उत्परिवर्तन) और संचरण गतिशीलता (Transmission Dynamics) को समझने में मदद मिलती है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **चांदीपुरा वायरस (CHPV):** यह Rhabdoviridae परिवार का एक आरएनए (RNA) वायरस है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और तीव्र बुखार एवं एन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क में सूजन) का कारण बनता है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) में हेक्सावैलेंट (6-in-1) वैक्सीन



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) में हेक्सावैलेंट (छह-इन-वन) संयोजन टीके को शामिल करने से देश के बाल टीकाकरण कार्यक्रम की दक्षता, लॉजिस्टिक्स और परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

मुख्य बिन्दु:

- हेक्सावैलेंट वैक्सीन क्या है?: यह एक एकल संयोजन टीका (Combination Vaccine) है, जो विशेष विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से छह अलग-अलग बीमारियों के एंटीजन को एक ही खुराक में संयोजित करता है।

सुरक्षित की जाने वाली बीमारियाँ:

- डिप्थीरिया (Diphtheria)
- धनुस्तंभ (Tetanus)
- काली खांसी (Pertussis)
- हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B)
- पोलियो (Polio)
- हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (Hib) संक्रमण

प्रमुख लाभ:

- **इन्जेक्शनों की संख्या में कमी:** शिशुओं को दिए जाने वाले सिरिंज इन्जेक्शनों की संख्या कम होने से बाल पीड़ा और माता-पिता/देखभालकर्ताओं की झिझक में कमी आएगी।
- **कोल्ड-चेन एवं लॉजिस्टिक्स बचत:** कम वाइल्स (Vials) और सिरिंजों की आवश्यकता से कोल्ड-चेन स्टोरेज स्थान और परिवहन लागत में बचत।
- **स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कम बोझ:** सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) और कोल्ड-चेन प्रबंधकों के समय तथा कार्यभार में कमी आएगी, जिससे अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समय मिलेगा।

महत्व/विश्लेषण :

- सतत विकास लक्ष्य (SDG-3): बच्चों की मृत्यु दर को कम करने तथा universal स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर।
- प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे की सुदृढ़ता: टीकाकरण कवरेज में सुधार और छूटी हुई खुराकों (Missed Doses) की दर में कमी लाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना।

अतिरिक्त जानकारी:

- **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP):** वर्ष 1985 में शुरू किया गया भारत सरकार का एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीका-रोकथाम योग्य बीमारियों से निःशुल्क सुरक्षा प्रदान करना है।

प्रोजेक्ट कुशा: भारत का स्वदेशी लंबी दूरी का एयर
डिफेंस सिस्टम (LR-SAM)



चर्चा में क्यों?

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 'प्रोजेक्ट कुशा' के तहत स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) का पहला सफल परीक्षण किया है। इसे भारत का अपना लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क और रूस के S-400 प्रणाली का स्वदेशी विकल्प माना जा रहा है।

मुख्य बिन्दु:

- **प्रोजेक्ट कुशा की संरचना:** इसके तहत तीन अलग-अलग रेंज की लंबी दूरी की मिसाइलें (LR-SAMs) विकसित की जा रही हैं:
- **M1:** 150 किमी की रेंज
- **M2:** 250 किमी की रेंज
- **M3:** 350 किमी की रेंज
- **लक्षित खतरे:** यह प्रणाली लड़ाकू विमानों, स्टील्थ फाइटर्स, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को वायुमंडल के अंदर (Endo-atmospheric) और बाहर (Exo-atmospheric) रोकने में सक्षम है।

- **'मिशन सुदर्शन चक्र' से जुड़ाव:** प्रधानमंत्री द्वारा घोषित यह पहल वर्ष 2035 तक देश के रणनीतिक और नागरिक क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुस्तरीय (Layered) और एकीकृत राष्ट्रीय रक्षा कवच (National Shield) तैयार करने का लक्ष्य रखती है।
- **तकनीकी विशेषताएं:** प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह से स्वचालित (Automated), स्केलेबल और व्यापक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) नेटवर्क में एकीकृत होने योग्य है।

महत्व/विश्लेषण:

- **रणनीतिक आत्मनिर्भरता:** विदेशी प्रणालियों (जैसे रूस के S-400) पर निर्भरता कम होगी और भारत की वायु रक्षा क्षमता मजबूत होगी।
- **मल्टी-लेयर्ड डिफेंस:** हालिया वैश्विक संघर्षों (जैसे मध्य पूर्व और यूक्रेन) ने यह साबित किया है कि केवल एकल सुरक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है; अतः DRDO का यह प्रोजेक्ट QRSAM, VSHORAD और लेजर-आधारित डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों के साथ मिलकर बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

अतिरिक्त जानकारी:

- बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) चरण: भारत का BMD Phase-I 2,000 किमी तक की रेंज वाली मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, जबकि Phase-II को 5,000 किमी की रेंज वाले खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है।

परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा से हाइड्रोजन उत्पादन: भारत
की विश्व में पहली उपलब्धि



चर्चा में क्यों?

- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 'तांबा-क्लोरीन (Cu-Cl) थर्मोकेमिकल प्रक्रिया' के माध्यम से परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली विश्व की पहली सुविधा का उद्घाटन किया है।

मुख्य बिन्दु:

- प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (Technology Demonstrator):** यह सुविधा परमाणु ऊर्जा से चलने वाले तापीय चक्र द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।

- **FBTR की भूमिका:** इसमें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), कलपक्कम स्थित 'फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर' (FBTR) से उत्पन्न उच्च तापमान वाली परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा का उपयोग किया जाता है।

Cu-Cl थर्मोकेमिकल प्रक्रिया:

- इस चक्र में रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करके पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है।
- यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम तापमान पर संचालित होती है और उच्च तापीय दक्षता (Thermal Efficiency) प्रदान करती है।

- **IGCAR एवं FBTR का महत्व:** वर्ष 1971 में स्थापित IGCAR भारत के तीन चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FBTR ने 500 मेगावॉट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के विकास हेतु एक परीक्षण मंच के रूप में कार्य किया है।

महत्व/विश्लेषण:

- **हरित ऊर्जा और स्वच्छ हाइड्रोजन:** जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके 'पिंक हाइड्रोजन' (परमाणु ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन) के उत्पादन से भारत के 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' और 2070 तक शुद्ध शून्य (Net-Zero) उत्सर्जन लक्ष्य को गति मिलेगी।

- **परमाणु तापीय ऊर्जा का बहु-आयामी उपयोग:**
परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल बिजली उत्पादन तक सीमित न रखकर इसे औद्योगिक प्रक्रिया ऊष्मा और हाइड्रोजन उत्पादन से जोड़ना (Sector Coupling) एक बड़ा तकनीकी मील का पत्थर है।

अतिरिक्त जानकारी:

हाइड्रोजन उत्पादन के अन्य प्रमुख तरीके:

- **स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग (SMR):** उष्मा-रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राकृतिक गैस (मीथेन) को भाप से क्रिया कराकर हाइड्रोजन बनाई जाती है।

- **इलेक्ट्रोलाइटिक (Electrolytic) प्रक्रिया:**
इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग कर बिजली की सहायता से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना।
- **फोटोइलेक्ट्रोकेमिकल (PEC) जल विखंडन:** सौर प्रकाश और विशेष अर्धचालकों (Semiconductors) का उपयोग करके सीधे पानी को विखंडित करना।

विक्रम-1 और भारत का अंतरिक्ष भविष्य



चर्चा में क्यों?

- स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत का पहला निजी तौर पर विकसित बहु-स्तरीय कक्षीय रॉकेट 'विक्रम-1' (Vikram-1) अपने पहले कक्षीय प्रक्षेपण ('मिशन आगमन') के लिए तैयार है। यह विकास भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार और IN-SPACe के तहत नीतिगत सुधारों के सफल कार्यान्वयन का प्रतीक है।

मुख्य बिन्दु:

विक्रम-1 की विशेषताएं:

- यह 3-स्तरीय ठोस ईंधन और 3D-प्रिंटेड तरल इंजन वाला एक कक्षीय प्रक्षेपण यान है।
- यह पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में लगभग 350 किग्रा तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।
- इसमें कार्बन कम्पोजिट बॉडी का उपयोग किया गया है, जो इसे अत्यधिक हल्का और मजबूत बनाता है।

प्रमुख नीतिगत एवं संस्थागत पहलें:

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का उदारीकरण।
- **IN-SPACe:** एकल-खिड़की स्वायत्त संस्था, जिसने अब तक 133 से अधिक स्वीकृतियां दी हैं तथा इसरो (ISRO) की सुविधाओं तक पहुंच सुलभ कराई है।
- **FDI नीति में संशोधन:** उपग्रह घटकों में 100% स्वचालित FDI, उपग्रह निर्माण में 74% तक और लॉन्च व्हीकल क्षेत्र में 49% तक स्वचालित FDI की अनुमति।

वित्तीय एवं तकनीकी प्रोत्साहन:

- अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ₹1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल (VC) फंड की घोषणा।
- इन-स्पेस सीड फंड और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (TAF) के तहत स्टार्टअप्स और MSMEs को वित्तीय अनुदान और मेंटरशिप।

इकोसिस्टम का विस्तार:

- वर्ष 2014 में केवल 1 स्पेस स्टार्टअप से बढ़कर 2026 में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप सक्रिय हैं।
- अग्निकुल कॉसमॉस ने निजी प्रक्षेपण परिसर 'धनुष' से विश्व के पहले सिंगल-पीस 3D-प्रिंटेड अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया।

महत्व / विश्लेषण:

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उदारीकरण और निजी भागीदारी।
- इसरो का ध्यान मौलिक अनुसंधान एवं अनुसंधान व विकास (R&D) पर केंद्रित होना तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का हस्तांतरण।

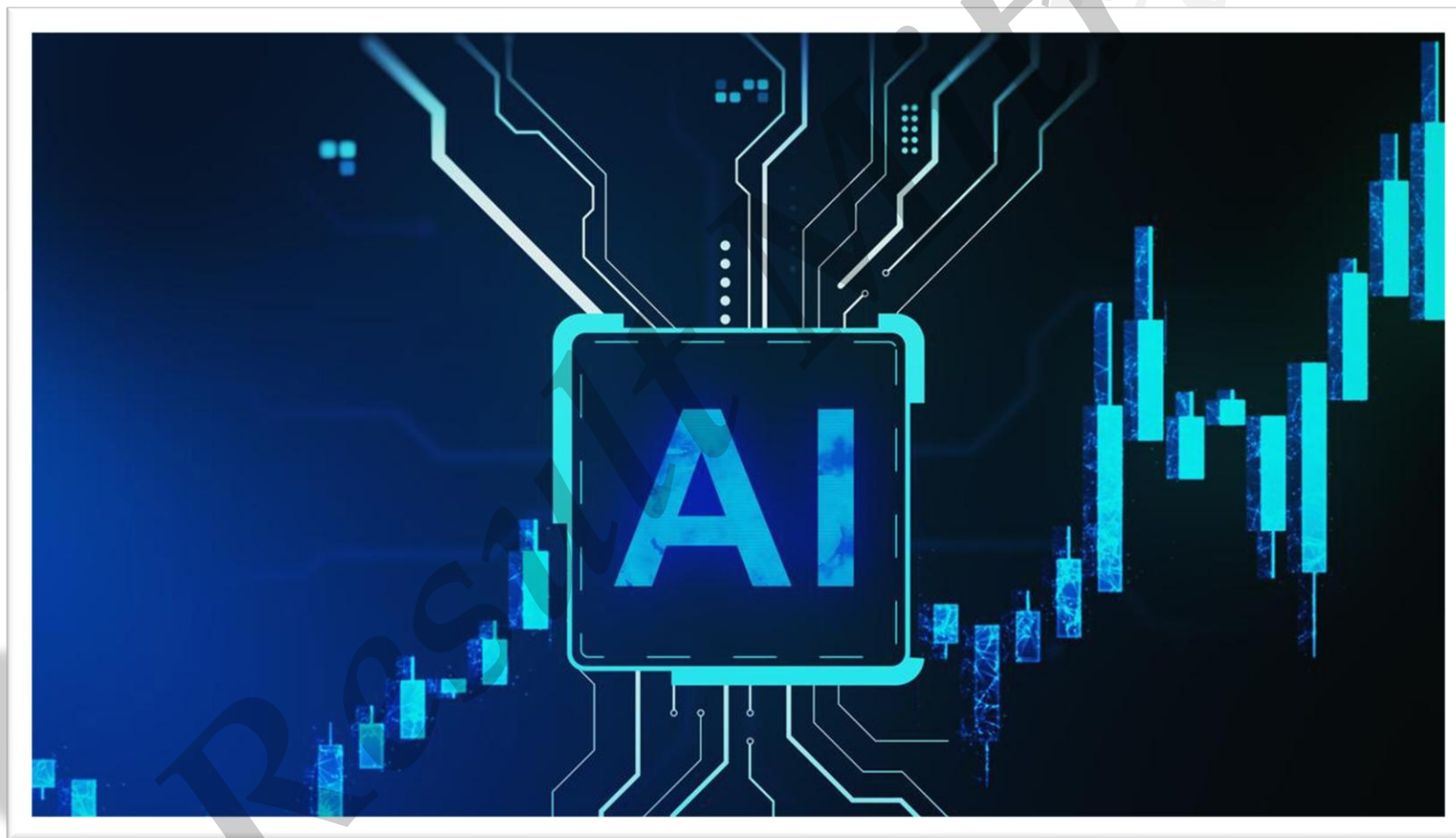
आर्थिक महत्व:

- भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (वर्तमान में ~\$8.4 बिलियन) को 2030 तक \$40–45 बिलियन और 2040 तक \$100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य।

अतिरिक्त जानकारी:

- **NSIL (न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड):** इसरो की वाणिज्यिक शाखा, जिसने 141 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है तथा SSLV (लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान) जैसी प्रौद्योगिकियों का निजी उद्योग (HAL आदि) में हस्तांतरण किया है।

सुधार 3.0: AI लीपफ्रॉग के माध्यम से भारत की विकास दर



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रस्तुत 'सुधार 3.0' (Reform 3.0) अवधारणा में यह तर्क दिया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भारत को 1991 के आर्थिक उदारीकरण के समान एक परिवर्तनकारी अवसर प्रदान कर सकती है, जिससे 8% से अधिक की 'भारत विकास दर' (India Rate of Growth) प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए संप्रभु एआई अवसंरचना और 24 महीनों के भीतर एक 'राष्ट्रीय एआई टोकन नीति' (National AI Token Policy) लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

मुख्य बिन्दु:

- 1991 के समान परिवर्तनकारी अवसर: एआई के प्रभावी उपयोग से भारत ऐतिहासिक 'हिंदू विकास दर' (3%) से उबरकर 8% से अधिक की सतत आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकता है।

मुफ्त एआई टोकन सब्सिडी:

- मौजूदा सरकारी सब्सिडी के पुनर्वितरण द्वारा शीर्ष 100 अनुसंधान संस्थानों (IITs, IISc आदि) और 5,000 हाई स्कूलों को मुफ्त एआई टोकन प्रदान करने की वकालत।
- इस सब्सिडी पर प्रतिवर्ष लगभग \$2 बिलियन (जीडीपी का 0.06%) की लागत का अनुमान है।

- **संप्रभु एआई कंप्यूट फ्रेमवर्क (PPP मॉडल):** AWS, Google और Microsoft जैसे हाइपरस्केलर्स के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) द्वारा संप्रभु अवसंरचना पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) की मेजबानी करना।
- **हार्डवेयर विविधीकरण (40:30:30 मिक्स):** सिंगल-वेंडर लॉक-इन (Vendor Lock-in) से बचने के लिए कंप्यूट हार्डवेयर में विविधता लाना:
 - 40% AWS Trainium/AMD
 - 30% Google TPUs
 - 30% NVIDIA / घरेलू सिलिकॉन

- **राष्ट्रीय एआई टोकन नीति:** 24 महीनों की समयावधि में नीति का क्रियान्वयन, जिसकी शुरुआत IITs/IISc में पायलट प्रोजेक्ट से होगी और तत्पश्चात इसे स्टार्ट-अप्स और स्कूलों तक विस्तारित किया जाएगा।

महत्व / विश्लेषण:

- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** आधार और यूपीआई (UPI) की सफलता को एआई डोमेन में दोहराकर भारत को वैश्विक एआई लीडर बनाना।
- **R&D क्षमता निर्माण:** वर्तमान में भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.65% R&D पर खर्च करता है; यह पहल शोध और नवाचार को बढ़ावा देगी।

- **प्रौद्योगिकी संप्रभुता:** संप्रभु कंप्यूट और घरेलू सिलिकॉन विकास से राष्ट्रीय डेटा सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।

अतिरिक्त जानकारी:

- **हिंदू विकास दर (Hindu Rate of Growth):** यह शब्द प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री राज कृष्णा द्वारा वर्ष 1978 में गढ़ा गया था, जो 1950 से 1980 के दशकों के दौरान भारत की निम्न वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर (औसत 3.5%) को संदर्भित करता है।

NIDAR 2.0: ड्रोन अनुसंधान और नवाचार चुनौती

NIDAR – National Drone Innovation Challenge



चर्चा में क्यों?

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) के सहयोग से 'स्वयान' (SWAYAN) पहल के तहत 'ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती' के दूसरे संस्करण (NIDAR 2.0, 2026-27) का शुभारंभ किया है।

मुख्य बिन्दु:

- उद्देश्य एवं थीम:** छात्रों को पारंपरिक ड्रोन निर्माण से आगे बढ़कर भारत में निर्मित स्वदेशी चिप्स (VEGA प्रोसेसर) से संचालित स्वायत्त एवं स्मार्ट ड्रोन प्रणालियों के निर्माण के लिए प्रेरित करना।

प्रमुख ट्रैक्स (Tracks):

- **ट्रैक 1 (ड्रोन इनोवेशन):** स्वायत्त झुंड ड्रोन (Swarm Drones) का विकास जो जीपीएस-रहित (GPS-denied) वातावरण में आपदा राहत एवं इनडोर निरीक्षण कर सकें।
- **ट्रैक 2 (घटक नवाचार):** स्वदेशी C-DAC द्वारा विकसित VEGA प्रोसेसर (RISC-V आर्किटेक्चर) पर आधारित उड़ान नियंत्रक और ऑटोपायलट डिजाइन करना।

प्रोत्साहन एवं सहायता:

- ₹65 लाख से अधिक का कुल पुरस्कार पूल।
- शीर्ष 100 टीमों को दो VEGA प्रोसेसर किट, कॉर्पोरेट इंटरनशिप, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सहायता और क्लाउड कंप्यूटिंग क्रेडिट।

'स्वयान' (SWAYAN) क्षमता निर्माण पहल:

- जुलाई 2022 में MeitY द्वारा स्वीकृत (₹89.87 करोड़ बजट)।
- IISc, IITs, IIITs, NITs, C-DAC आदि जैसे 30 प्रमुख संस्थानों के हब-एंड-स्पोक मॉडल द्वारा संचालित, जिसने अब तक 51,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है।

महत्व / विश्लेषण:

- स्वदेशीकरण एवं आत्मनिर्भरता: विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम करके स्वदेशी DIR-V (डिजिटल इंडिया RISC-V) और C-DAC के VEGA प्रोसेसर का उपयोग बढ़ाना।

- **द्वि-उपयोग तकनीक (Dual-Use Technology):**
विकसित की जा रही तकनीकें नागरिक (आपदा प्रबंधन, सटीक कृषि) और रक्षा (सैन्य स्वार्म ड्रोन, टोही) दोनों क्षेत्रों में उपयोगी हैं।
- **विकसित भारत @2047:** भारत को वैश्विक ड्रोन और सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने में सहायक।

अतिरिक्त जानकारी:

- **VEGA प्रोसेसर:** यह MeitY के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत C-DAC द्वारा ओपन-सोर्स RISC-V आर्किटेक्चर पर आधारित पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रोप्रोसेसर श्रृंखला है।

I-2SEA सबमरीन केबल सिस्टम



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशंस और लाइटस्टॉर्म के एक संघ (Consortium) ने भारत-दक्षिण पूर्व एशिया (I-2SEA) सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- **परिचय एवं लंबाई:** यह लगभग 3,600 किमी लंबी अंडरसी (समुद्री) फाइबर-ऑप्टिक केबल प्रणाली है, जो भारत के पूर्वी तट को मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ेगी।

रूट और लैंडिंग स्टेशन:

- भारत में इसके मछलीपट्टनम और दक्षिण चेन्नई में दो लैंडिंग स्टेशन होंगे।
- मछलीपट्टनम-हैदराबाद मार्ग डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे छोटा मार्ग प्रदान करेगा।
- **नेटवर्क एकीकरण:** लाइटस्टॉर्म के स्थलीय नेटवर्क के माध्यम से यह मुंबई सहित भारत के 80 से अधिक डेटा सेंटरों को जोड़ेगा।
- **तकनीकी विशेषताएं:** इसमें कैरियर-न्यूट्रल लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप केबल ब्यूरियल (सुरक्षा हेतु) तथा लाइटस्टॉर्म के स्मार्टनेट AI फैब्रिक और पोलरिन प्लेटफॉर्म का एकीकरण शामिल है।

- **समयसीमा:** इसके वर्ष 2029 की चौथी तिमाही (Q4 2029) तक क्रियाशील होने की उम्मीद है।

महत्व / विश्लेषण:

- डिजिटल अवसंरचना (Digital Infrastructure): AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइपरस्केलर कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए न्यूनतम-विलंबता (Low Latency) वाला डेटा मार्ग।

- डेटा सेंटर हब के रूप में भारत: हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों को दक्षिण पूर्व एशियाई टेक हब (सिंगापुर/मलेशिया) से सीधे जोड़कर भारत को वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम का केंद्र बनाना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी: भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूती।

भारत की स्वदेशी नेत्र प्रणाली AEW&C



- हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारत के स्वदेशी नेत्र AEW&C (Airborne Early Warning and Control) सिस्टम को अंतिम परिचालन मंजूरी (Final Operational Clearance – FOC) प्रमाणपत्र प्रदान कर आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना (IAF) को सौंपा है।

मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** यह भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली है, जिसे DRDO की प्रयोगशाला CABS द्वारा ब्राजील निर्मित एम्ब्रेयर EMB-145 (Embraer EMB-145) विमान प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। इसे 'आसमान में आंख' (Eye in the Sky) भी कहा जाता है।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएं:

- **एसा रडार (AESA Radar):** एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जो 240° से 270° तक का निगरानी क्षेत्र कवर करता है।
- **ट्रैकिंग एवं रेंज:** 250 से 375 किमी की दूरी से दुश्मन के खतरों की पहचान तथा एक साथ 200 से अधिक हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता।
- **हवा में ईंधन भरना (In-Flight Refueling):** IFR प्रोब की उपस्थिति से लंबी अवधि की उड़ानें संभव।
- **स्वदेशी IFF प्रणाली:** MK-XII(S) 'मित्र या शत्रु पहचान' (Identification Friend or Foe) तकनीक।
- **इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट:** आत्म-सुरक्षा के लिए मिसाइल एप्रोच वार्निंग और काउंटर-मेजर डिस्पेंसर शामिल।

कार्य प्रणाली (Flying Command Centre):

- सेंसर फ्यूजन (Sensor Fusion) के माध्यम से रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों का रियल-टाइम विश्लेषण।
- सुरक्षित डेटा लिंक्स (SDR, SATCOM) द्वारा जमीन पर स्थित कंट्रोल स्टेशन तथा हवा में उड़ रहे 40 से अधिक लड़ाकू विमानों को एक साथ निर्देश देने की क्षमता।

महत्व / विश्लेषण:

- 'सी फर्स्ट, रेस्पॉन्ड फर्स्ट' क्षमता: युद्धक्षेत्र में भारतीय वायुसेना को अग्रिम चेतावनी और सटीक नेटवर्क-केंद्रित युद्ध (Network-Centric Warfare) की क्षमता प्रदान करना।

- **आत्मनिर्भर भारत:** बोइंग या फाल्कन जैसी महंगी विदेशी AEW&C प्रणालियों पर भारत की रणनीतिक निर्भरता में कमी।
- **भविष्य की परियोजनाओं का आधार:** यह FOC सफलता Netra Mk-1A और एयरबस आधारित Netra Mk-2 (₹19,000 करोड़ प्रोजेक्ट) के त्वरित विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

अतिरिक्त जानकारी:

- **FOC (Final Operational Clearance):** यह किसी सैन्य उपकरण या प्रणाली का वह अंतिम प्रमाणन स्तर है, जो यह पुष्टि करता है कि प्रणाली वास्तविक युद्ध की कठिन परिस्थितियों और सभी परिचालन मानकों पर पूरी तरह से खरी उतरी है और अब इसे पूर्ण रूप से सेवा में तैनात किया जा सकता है।

संचालित युद्ध: भविष्य के युद्ध हेतु भारत की तैयारी और सामरिक तत्परता



चर्चा में क्यों?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्वायत्त प्रणालियाँ और एल्गोरिदमिक युद्ध आधुनिक सैन्य अभियानों तथा रणनीतिक प्रतिरोध की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल रहे हैं। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में रणनीतिक संप्रभुता और युद्धक तत्परता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को AI-संचालित प्रणालियों के अनुरूप ढलने की अत्यधिक आवश्यकता है।

मुख्य बिन्दु

- एल्गोरिदमिक युद्ध और 'किल वेब': AI-आधारित प्लेटफॉर्म (जैसे डेल्टा, प्रोजेक्ट मेवेन) रडार, उपग्रह इमेजरी और खुफिया डेटा को एकीकृत कर "सेंसर-टू-शूटर" चक्र को घंटों से घटाकर मिनटों में ला रहे हैं।
- स्वायत्त प्रणालियों व ड्रोन युद्ध का उभार: FPV (फर्स्ट-पर्सन व्यू) ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS) और स्वायत्त लड़ाकू विमान पारंपरिक भारी सैन्य साधनों का स्थान ले रहे हैं।

भारत की प्रमुख सैन्य AI पहलें:

- **प्रोजेक्ट संजय और त्रिनेत्र (TRINETRA):** युद्धक्षेत्र निगरानी (BSS) और C4I क्षमताओं को एकीकृत कर रीयल-टाइम 'कॉमन सर्विलांस पिक्चर' प्रदान करना।
- **ETAI फ्रेमवर्क:** DRDO और CDS द्वारा सैन्य AI को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने हेतु स्थापित जोखिम-आधारित संरचना।
- **iDEX एवं अदिति (ADITI) योजना:** कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, क्वांटम रडार और AI पेलोड जैसी गहन-तकनीकी (Deep-Tech) पहलों को वित्तीय सहायता।

- 'बाज़' (Baaz) बटालियन: लंबी दूरी की ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों के लिए सेना द्वारा गठित समर्पित विशेष इकाई।

चुनौतियाँ

- चीन के साथ असममित AI-सैन्य अंतर: चीन की PLA द्वारा विकसित "सिस्टम डिस्ट्रक्शन वॉरफेयर" और C4ISR क्षमताओं के मुकाबले भारत के सामने वित्तीय व तकनीकी संसाधन सीमाएँ हैं।
- खंडित सैन्य नेटवर्क व बैंडविड्थ की कमी: त्रि-सेवाओं के पृथक संचार नेटवर्क तथा सीमावर्ती (LAC/LoC) दुर्गम क्षेत्रों में सीमित सामरिक बैंडविड्थ।

- **बाहरी तकनीक पर निर्भरता:** आयातित सेमीकंडक्टर, GPUs और AI मॉडल्स पर निर्भरता से डेटा पॉइज़निंग, बैकडोर और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान का जोखिम।
- **खरीद प्रक्रिया की सीमाएँ:** पारंपरिक हार्डवेयर-केंद्रित रक्षा खरीद प्रक्रिया सॉफ्टवेयर-संचालित त्वरित AI अद्यतनीकरण के अनुकूल नहीं है।

अतिरिक्त जानकारी

- **हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (HAPS):** समताप मंडल (Stratosphere) में सौर ऊर्जा से महीनों तक उड़ान भरकर उपग्रह जैसी सतत निगरानी और संचार सुविधा प्रदान करने वाली मानव-रहित प्रणाली।
- **प्रोजेक्ट मेवेन (Project Maven):** वर्ष 2017 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया AI कार्यक्रम, जो उपग्रह चित्रों और सेंसर डेटा का विश्लेषण कर 'किल चेन' को तीव्र करता है।

पर्यावरण (Environment)

जलवायु 'टिपिंग पॉइंट्स'(Tipping Point)



चर्चा में क्यों? (Why in News?)

- जर्मनी के बॉन में आयोजित जलवायु परिवर्तन वार्ता के दौरान 'टिपिंग पॉइंट्स' की परिभाषा और उसके वैज्ञानिक उपयोग को लेकर तीखी बहस हुई।

'टिपिंग पॉइंट' क्या है?

- जलवायु प्रणाली में 'टिपिंग पॉइंट' एक ऐसा क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होता है, जिसके पार जाने पर प्रणाली में अचानक, दीर्घकालिक और अक्सर अपरिवर्तनीय परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऐसे समझें कि जैसे एक गिलास को टेबल के कोने पर धीरे-धीरे खिसकाया जाए—एक सीमा तक वह सुरक्षित रहता है, लेकिन एक विशेष बिंदु के पार जाते ही वह गिरकर टूट जाता है और उसे दोबारा पहले जैसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता।

- **स्व-संवर्धित फीडबैक लूप:** जब एक बार टिपिंग पॉइंट पार हो जाता है, तो प्रक्रिया अपने आप बढ़ने लगती है। फिर भले ही आप इंसानी उत्सर्जन को रोक भी दें, जलवायु का वह हिस्सा पिघलना या नष्ट होना बंद नहीं होता।

प्रमुख टिपिंग पॉइंट्स के उदाहरण

- **अमेज़न वर्षावन का क्षरण:** वनों की कटाई और शुष्कता के कारण वर्षावन का सवाना में बदलना।
- **ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों का पिघलना।**
- **पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना:** जिससे भारी मात्रा में मीथेन और CO₂ उत्सर्जित होती है।

भारत का रुख:

- भारत ने इस शब्द के अस्पष्ट उपयोग पर चेतावनी दी और वैज्ञानिक स्पष्टताकी मांग की, ताकि जलवायु विज्ञान का गलत संचार न हो।

वैज्ञानिक तथ्य

- पेरिस समझौते (COP21, 2015) के तहत निर्धारित 1.5°C और 2°C के वैश्विक तापमान वृद्धि के लक्ष्य नीतिगत उद्देश्य हैं, ये स्वयं में प्राकृतिक 'टिपिंग पॉइंट्स' नहीं हैं।
- **वैज्ञानिक अनिश्चितता:** जलवायु प्रणाली की जटिलताओं के कारण टिपिंग पॉइंट के सटीक समय और प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है।

पर्यावरण (Environment)

बादल फटना (Cloudburst)



चर्चा में क्यों

- जुलाई के मध्य में मानसून सक्रिय होने के मात्र 15 दिनों के भीतर केंद्र शासित प्रदेश में 15 से अधिक क्लाउडबस्ट दर्ज किए गए। पुंछ के दूरदराज मुर्गाह गांव में पहाड़ी धंसने से कई परिवार प्रभावित हुए।

परिभाषा

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, जब किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र (लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर) में 1 घंटे में 100 मिमी (10 सेमी) या उससे अधिक बारिश होती है, तो उसे 'बादल फटना' या क्लाउडबस्ट कहा जाता है।

बादल फटने की भौगोलिक प्रक्रिया

- **क्युमुलोनिम्बस बादल:** यह घटना अत्यधिक ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले क्युमुलोनिम्बस (गरजने वाले) बादलों के कारण होती है।
- **ओरोग्राफिक लिफ्टिंग:** जब गर्म और नमी से भरी मानसूनी हवाएं हिमालय जैसी ऊंची पर्वतीय ढलानों से टकराकर तेजी से ऊपर उठती हैं, तो वे सघन होकर विशाल बादलों का रूप ले लेती हैं।
- **अचानक मूसलाधार वर्षण:** यदि हवा का ऊपर की ओर का प्रवाह बहुत मजबूत होता है, तो वह पानी की बूंदों को नीचे गिरने नहीं देता। इसके कारण बादल के भीतर पानी का भार अत्यधिक बढ़ जाता है। जब यह उपरी प्रवाह अचानक कमजोर पड़ता है, तो पूरा पानी एक साथ कुछ ही मिनटों में नीचे गिर जाता है।

मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ

मिशन मौसम (Mission Mausam):

- **मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित।
- **उद्देश्य:** एआई और मशीन लर्निंग आधारित एडवांस वेदर मॉडलिंग का उपयोग करना। इसके तहत पहाड़ों के 'रडार ब्लाइंड स्पॉट्स' को खत्म करने के लिए देश भर में 100 से अधिक नए डॉप्लर वेदर रडार और विंड प्रोफाइलर स्थापित किए जा रहे हैं।

एक्स-बैंड डॉप्लर वेदर रडार (X-Band Doppler

Weather Radar):

- **विशेषता:** यह रडार उच्च आवृत्ति और छोटी तरंगदैर्घ्य पर काम करता है।
- **महत्व:** यह पहाड़ों की संकरी घाटियों में छिपे छोटे क्युमुलोनिम्बस बादलों (Cumulonimbus clouds) और जलकणों की सघनता का सटीक पता लगा सकता है।
भारत सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के 'रडार ब्लाइंड स्पॉट्स' को खत्म करने के लिए इनका नेटवर्क बढ़ा रही है।
- **नाउकास्टिंग (Nowcasting):** यह एक ऐसी उपग्रह और रडार आधारित डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है जो अगले 2 से 6 घंटे के भीतर होने वाली अत्यधिक भारी बारिश या चक्रवात का सटीक पूर्वानुमान जारी करती है।

3D-प्रिंटेड कृत्रिम चट्टान (3D-Printed Artificial Reef)



चर्चा में क्यों?

- जून के अंत और जुलाई 2026 के दौरान भारत सरकार ने मरीन इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट पर देश के पहले अत्याधुनिक 3D-प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल्स को समुद्र में तैनात करने का काम तेजी से पूरा किया है।
- **परिभाषा:** यह मानव-निर्मित ऐसी त्रि-आयामी (3D) संरचनाएं होती हैं जिन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (CAD) की मदद से प्राकृतिक प्रवाल भित्तियों की हूबहू बनावट की नकल करके तैयार किया जाता है।

- **निर्माण प्रक्रिया:** एक विशाल औद्योगिक कंक्रीट 3D प्रिंटर के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल कंक्रीट या कैल्शियम कार्बोनेट समृद्ध बायो-पॉलिमर की परतों को रोबोटिक तरीके से बिछाकर इन्हें प्रिंट किया जाता है।
- **समुद्र में स्थापना:** तैयार किए गए प्रत्येक ब्लॉक का वजन लगभग 1 टन (1,000 किग्रा) होता है, जिसे क्रेन और गोताखोरों की सहायता से समुद्र के तल पर 10 से 15 मीटर की गहराई पर स्थापित किया जाता है।

विकासकर्ता और सहयोगात्मक संस्थाएं

- **प्रमुख स्टार्टअप:** इन मॉड्यूल्स को आईआईटी मद्रास द्वारा इन्क्यूबेटेड डीप-टेक स्टार्टअप 'त्वास्ता' द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- **अनुसंधान भागीदार:** तकनीकी और वैज्ञानिक दिशा-निर्देश ICAR-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं।
- **वित्त पोषण:** तमिलनाडु में चल रही इस बड़ी परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है, जिसके तहत राज्य के 213 तटीय स्थलों को कवर किया जाना है।

पारंपरिक कृत्रिम चट्टानों से भिन्नता

- **लोहे का शून्य उपयोग :** पारंपरिक कृत्रिम रीफ में मजबूती के लिए लोहे या स्टील की छड़ों का उपयोग होता है जो खारे पानी में जंग खा जाती हैं। 3D-प्रिंटेड रीफ पूरी तरह लोहा-मुक्त होती हैं, जिससे इनकी उम्र लंबी होती है।
- **जटिल ज्यामिति :** पारंपरिक ब्लॉक साधारण चौकोर पत्थर जैसे होते हैं। 3D-प्रिंटेड रीफ में असंख्य दरारें, लहरदार मोड़ और इंटरकनेक्टेड सतहें होती हैं, जो छोटी मछलियों को शिकारियों से छिपने में मदद करती हैं।

- **उच्च सरंध्रता:** कंक्रीट के विशेष मिश्रण के कारण इनकी सतह अत्यधिक सरंध्र (Porous) होती है। यह खुरदरापन कोरल पॉलिप्स और समुद्री शैवालों को मजबूती से चिपकने और अपनी कॉलोनी बनाने में मदद करता है।

मुख्य लाभ और पर्यावरणीय महत्व

- **जैव-विविधता की त्वरित बहाली:** यह नष्ट हो चुके समुद्री क्षेत्रों में मछलियों और अन्य जीवों को नया प्रजनन और प्राकृतिक आश्रय स्थल प्रदान करता है।

- **तटीय कटाव से सुरक्षा:** ये कृत्रिम ढाँचे समुद्र की तेज और विनाशकारी लहरों की गतिज ऊर्जा को सोख लेते हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव रुकता है।
- **मछुआरा समुदायों की आजीविका:** तट के पास मछलियों की आबादी (Fish Biomass) बढ़ने से पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में जाए बिना आसानी से आजीविका प्राप्त होती है।

पर्यावरण (Environment)

एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme - EBP)



चर्चा में क्यों ?

- वाहन मालिकों द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल (E20) मिलाने से पुराने वाहनों के माइलेज में 3% से 5% की गिरावट आ रही है और इंजन के रबर व धातु के पुर्जों में संक्षारण का खतरा बढ़ रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को संसद को सूचित किया कि सरकार ने पेट्रोल में 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण का अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

एथेनॉल (C_2H_5OH) के बारे में

- यह एक जैव ईंधन है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे और क्षतिग्रस्त अनाजों (टूटे चावल, मक्का) के किण्वन से प्राप्त किया जाता है।
- पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से ईंधन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसके परिणामस्वरूप इंजन के भीतर पूर्ण दहन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन घटता है।
- एथेनॉल हवा से नमी (पानी) को बहुत तेजी से सोखता है। यह इसकी एक बड़ी तकनीकी सीमा है क्योंकि ईंधन टैंक में पानी जमा होने से इंजन को नुकसान हो सकता है।

जैव ईंधन की पीढ़ियां

- **प्रथम पीढ़ी (1G):** खाद्य स्रोतों से निर्मित। इसमें चीनी, गन्ना, बी-हैवी और सी-हैवी मोलासेस, मक्का और गेहूं शामिल हैं।
- **द्वितीय पीढ़ी (2G):** गैर-खाद्य स्रोतों और कृषि अपशिष्ट से निर्मित। जैसे - धान की पराली, गन्ने की खोई, और बांसा।
- **तृतीय पीढ़ी (3G):** जलीय पौधों और शैवाल से निर्मित।
- **चतुर्थ पीढ़ी (4G):** आनुवंशिक रूप से संशोधित (GE) फसलों और कार्बन कैप्चर तकनीकों पर आधारित।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 (संशोधन 2022)

- नोडल मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG)।

मुख्य लक्ष्य

- E20 लक्ष्य: पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण की समय-सीमा 2030 से घटाकर 2025-26 की गई।

कच्चे माल की छूट

- गन्ने के रस के अलावा खराब अनाज, मक्का और टूटे चावल से 1G एथेनॉल बनाने की अनुमति।

श्रेणियों का विभाजन

- आधारभूत: 1G बायो-एथेनॉल और बायो-डीजल।
- उन्नत (Advanced): 2G (कृषि अपशिष्ट/पराली) और 3G (शैवाल/Algae) जैव ईंधन।

सर्वोच्च संस्था

- NBCC (राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति): नीति की निगरानी करती है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री होते हैं।

- **पीएम-जीवान योजना (PM-JI-VAN):** इसका पूरा नाम 'प्रधानमंत्री जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना' है। यह देश में 2G एथेनॉल रिफाइनरियों (जैसे - पानीपत 2G प्लांट) को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता (VGF) प्रदान करती है।

पर्यावरण (Environment)

पर्यावरण की हत्या (Ecocide)



- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न पर्यावरणविदों और नागरिक समाजों ने यह मांग तेज कर दी कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की रोम संविधि (Rome Statute) में संशोधन किया जाए। इकोसाइड' को नरसंहार (Genocide), युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध की तरह 5वां अंतरराष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाए।
- **शब्द प्रयोग (1970):** इस शब्द को अमेरिकी जीवविज्ञानी आर्थर गैल्स्टन ने गढ़ा था। उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा जंगलों और फसलों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए कुख्यात और अत्यधिक जहरीले रासायनिक शाकनाशी 'एजेंट ऑरेंज' (Agent Orange) के विनाशकारी प्रभावों को देखकर यह शब्द पहली बार प्रयोग किया था।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के रोम संविधि के तहत अपराध:

- **1. नरसंहार (Genocide):** किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया गया कृत्य।
- **2. मानवता के खिलाफ अपराध (Crimes Against Humanity):** किसी भी नागरिक आबादी के खिलाफ जानबूझकर किए गए व्यापक या व्यवस्थित हमले (जैसे गुलामी, जबरन विस्थापन आदि)।
- **3. युद्ध अपराध (War Crimes):** युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन (जैसे नागरिकों या युद्धबंदियों पर अत्याचार)।

- **4. आक्रामकता का अपराध (Crime of Aggression):** किसी राज्य के राजनीतिक या सैन्य नेतृत्व द्वारा दूसरे देश की संप्रभुता के खिलाफ सैन्य बल का अवैध उपयोग।
- **5. इकोसाइड (Ecocide) —** [प्रस्तावित 5वां अपराध]: पर्यावरण को जानते-बूझकर या गंभीर लापरवाही से ऐसा व्यापक और दीर्घकालिक नुकसान पहुँचाना जो अपरिवर्तनीय हो।

सतत खनन और जल जोखिम



चर्चा में क्यों?

- ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक क्रिटिकल खनिजों के उत्खनन में तेज़ी के साथ ही जल संकट और पर्यावरण-सामाजिक जोखिमों पर बहस तेज़ हुई है।

खनन से जुड़े प्रमुख जल जोखिम

1. एसिड माइन ड्रेनेज:

- जब खदानों में मौजूद सल्फाइड खनिज (उदा. पाइराइट) हवा और पानी के संपर्क में आते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है।
- यह अम्लीय जल आसपास की नदियों/झरनों को दूषित करता है और भारी धातुओं को जल में घोल देता है।

2. भारी धातु संदूषण:

- खनन क्षेत्रों की नदियों (जैसे- दामोदर व कोपिली) में आर्सेनिक, सीसा, पारा और कैडमियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बायो-एक्यूमुलेशन का खतरा उत्पन्न होता है।

3. भूजल स्तर में गिरावट एवं डिवाटरिंग:

- खदानों को सूखा रखने के लिए भारी मात्रा में जल बाहर निकाला जाता है, जिससे गहरे जलभृत खाली हो जाते हैं।

4. अवैध बालू खनन:

- नदी तलों के विनाश से प्राकृतिक जल धारण क्षमता घटती है और तटीय/नदी क्षरण बढ़ता है।

खनन और पर्यावरण/जल सुरक्षा से जुड़े कानूनी व नीतिगत प्रावधान

1. जिला खनिज फाउंडेशन (DMF), 2015

- 60% फंड (High Priority Areas): पेयजल आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण के लिए अनिवार्य।
- पारिस्थितिक बहाली: खनन प्रभावित क्षेत्रों के जल संकट व पारिस्थितिक क्षरण को दूर करने पर केंद्रित।

2. MMDR संशोधन अधिनियम, 2023

- अन्वेषण लाइसेंस (EL) के माध्यम से रिमोट सेंसिंग व जियोफिजिकल सर्वे जैसी तकनीकों को बढ़ावा, ताकि वनों/जल निकायों का भौतिक विनाश न हो।

3. राष्ट्रीय खनिज नीति (NMP), 2019

- खनिजों को 'साझा संपत्ति' मानकर भावी पीढ़ियों के पर्यावरण अधिकारों की सुरक्षा।
- सरकार प्राकृतिक संसाधनों व जल निकायों की 'ट्रस्टी' के रूप में कार्य करने हेतु बाध्या।
- खदान बंद होने के बाद भूमि व आसपास के जल स्रोतों का पुनर्निर्माण कानूनी रूप से अनिवार्य।

4. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET)

- कम-कार्बन और जल-बचत वाली तकनीकों के शोध एवं विकास हेतु फंडिंग।

कीटनाशक प्रदूषण (Pesticide Pollution)



चर्चा में क्यों ?

- सरकार 57 साल पुराने 'कीटनाशक अधिनियम, 1968' को बदलने के लिए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2026 के अंतिम मसौदे को अंतिम रूप दे रही है।

कीटनाशकों के प्रकार

- ऑर्गेनोक्लोरीन:** जैसे DDT, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोरा। ये पर्यावरण में अत्यधिक स्थायी होते हैं और जैव-आवर्धन का मुख्य कारण बनते हैं।
- ऑर्गेनोफॉस्फेट:** जैसे मैलाथियान, क्लोरपायरीफॉस। ये कम स्थायी होते हैं लेकिन मनुष्यों और तंत्रिका तंत्र के लिए अत्यधिक तीव्र विषैले होते हैं।

- **जैव-पीड़कनाशी:** ये प्राकृतिक या जैविक मूल (जैसे नीम के अर्क, बेसिलस थुरिंगिएन्सिस जीवाणु) से निर्मित होते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल और लक्षित कीटों के प्रति विशिष्ट होते हैं।

कीटनाशकों

- **जैव-संचय:** जब कोई कीटनाशक किसी जीव के शरीर में पर्यावरण की तुलना में तेजी से जमा होता है और उसका चयापचय या उत्सर्जन नहीं हो पाता।

- **जैव-आवर्धन:** खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर कीटनाशकों (जैसे डीडीटी) की सांद्रता/मात्रा का क्रमिक रूप से बढ़ते जाना।
- **स्थायी कार्बनिक प्रदूषक:** ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक विघटित नहीं होते, लंबी दूरी तय करते हैं और जीवों के वसा ऊतकों में जमा हो जाते हैं।
- अतिशय प्रयोग से तीव्र विषाक्तता तथा लंबे समय के संपर्क से कैंसर, बांझपन और ऑर्गन-फॉस्फेट्स के कारण अल्जाइमर व पार्किंसंस जैसी तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियाँ।

- नियोनिकोटिनोइड्स (Neonicotinoids) के कारण मधुमक्खियों जैसे मुख्य परागणकों की आबादी नष्ट हो रही है। जल निकायों में रन-ऑफ से जलीय जीवन व पक्षियों के अंडों के छिलके पतले होने जैसी समस्याएँ आती हैं।
- खाद्यान्नों (जैसे बासमती चावल, चाय, मसाले) में Maximum Residue Limits से अधिक कीटनाशक अवशेष मिलने के कारण यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों द्वारा भारतीय खेपों को खारिज कर दिया जाता है।

कानूनी और नियामक ढांचा

- कीटनाशक अधिनियम, 1968 (Insecticides Act, 1968)
- नोडल मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- दायरा: कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन और उपयोग का विनियमन।
- संबद्ध नियम: कीटनाशक नियम, 1971 के तहत क्रियान्वित।

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB):

- प्रकृति: वैधानिक निकाय।
- अध्यक्ष: भारत के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक।
- कार्य: तकनीकी सुरक्षा और जोखिमों पर सरकार को सलाह देना।

पर्यावरण (Environment)

इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (Indian Grey Hornbill)



चर्चा में क्यों है?

- **60 वर्ष बाद वापसी:** यह पक्षी 1950 और 1960 के दशक के दौरान गिर के जंगलों से स्थानीय रूप से विलुप्त हो गया था
- **लगातार चौथी बार सफल प्रजनन:** गुजरात वन विभाग द्वारा वर्ष 2021 में शुरू किए गए पुनरुद्धार कार्यक्रम के बाद, जुलाई 2026 में इस पक्षी ने लगातार चौथे वर्ष गिर में सफल प्रजनन (Breeding) दर्ज किया है. यह दर्शाता है कि इसकी आबादी अब आत्मनिर्भर हो रही है।

यह परियोजना क्या है?

- **स्थानांतरण (Translocation):** उत्तर गुजरात के अरावली जंगलों से कुल 40 इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को पकड़कर दो चरणों में (2021-22 में 28 और 2023 में 12) गिर के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ा गया था।
- **तकनीकी निगरानी:** पक्षियों की गतिविधियों, आवास के चयन और प्रजनन व्यवहार पर नजर रखने के लिए 11 नर हॉर्नबिल पक्षियों पर सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाए गए थे।

इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बारे में,

- **पहचान:** मध्यम आकार, भूरा-मटमैला रंग, बड़ी घुमावदार चोंच पर विशिष्ट कैस्क (उभार)।
- **आवास:** खुले मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और शहरी पार्क।
- **महत्व:** मुख्य रूप से अंजीर/फलभक्षी; बीजों के प्रकीर्णन के कारण इसे 'जंगल का किसान' कहते हैं।
- **पाए जाते हैं-** यह मुख्य रूप से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। भारत में इसका विस्तार जम्मू से लेकर केरल तक और राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक है।
- **प्रजनन:** मादा पेड़ के खोखले में खुद को बंद कर लेती है; नर केवल एक छोटी दरार से भोजन देता है।

संरक्षण स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** Least Concern - LC)
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-II (Schedule-II)
- **CITES:** परिशिष्ट-II (Appendix-II) में शामिल नहीं है (यह भारत के स्थानिक गैर-प्रवासी पक्षियों में से है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार खतरे में न होने के कारण CITES सूचियों में इसे स्थान नहीं दिया गया है)।

मुख्य समस्याएं?

- **पर्यावास विखंडन:** सड़कों, कृषि विस्तार और मानवीय बस्तियों के कारण पुराने जंगलों के गलियारे (Corridors) टूट गए थे, जिससे ये पक्षी मानव बस्तियों के खतरनाक संपर्क में आने लगे थे।
- **घोंसले के लिए उपयुक्त पेड़ों की कमी:** हॉर्नबिल पक्षी अपने घोंसले के लिए बड़े तने वाले पुराने और परिपक्व पेड़ों पर निर्भर होते हैं। अतीत में हुए वनों के क्षरण के कारण ऐसे पेड़ों की भारी कमी हो गई थी।
- **आहार संबंधी तनाव :** विदेशी आक्रामक पौधों की प्रजातियों के बढ़ने से उनके पसंदीदा फल देने वाले स्वदेशी पेड़ों (जैसे बरगद, पीपल) की संख्या कम हो गई थी।

क्या उपाय किए जा रहे हैं?

- **स्वदेशी वृक्षारोपण:** गिर के शुष्क मिश्रित पर्णपाती और सागौन के जंगलों में इनके मुख्य भोजन—बरगद, पीपल, करमदा और धरमन जैसे फलदार पेड़ों को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया जा रहा है.
- **समुदाय आधारित संरक्षण:** स्थानीय समुदायों को शामिल कर 'नेस्ट ट्री अडॉप्शन' कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि पुराने पेड़ों को कटने से बचाया जा सके.
- **सख्त कानूनी सुरक्षा:** गिर वन्यजीव अभयारण्य (1965) और राष्ट्रीय उद्यान (1975) के कड़े नियमों के माध्यम से पूरे लैंडस्केप को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

पूगा घाटी: भारत के भू-तापीय ऊर्जा युग का उदय



चर्चा में क्यों है?

- लद्दाख के पूगा घाटी में देश के पहले और सबसे गहरे 1,000 मीटर गहरे भू-तापीय कुओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर दिया गया है। यह कदम प्रधान मंत्री के 'कार्बन-न्यूट्रल लद्दाख' और भारत के 2070 नेट-जीरो लक्ष्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

पूगा घाटी की भौगोलिक स्थिति

- **अवस्थिति:** पूगा घाटी पूर्वी लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है. यह सॉल्ट लेक वैली (त्सो कर झील क्षेत्र) से लगभग 22 किमी दूर है।
- **अत्यधिक ऊंचाई:** यह परियोजना समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरणों में से एक बनाती है.

- **भू-वैज्ञानिक महत्व:** पूगा घाटी भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने वाले क्षेत्र (के करीब स्थित है। इसके कारण यहाँ धरातल के नीचे अत्यधिक तापीय गतिविधी पाई जाती है, जहाँ गर्म पानी के झरने और सल्फर के भंडार आम हैं।

परियोजना के मुख्य तकनीकी तथ्य

- **क्रियान्वयन एजेंसी:** यह परियोजना ONGC एनर्जी सेंटर, लद्दाख प्रशासन और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत विकसित की जा रही है।

- **क्षमता:** प्रारंभिक चरण में यह 1 MWe (मेगावाट इलेक्ट्रिक) का पायलट प्लांट है, जिसे भविष्य में वाणिज्यिक स्तर पर विस्तारित किया जाएगा।
- **तापमान रिकॉर्ड:** अन्वेषण के दौरान, मात्र 400 मीटर की गहराई पर ही 135°C का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो विद्युत उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है।

भू-तापीय ऊर्जा क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- **परिभाषा:** पृथ्वी के क्रस्ट (भूपर्पटी) के भीतर प्राकृतिक रूप से संचित ऊष्मा को भू-तापीय ऊर्जा कहते हैं।
- **लाभ :** मौसम पर निर्भर रहने वाली सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, भू-तापीय ऊर्जा 24 घंटे और 365 दिन लगातार बिजली प्रदान कर सकती है।
- **लद्दाख के लिए वरदान:** सर्दियों में जब लद्दाख की नदियां जम जाती हैं और जलविद्युत ठप हो जाती है, तब यह भू-तापीय संयंत्र ग्रिड को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

पूगा घाटी भू-तापीय परियोजना की मुख्य चुनौतियाँ:

1. **कठिन पर्यावरण:** 14,000 फीट की ऊँचाई और -40°C तक तापमान से उपकरण/तरल पदार्थों का जमना तथा सीमित कार्य-अवधि।
2. **भूगर्भीय जोखिम:** हिमालयी Suture Zone की खंडित चट्टानों के कारण ड्रिलिंग के दौरान उच्च-दबाव भाप और जहरीली गैसों के अचानक विस्फोट (Blow-out) का खतरा।
3. **संक्षारण व पपड़ी (Scaling):** जल में सल्फर व सिलिका की अधिकता से पाइपलाइनों में पपड़ी जमना और टरबाइन में गंभीर संक्षारण।
4. **पर्यावरण व पुनर्चक्रण:** खनिज-युक्त पानी को वापस भूगर्भ में इंजेक्ट (Re-injection) न करने पर ऊपरी पेयजल दूषित होने का जोखिम।
5. **ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर:** शून्य से नीचे के तापमान को सहने वाले उच्च क्षमता के ट्रांसमिशन नेटवर्क का अभाव।

मानसबल झील (Manasbal Lake)



- जुलाई 2026 में जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा मानसबल झील के पारिस्थितिकी पुनरुद्धार , गाद निकालने और इसके आसपास प्लास्टिक मुक्त सतत ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष एकीकृत प्रबंधन योजना की घोषणा की गई है।

भौगोलिक स्थिति

- **अवस्थिति:** यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के गंदरबल जिले में स्थित है।
- **झील का प्रकार:** यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है।
- **विशेष पहचान:** इसे 'भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील' माना जाता है (इसकी अधिकतम गहराई लगभग 13 मीटर तक है)।

- **जल आपूर्ति:** इस झील का प्राथमिक जल स्रोत भूजल झरने और आसपास की पहाड़ियों से आने वाले छोटे जलस्रोत हैं। इसका अतिरिक्त जल झेलम नदी में जाकर मिलता है।

यह क्यों प्रसिद्ध है?

- मानसबल झील में जुलाई-अगस्त के महीनों में बड़े पैमाने पर कमल के फूल (Lotus Blooms) खिलते हैं।
- इसके तट पर 17वीं शताब्दी का 'झरोखा बाग' स्थित है, जिसे नूरजहाँ ने बनवाया था।

पर्यावरण (Environment)

पल्लीकरनई मार्शलैंड (Pallikaranai Marshland)



चर्चा में क्यों ?

- एनजीटी द्वारा पल्लीकरनई रामसर साइट के 1 किमी के दायरे में सभी नए निर्माणों और भूमि अनुमतियों पर रोक लगाने के आदेश के बाद जुलाई 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय में व्यापक कानूनी सुनवाई शुरू हुई।
- **अवस्थिति:** यह भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई शहर के दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के पास स्थित है।
- **संरचना व जल प्रवाह:** यह दक्षिण चेन्नई के लगभग 250 वर्ग किमी के जलग्रहण क्षेत्र का प्राकृतिक ड्रेनेज है।
- **रामसर स्थल दर्जा:** इसे अप्रैल 2022 में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि (Ramsar Site) घोषित किया गया था।

पर्यावरण (Environment)

डेब्रिगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (Debrigarh Wildlife Sanctuary)



चर्चा में क्यों?

- टाइगर रिजर्व अधिसूचना व संरक्षण पहल: जुलाई 2026 में ओडिशा सरकार द्वारा डेब्रगढ़ को राज्य के तीसरे टाइगर रिजर्व (Similipal व Satkosia के बाद) के रूप में पूर्ण रूप से विकसित व अधिसूचित करने की नीतिगत प्रक्रिया और इको-टूरिज्म मॉडल के कारण यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा।
- **अवस्थिति:** यह भारत के ओडिशा राज्य के संबलपुर और बरगढ़ जिलों में स्थित है।
- यह अभयारण्य महानदी पर बने प्रसिद्ध हीराकुंड बांध (Hirakud Reservoir) के ठीक तट पर स्थित है।

जैव विविधता

- **वनस्पति (Flora):** मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (Tropical Dry Deciduous Forests) पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्षों में साल (Sal), बीजा (Bija), असन (Asan) और बांस शामिल हैं।

वन्यजीव (Fauna):

- यह गौर (Indian Bison) की विशाल आबादी के लिए जाना जाता है।

- **अन्य मुख्य जीव:** बाघ (Tiger), तेंदुआ (Leopard), सांभर (Sambar), चीतल (Chital), और चौसिंगा (Four-horned Antelope)।
- **पक्षी व जलीय जीवन (Avifauna & Aquatic Life):** हीराकुंड जलाशय के समीप होने के कारण यहाँ सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी (जैसे पोचार्ड, पेलिकन, फ्लेमिंगो) आते हैं। जलाशय में मगरमच्छ (Mugger Crocodile) और मीठे पानी के कछुए भी पाए जाते हैं।

सरकारी योजना (Government Scheme)

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ एकीकृत तैरती हुई सौर फोटोवोल्टिक (FSPV) परियोजनाओं के विकास हेतु ₹5,070 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय वाली 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' को मंजूरी दी है।

योजना के मुख्य बिन्दु:

- नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- कार्यान्वयन एजेंसी: सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
- योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना (100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित)।

- **कार्यान्वयन अवधि:** वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक।
- **प्रमुख लक्ष्य:** 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता और 10,000 मेगावाट ऑवर्स (MWh) ऊर्जा भंडारण प्रणाली का विकास।
- **केंद्रीय वित्तीय सहायता :** FSPV परियोजनाओं के लिए ₹1 करोड़ प्रति मेगावाट तथा व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए ₹50 लाख प्रति प्रोजेक्ट तक की सहायता।
- **महत्व:** यह योजना भूमि पर दबाव को कम करती है, जलाशयों में पानी के वाष्पीकरण को रोककर जल संरक्षण करती है, और सालाना लगभग 10 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन को कम करने में सहायक है।

सरकारी योजना (Government Scheme)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना विस्तार



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में ₹3.15 लाख करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

PM-KISAN योजना के बारे में

- घोषणा की तारीख: 1 फरवरी 2019 (पीयूष गोयल द्वारा)
- मंत्रालय: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- योजना का प्रकार: यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- वित्तीय सहायता: पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि, ₹2,000 की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाती है।
- पात्रता का दायरा: इसमें शुरुआत के छोटे और सीमांत किसानों की सीमा को हटाकर देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को शामिल किया गया है (संस्थागत भूमिधारकों, संवैधानिक पद धारकों और आयकर दाताओं को छोड़कर)।

- **प्रमुख उपलब्धियां:** इस योजना के तहत अब तक किसानों को ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे भेजी जा चुकी है, जिसमें लगभग 25% महिला किसान शामिल हैं।
- नीति आयोग के मूल्यांकन के अनुसार, इस योजना से 92% से अधिक लाभार्थियों के कृषि निवेश में वृद्धि हुई है और 85% किसानों की साहूकारों जैसे अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता कम हुई है।

सरकारी योजना (Government Scheme)

EPFO एमनेस्टी योजना 2026



चर्चा में क्यों?

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों के कानूनी दर्जे को नियमित करने के लिए छह महीने की 'एमनेस्टी योजना 2026' की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य निजी तौर पर प्रबंधित पीएफ ट्रस्टों को एक समान वैधानिक ढांचे के तहत लाना है।

एमनेस्टी योजना 2026 के प्रमुख बिंदु

- **योजना का परिचय:** यह एक विशेष एकमुश्त अनुपालन पहल है, जो उन प्रतिष्ठानों के लिए है जो बिना आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी किए 'एक्सेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट' संचालित कर रहे हैं। इसके तहत नियोक्ता अपने ट्रस्ट के दर्जे का पूर्वव्यापी नियमितीकरण कर सकते हैं।
- **पात्रता मानदंड:** यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट के रूप में संचालित हैं, EPFO की शर्तों को पूरा करते हैं और अपने ट्रस्ट को वैधानिक अनुपालन के दायरे में लाना चाहते हैं।

- **आवेदन प्रक्रिया:** पात्र प्रतिष्ठानों को छह महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ औपचारिक आवेदन तैयार कर संबंधित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भेजना होगा।

प्रमुख लाभ:

- **नियोक्ताओं के लिए:** एकमुश्त अनुपालन अवसर, बेहतर नियामक स्पष्टता, सरलीकृत प्रशासन और बेहतर कर्मचारी विश्वास।
- **कर्मचारियों के लिए:** कानूनी निश्चितता, सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा और बेहतर शासन प्रणाली।

सरकारी योजना (Government Scheme)

GST के नौ वर्ष- 'एक राष्ट्र, एक कर से 'विकसित
भारत' की ओर



चर्चा में क्यों?

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने 1 जुलाई 2017 को लागू होने के बाद अपने सफल 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान अगली पीढ़ी के 'GST 2.0' सुधारों के तहत कर संरचना को और अधिक सरल बनाया गया है।

GST से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण:

- **संवैधानिक आधार:** इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से देश में लागू किया गया था, जो एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है।

- **समाहित कर:** इसने 17 अप्रत्यक्ष करों (जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर) और 13 उपकरणों को समाहित किया है।
- **दर संरचना (GST 2.0):** वर्तमान में कर की मुख्य दरें मुख्य रूप से 5% और 18% के दो स्लैबों में हैं, जबकि विलासिता और 'सिन गुड्स' के लिए 40% की दर का प्रावधान है।
- **प्रशासनिक निकाय:** इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था GST परिषद है, और इसके लिए तकनीकी बुनियादी ढांचा GSTN (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स नेटवर्क) द्वारा प्रदान किया जाता है।

- **करदाता आधार में वृद्धि:** करदाताओं की संख्या 2017 के 66.5 लाख से बढ़कर मई 2026 तक 1.65 करोड़ हो गई है, तथा सकल जीएसटी संग्रह 2025-26 में ₹22.27 लाख करोड़ तक पहुँच गया है।
- यह प्रणाली "एक राष्ट्र, एक कर" के सपने को साकार करते हुए सहकारी संघवाद को मजबूत करती है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के माध्यम से कर प्रशासन में पारदर्शिता लाती है।

सरकारी योजना (Government Scheme)

पीएम-यशस्वी (PM-YASASVI) योजना



चर्चा में क्यों?

- राज्य मंत्री द्वारा पीएम-यशस्वी योजना के माध्यम से वंचित छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई है, जिसमें छात्रवृत्ति और हॉस्टल सहायता पर विशेष प्रकाश डाला गया है।

योजना के मुख्य बिन्दु:

- परिचय एवं रूपान्तरण:** 2017-18 में प्रमुख संशोधन के साथ इसे वर्तमान PM-YASASVI छात्र ढांचे के रूप में विस्तारित किया गया, जो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- **कार्यान्वयन:** यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग' द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक योजना है।
- **पात्रता एवं लक्षित लाभार्थी:** यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), और विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) के छात्रों के लिए है, बशर्ते वे क्रीमी लेयर से बाहर हों।

- चार-स्तरीय छात्रवृत्ति संरचना: इसके तहत चार प्रमुख वित्तीय सहायता योजनाएं शामिल हैं—
 1. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
 2. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
 3. स्कूलों में शीर्ष श्रेणी की शिक्षा योजना
 4. कॉलेजों में शीर्ष श्रेणी की शिक्षा योजना

- **हॉस्टल निर्माण लागत मानदंड:** भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर प्रति सीट लागत निर्धारित है— उत्तर पूर्वी क्षेत्र (₹3.50 लाख प्रति सीट), हिमालयी क्षेत्र (₹3.25 लाख प्रति सीट), और शेष भारत (₹3.00 लाख प्रति सीट)।
- **फंड जारी करने की प्रक्रिया:** केंद्रीय अनुदान 3 चरणों (50:45:5 के अनुपात में) में दिए जाते हैं, जिसमें अंतिम 5% राशि छात्रों द्वारा भौतिक रूप से हॉस्टल में प्रवेश सत्यापित होने के बाद ही जारी होती है।

सरकारी योजना (Government Scheme)

भव्य रसायन योजना



चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर तीन समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना के साथ 'भव्य-रसायन योजना' या भारत औद्योगिक विकास योजना - रसायन को मंजूरी प्रदान की है।

योजना के मुख्य बिंदु:

बजट एवं वित्तपोषण:

- कुल परिव्यय: ₹3,030 करोड़ (साझा बुनियादी ढांचे के लिए ₹3,000 करोड़ और प्रशासनिक खर्च के लिए ₹30 करोड़)।

- **केंद्र-राज्य अंशदान:** केंद्र सरकार प्रति पार्क अधिकतम ₹1,000 करोड़ तक का अनुदान देगी, जबकि संबंधित राज्य सरकार को न्यूनतम ₹500 करोड़ का योगदान देना होगा।

अवधि एवं चयन प्रक्रिया:

- **कार्यान्वयन अवधि:** वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 (5 वर्ष)।
- **चयन:** राज्य सरकारों द्वारा 'चैलेंज रूट' के माध्यम से पार्कों का विकास किया जाएगा।

भूमि एवं अवसंरचना मानक:

- **भूमि आवश्यकता:** प्रत्येक पार्क के लिए न्यूनतम 8 वर्ग किमी (लगभग 2,000 एकड़) की सन्निहित एवं भार-मुक्त भूमि अनिवार्य है।
- **प्लग-एंड-प्ले सुविधाएँ:** कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन (TSDF), स्टीम व जल नेटवर्क, सॉल्वेंट रिकवरी और वेयरहाउसिंग सुविधाएँ।

सरकारी योजना (Government Scheme)

सुमन रोडमैप 2030



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुधार हेतु 'सुमन रोडमैप 2030' लॉन्च किया।

मुख्य लक्ष्य

- यह रोडमैप संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG 3.1 और SDG 3.2) के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य मातृ और नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को पूरी तरह समाप्त करना है:
- **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में कमी:** वर्ष 2030 तक MMR को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से नीचे लाना.

- **शिशु स्वास्थ्य में सुधार:** नवजात मृत्यु दर (NMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) को न्यूनतम स्तर पर लाना.
- **शून्य रोकी जा सकने वाली मृत्यु:** प्रसव और प्रसव के बाद होने वाली ऐसी मौतों को शून्य करना जिन्हें सही उपचार से रोका जा सकता है.

प्रमुख विशेषताएं और तकनीकी नवाचार

- यह रणनीति केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है:
- **आरएमएनसीएचए+एन ढांचा:** यह प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण के जीवन-चक्र दृष्टिकोण को अपनाता है।

- **उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की निगरानी:** जोखिम वाले मामलों की जल्द पहचान कर उनके लिए विशेष देखभाल सुनिश्चित करना।
- **डिजिटल नवाचार:** रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए 'जननी पोर्टल' की शुरुआत।
- **एआई-सक्षम प्रसव कक्ष:** डिलीवरी रूम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग कर प्रसव की सुरक्षा बढ़ाना।
- **केंद्रीकृत सुमन कॉल सेंटर:** मरीजों की सहायता, शिकायत निवारण और परामर्श के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन।

लक्षित हस्तक्षेप और भौगोलिक कवरेज

- **विशेष ध्यान:** यह रोडमैप 'सभी के लिए एक समान' दृष्टिकोण के बजाय अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **लक्षित क्षेत्र:** इसके तहत देश के 13 उच्च-केंद्रित राज्यों (जैसे- असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि) के 130 जिलों की पहचान की गई है।
- **समयबद्ध कार्रवाई:** इन चिन्हित जिलों में स्वास्थ्य संकेतकों को सुधारने के लिए समयबद्ध और कड़े हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं।

सरकारी योजना (Government Scheme)

'संशोधित उड़ान' योजना को मंजूरी



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने तथा वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को गति देने के लिए ₹28,840 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 10 वर्षों की अवधि (2026-27 से 2035-36) हेतु 'संशोधित उड़ान' योजना के शुभारंभ को स्वीकृति दी है।

योजना की रूपरेखा एवं बजट:

- अवधि: 10 वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36)।
- कुल परिव्यय: ₹28,840 करोड़ (शत-प्रतिशत केंद्रीय बजटीय सहायता)।

प्रमुख घटक :

- **हवाई अड्डों का विकास:** अविकसित हवाई पट्टियों से 100 नए हवाई अड्डों का विकास।
- **संचालन एवं रखरखाव सहायता:** लगभग 441 केवल-RCS हवाई अड्डों के लिए 3 वर्ष का वित्तीय समर्थन।
- **200 आधुनिक हेलिपैड का निर्माण:** पहाड़ी, दूरदराज, द्वीपीय और आकांक्षी जिलों में अंतिम मील कनेक्टिविटी और आपातकालीन चिकित्सा सहायता सुधारने हेतु।
- **वायुबिलिटी गैप फंडिंग:** क्षेत्रीय मार्गों को व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए एयरलाइन ऑपरेटरों को 10 वर्षों में ₹10,043 करोड़ का VGF समर्थन।

- **आत्मनिर्भर भारत एविएशन:** दुर्गम क्षेत्रों के लिए स्वदेशी विमानों (HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और HAL डोर्नियर विमान) के अधिग्रहण को बढ़ावा।

मूल 'उड़ान' (UDAN) योजना:

- **शुभारंभ:** अक्टूबर 2016 (राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना)।
- **नोडल मंत्रालय व एजेंसी:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय (कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण - AAI)।

- **प्रगति:** 95 हवाई अड्डों/हेलिपैडों/वाटर एयरोड्रोमों के माध्यम से 660 से अधिक मार्गों का संचालन और 1.66 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ।
- **नेटवर्क विस्तार:** देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर 160 से अधिक हो गई है।

सरकारी योजना (Government Scheme)

मिशन गोल्डन स्पाइस' का शुभारंभ



चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने मेघालय की जीआई (GI) टैग प्राप्त लकडोंग हल्दी को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम मसाले के रूप में स्थापित करने के लिए ₹175.45 करोड़ की लागत से 'मिशन गोल्डन स्पाइस' की शुरुआत की है।

मिशन गोल्डन स्पाइस के प्रमुख बिंदु

- लॉन्च तिथि: 21 जुलाई 2026
- संबंधित मंत्रालय: उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी परिषद
- समयावधि: वर्ष 2025 से 2030 (पाँच वर्षीय रोडमैप)

- **वित्तीय परिव्यय:** 175.45 करोड़ रुपये [
- **मुख्य फोकस:** मेघालय की प्रसिद्ध 'लाकाडोंग हल्दी', जिसमें करक्यूमिन की मात्रा उच्च (लगभग 7% से अधिक) होती है।

इस मिशन के मुख्य उद्देश्य

- **फार्म-टू-ग्लोबल-मार्केट:** हल्दी की खेती से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना।
- **खेती का विस्तार:** हल्दी की खेती के क्षेत्र को 2,500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7,500 हेक्टेयर तक करना।

- **किसानों की आय में वृद्धि:** किसानों को मिलने वाले मूल्य को 30-40 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर लगभग 80 रुपये प्रति किलो करना।
- **बुनियादी ढांचा:** ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग यूनिट और करक्यूमिन एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी का विकास करना।

कार्यान्वयन चरण

- **चरण 1:** मौजूदा मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ और मजबूत बनाना।
- **चरण 2:** उत्पादन, प्रसंस्करण क्षमता और वैश्विक निर्यात का विस्तार करना।

महत्वपूर्ण नियुक्तियां (Important Appointments)

प्रल्हाद जोशी: भारत के नए शिक्षा मंत्री



चर्चा में क्यों?

- जुलाई 2026 में प्रल्हाद जोशी ने भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के पद छोड़ने के बाद राष्ट्रपति द्वारा यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।
- **अतिरिक्त प्रभार:** प्रल्हाद जोशी अपने पुराने विभागों के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय का कामकाज भी संभाल रहे हैं।
- **संसदीय क्षेत्र:** वे कर्नाटक के धारवाड़ से 2004 से लगातार सांसद के रूप में निर्वाचित होते आ रहे हैं।

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** वर्ष 1985 में इस मंत्रालय का नाम बदलकर 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (HRD) कर दिया गया था, जिसे वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की सिफारिश पर पुनः 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के तहत 'शिक्षा' समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।
- **मंत्रालय के विभाग:** शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दो प्रमुख विभाग आते हैं—1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, 2. उच्च शिक्षा विभाग।

महत्वपूर्ण नियुक्तियां (Important Appointments)

रवि शंकर: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के
कार्यपालक निदेशक



चर्चा में क्यों?

- रवि शंकर को 1 जुलाई 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के प्रभारी सलाहकार थे।
- **भूमिका:** कार्यपालक निदेशक (ED) का पद RBI गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों के ठीक नीचे होता है, जो विशिष्ट विभागों के नीतिगत और परिचालन कार्यान्वयन को संभालते हैं।

- **संबंधित विभाग:** ये मुख्य रूप से सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (DSIM) की देखरेख जारी रखेंगे।
- **RBI का मुख्य ढांचा:** RBI का प्रबंधन एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें 1 गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर शामिल होते हैं।

महत्वपूर्ण नियुक्तियां (Important Appointments)

अनुराग जैन: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी
अधिकारी (CEO)



चर्चा में क्यों?

- जुलाई 2026 में अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
- **प्रकृति:** नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया था।
- **कार्य सिद्धांत:** यह भारत सरकार के नीति-निर्माण के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

संरचना:

- अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री (पदेन)।
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
- सीईओ (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है (जो भारत सरकार के सचिव रैंक का होता है)।
- नीति आयोग 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण के आधार पर देश के लिए नीतियां तैयार करता है, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

महत्वपूर्ण नियुक्तियां (Important Appointments)

जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)



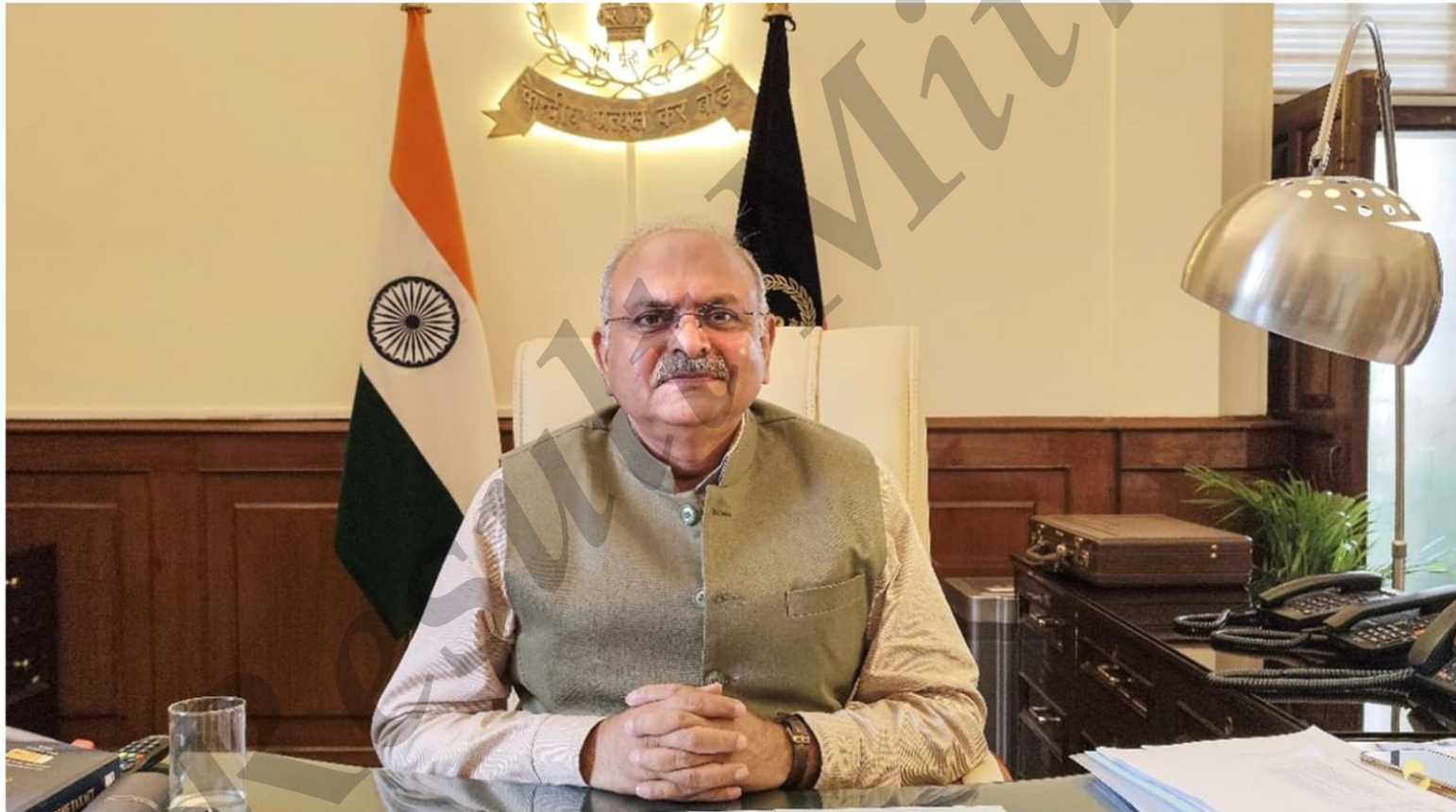
चर्चा में क्यों?

- लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया है।
- **भूमिका:** CDS सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का प्रमुख और रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार होता है।
- **रैंक और दर्जा:** यह एक 4-स्टार जनरल का पद है। यह तीनों सेना प्रमुखों में 'फर्स्ट अमंग इक्वल्स' होता है।

- **मुख्य अधिदेश (Mandate):** तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) के बीच परिचालन, खरीद और प्रशिक्षण में एकता और समन्वय सुनिश्चित करना, तथा भारत के थिएटर कमांड के निर्माण को गति देना।
- **आयु सीमा:** CDS की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है।
- यह पद भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण नियुक्तियां (Important Appointments)

रवि अग्रवाल: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
के अध्यक्ष



चर्चा में क्यों?

- नियुक्ति समिति (ACC) ने 1988-बैच के IRS अधिकारी रवि अग्रवाल को 1 जुलाई 2026 से 6 महीने का सेवा विस्तार दिया है।
- **प्रकृति:** CBDT एक साविधिक निकाय है, जिसका गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत किया गया है।

- **मंत्रालय:** यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- **संरचना:** इसमें एक अध्यक्ष (Chairman) और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं (जो भारत सरकार के विशेष सचिव रैंक के होते हैं)।
- **मुख्य कार्य:** प्रत्यक्ष कर (जैसे- आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स) की नीतियों को तैयार करना, कर कानूनों का प्रशासन और टैक्स चोरी को रोकना।

महत्वपूर्ण नियुक्तियां (Important Appointments)

विश्वनाथन आनंद: अंतरिम अध्यक्ष - अंतर्राष्ट्रीय
शतरंज महासंघ (FIDE)



चर्चा में क्यों?

- जुलाई 2026 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को FIDE का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- **प्रकृति:** FIDE एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जो दुनिया भर में शतरंज के खेल को नियंत्रित करता है।
- **मुख्यालय:** लुसाने, स्विट्जरलैंड
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ाव:** FIDE को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा एक वैश्विक खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- **अनुच्छेद 19.2 (FIDE चार्टर):** वर्तमान अध्यक्ष पर प्रतिबंध या उनके द्वारा पद स्थगित करने पर, FIDE चार्टर के अनुच्छेद 19.2 के तहत उपाध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हैं। आनंद अगस्त 2022 से FIDE के उपाध्यक्ष पद पर थे।
- **विश्वनाथन आनंद की उपलब्धियां:** वे 1988 में भारत के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे और पांच बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं।

महत्वपूर्ण नियुक्तियां (Important Appointments)

एंडी बर्नहैम बने यूनाइटेड किंगडम के नए
प्रधानमंत्री



चर्चा में क्यों?

- 20 जुलाई 2026 को लेबर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के बाद एंडी बर्नहैम ने कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है।
- **नियुक्ति और चयन:** लेबर पार्टी के नेता के रूप में निर्विरोध चयन के पश्चात किंग चार्ल्स तृतीय ने उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया।

- **पूर्व राजनीतिक भूमिका:** वे ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर (जिन्हें 'किंग ऑफ़ द नॉर्थ' भी कहा जाता है) और मेकरफील्ड से सांसद रह चुके हैं।
- **व्यापार समझौता:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया है कि भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) जुलाई 2026 में लागू हो चुका है।
- **ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली:** यूके में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, जहाँ सम्राट औपचारिक मुखिया होते हैं और प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन है।

जनरल धीरज सेठ बने 31वें थल सेनाध्यक्ष



चर्चा में क्यों?

- जनरल धीरज सेठ ने 30 जून 2026 को भारतीय सेना के 31वें थल सेनाध्यक्ष (COAS) के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार संभाल लिया है, जिन्होंने चार दशकों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है।
- **पदभार ग्रहण और कार्यकाल:** उन्होंने 30 जून 2026 को कार्यभार संभाला है तथा सरकारी आदेश के अनुसार उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक निर्धारित है।

- **सैन्य पृष्ठभूमि:** जनरल सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिसंबर 1986 में सेना की प्रतिष्ठित 'आर्मर्ड कोर' में कमीशन किया गया था।
- **विशेष उपलब्धि:** वह 1997 के बाद से आर्मर्ड कोर से इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पहले सेना प्रमुख हैं, जिन्हें दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी कमान का नेतृत्व करने का अनुभव है।
- **प्रमुख कमान:** उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में आर्मर्ड रेजिमेंट, पश्चिमी थिएटर में आर्मर्ड ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स की कमान संभाली है।

- **प्रमुख सम्मान:** उन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तर युद्ध सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** थल सेनाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है, और राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं।

महत्वपूर्ण नियुक्तियां (Important Appointments)

दिलीप अस्बे: वैश्विक शासी बोर्ड (Global
Supervisory Board), SWIFT)



चर्चा में क्यों?

- NPCI के एमडी और सीईओ दिलीप अस्बे को SWIFT के वैश्विक शासी बोर्ड में शामिल किया गया है, जो भारत की बढ़ती डिजिटल भुगतान शक्ति और वैश्विक प्रभाव का एक बड़ा प्रमाण है।
- **महत्वपूर्ण नियुक्ति:** दिलीप अस्बे को स्विफ्ट (SWIFT) के वैश्विक शासी बोर्ड में शामिल किए जाने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की रूपरेखा तय करने में सीधी आवाज और प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

- **NPCI और यूपीआई (UPI) की भूमिका:** दिलीप अस्बे 2018 से NPCI का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके कार्यकाल में UPI, RuPay कार्ड और FASTag जैसी तकनीकी नवाचारों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है (वर्तमान में अकेले UPI द्वारा प्रति माह 20 अरब से अधिक लेनदेन संसाधित किए जाते हैं)।

SWIFT क्या है?:

- इसका पूरा नाम Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication है। यह एक वैश्विक वित्तीय मैसेजिंग नेटवर्क है जो सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को सक्षम बनाता है और इसका मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है।
- **वैश्विक संतुलन:** यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब SWIFT अपनी शासन व्यवस्था में अधिक क्षेत्रीय संतुलन लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे सीमा पार भुगतानों में भारत की भूमिका और मजबूत होगी।

कीको फुजीमोरी: राष्ट्रपति, पेरू



चर्चा में क्यों?

- 3 जुलाई 2026 को रूढ़िवादी नेता कीको फुजीमोरी को पेरू के राष्ट्रपति चुनाव की विजेता घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस जीत पर बधाई देते हुए पेरू के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है।
- **चुनावी आंकड़े:** कीको फुजीमोरी ने राष्ट्रपति चुनाव के रनऑफ में रॉबर्टो सांचेज को एक मामूली अंतर से हराया।
- **राजनीतिक पृष्ठभूमि:** वे चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही थीं और पिछले 10 वर्षों में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं।

- **भौगोलिक स्थिति:** पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है, जिसकी सीमा पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है।
- **राजधानी व पड़ोसी देश:** इसकी राजधानी लीमा है। इसके उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण-पूर्व में बोलीविया और दक्षिण में चिली स्थित हैं।

अन्य चर्चित व्यक्तित्व (Other Notable Personalities)

सर गारफील्ड सोबर्स



चर्चा में क्यों?

- वेस्टइंडीज क्रिकेट के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स को उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और खेल जगत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए जुलाई 2026 के दौरान विशेष रूप से स्मरण किया गया।
- **ऐतिहासिक पारी:** वर्ष 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने नाबाद 365 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी।

- **एक ओवर में छह छक्के:** वर्ष 1968 में काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान नॉटिंगमशायर से खेलते हुए उन्होंने ग्लेमोर्गन के मैल्कम नैश के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाने का कारनामा किया था।
- **नाइटहुड सम्मान:** उन्हें वर्ष 1975 में क्रिकेट में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ब्रिटिश राजशाही द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था।
- **आईसीसी हॉल ऑफ फेम:** वर्ष 2009 में उन्हें आधिकारिक तौर पर 'ICC हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया था।

दिग्गज रंगमंच निर्देशिका विजया मेहता का निधन



चर्चा में क्यों?

- प्रसिद्ध फिल्म एवं रंगमंच निर्देशिका तथा आधुनिक मराठी प्रायोगिक रंगमंच की अग्रणी हस्ती विजया मेहता (जिन्हें प्यार से 'बाई' कहा जाता था) का 30 जून 2026 को मुंबई में निधन हो गया है।
- **मूल परिचय एवं प्रशिक्षण:** उनका जन्म 4 नवंबर 1934 को वडोदरा, गुजरात में हुआ था तथा उन्होंने इब्राहिम अल्काजी और आदि मार्जबान से नाट्य कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

- 'रंगायन' थियेटर ग्रुप: 1960 के दशक में उन्होंने विजय तेंदुलकर, श्रीराम लागू और अरविंद देशपांडे के साथ मिलकर 'रंगायन' की सह-स्थापना की, जिसने समकालीन और प्रायोगिक रंगमंच को गति दी।
- प्रमुख प्रस्तुतियां: उनके द्वारा निर्देशित प्रमुख और ऐतिहासिक नाटकों में 'बैरिस्टर', 'सखाराम बाइंडर', 'हमीदाबाई की कोठी', 'हयवदन', 'महानिर्वाण', 'पुरुष' और 'वाडा चिरेबंदी' शामिल हैं।

- **सिनेमा में योगदान:** रंगमंच के साथ-साथ उन्होंने कला फिल्मों के क्षेत्र में 'पार्टी' (1984) में अभिनय तथा 'राव साहब' (1986) व 'पेस्टनजी' (1988) जैसी चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया।
- **प्रमुख पुरस्कार:** उन्हें वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 'राव साहब' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा कला एवं रंगमंच में योगदान के लिए 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया था।

अन्य चर्चित व्यक्तित्व (Other Notable Personalities)

पंडवानी लोकगायिका तीजन बाई का निधन



चर्चा में क्यों?

- प्रसिद्ध पंडवानी लोकगायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को लंबी बीमारी के बाद एम्स रायपुर में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- **व्यक्तिगत परिचय:** उनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के गनियारी (दुर्ग ज़िला) गांव में हुआ था।

- **ऐतिहासिक सम्मान:** वे छत्तीसगढ़ राज्य से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों (पद्म श्री से पद्म विभूषण तक) को प्राप्त करने वाली और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली राज्य की पहली महिला विभूति थीं।
- **कला की शिक्षा:** उन्होंने अपने नाना बृजलाल पारधी से प्रेरणा और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर मात्र 13 वर्ष की आयु से पंडवानी का सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शन शुरू किया था।

- **पंडवानी शैली:** यह छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक लोकगायन शैली है, जिसमें संगीत, कथावाचन और नाटकीय अभिनय के माध्यम से महाभारत की कथाओं का जीवंत वर्णन किया जाता है, जिसकी मुख्य धारा 'कापालिक' शैली में वे खड़ी होकर प्रस्तुति देती थीं।
- **प्रमुख पुरस्कार:** उन्हें अपने कलात्मक योगदान के लिए पद्म श्री (1988), संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1996), पद्म भूषण (2003) और पद्म विभूषण (2019) से अलंकृत किया गया था।

अन्य चर्चित व्यक्तित्व (Other Notable Personalities)

दक्षिण भारत की स्वर कोकिला एस. जानकी का निधन



चर्चा में क्यों?

- दक्षिण भारत की महान पार्श्व गायिका और "दक्षिण भारत की कोकिला" के नाम से प्रसिद्ध एस. जानकी का 11 जुलाई 2026 को 88 वर्ष की आयु में मैसूर, कर्नाटक में निधन हो गया।
- **पूर्ण नाम एवं उपनाम:** उनका पूरा नाम सिस्टला श्रीराममूर्ति जानकी था, जिन्हें प्यार से 'जानकी अम्मा' और "अभिव्यक्ति तथा स्वर-संयोजन की रानी" भी कहा जाता था।

- **करियर:** उनका शानदार पार्श्व गायन करियर 1957 से 2017 तक छह दशकों से अधिक समय तक लगातार सक्रिय रहा।
- **विशाल गीत संग्रह:** उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, ओड़िया, बांग्ला और उर्दू सहित लगभग 20 भारतीय भाषाओं में 48,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी।
- **करियर की शुरुआत:** उन्होंने अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत वर्ष 1957 में तमिल फिल्म 'विधियिन विलायट्टु' तथा उसी वर्ष मलयालम फिल्मों से की थी।
- **प्रमुख पुरस्कार:** उन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चार बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी



चर्चा में क्यों?

- कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के 12 जुलाई 2026 को 74 वर्ष की आयु में हुए निधन के कारण उन्हें विशेष रूप से स्मरण किया गया, जिनके सम्मान में भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को राजकीय शोक घोषित किया था।
- **निधन एवं राजकीय सम्मान:** 12 जुलाई 2026 को उनके निधन के उपरांत भारत सरकार ने उनके सम्मान में 13 जुलाई 2026 को राजकीय शोक की घोषणा की थी।

- **कार्यकाल और उत्तराधिकार:** उन्होंने 1995 से 2013 तक (18 वर्ष) शासन किया और 2013 में स्वेच्छा से सत्ता अपने पुत्र और वर्तमान अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी थी।
- **ऊर्जा संसाधनों का विकास:** उनके शासनकाल में कतर ने दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों (नार्थ फील्ड) का दोहन शुरू किया, जिससे देश दुनिया का अग्रणी एलएनजी (LNG) निर्यातक बना।

- **अल जज़ीरा की स्थापना:** वर्ष 1996 में उनके कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध उपग्रह टेलीविजन चैनल 'अल जज़ीरा' की शुरुआत हुई, जिसने वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र पत्रकारिता को एक नई दिशा दी।
- **आधुनिक कतर के निर्माता:** उन्हें व्यापक रूप से 'आधुनिक कतर देश को गढ़ने वाले व्यक्ति' के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने देश की आर्थिक और बुनियादी संरचना का कायापलट किया।

अन्य चर्चित व्यक्तित्व (Other Notable Personalities)

मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंड्रु मुंटेनु ने दिया
इस्तीफा



चर्चा में क्यों?

- 3 जुलाई 2026 को पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंड्रु मुंटेनु ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप देश की पूरी कैबिनेट भंग हो गई है।
- **इस्तीफा और कैबिनेट भंग:** प्रधानमंत्री मुंटेनु के अपने सिद्धांतों और विश्वासों का हवाला देते हुए दिए गए त्यागपत्र को राष्ट्रपति माइया सांडू ने स्वीकार कर लिया है।

- **कार्यवाहक व्यवस्था:** नई सरकार के गठन और विधिवत प्रक्रिया पूरी होने तक अलेक्जेंड्रु मुंटेनु कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।
- **राजनीतिक पृष्ठभूमि:** मुंटेनु को नवंबर 2025 में यूरोपीय समर्थक 'पार्टी ऑफ एक्शन एंड सॉलिडैरिटी' (PAS) द्वारा संसदीय चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।
- **संवैधानिक प्रावधान:** मोल्दोवा के संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री के इस्तीफे से पूरी सरकार स्वतः भंग मान ली जाती है, और राष्ट्रपति संसद के विभिन्न दलों से परामर्श के बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगी।
- **भौगोलिक स्थिति:** मोल्दोवा एक लैंडलॉक (भू-आबद्ध) देश है जो पश्चिम में रोमानिया तथा उत्तर, पूर्व व दक्षिण में यूक्रेन से घिरा हुआ है।

खेल (SPORTS)

2026 फीफा पुरुष विश्व कप और स्पेन की ऐतिहासिक जीत



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में स्पेन ने न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में अतिरिक्त समय के बाद गत विजेता अर्जेंटीना को 1–0 से पराजित कर अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीत लिया है।

2026 फीफा विश्व कप से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु:

- **आयोजक देश:** यह पहला अवसर था जब तीन देशों— संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की।

- **नया प्रारूप:** इस 23वें संस्करण में पहली बार 32 के बजाय 48 टीमों ने भाग लिया, जिसके तहत कुल 104 मैच खेले गए।
- **विजेता व उपविजेता:** स्पेन (विजेता) और अर्जेंटीना (उपविजेता)। मैच का एकमात्र विजयी गोल 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने दागा।

प्रमुख पुरस्कार:

- गोल्डन बॉल: रोड्री (स्पेन)
- गोल्डन बूट: किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस), जो लगातार दो विश्व कप में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।
- गोल्डन ग्लव: उनाई सिमोन (स्पेन)
- फीफा यंग प्लेयर: पाउ कुबार्सी (स्पेन)
- इस शानदार जीत के साथ स्पेन आधुनिक फुटबॉल इतिहास में 'डबल क्राउन' हासिल करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बन गया है, जिसके पास पुरुष फीफा विश्व कप और महिला फीफा विश्व कप—दोनों के खिताब एक साथ हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

- फीफा (FIFA) की स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है; वहीं पहला पुरुष फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था।

खेल (SPORTS)

आईसीसी महिला टी-20 क्रिकेट विश्व कप 2026



चर्चा में क्यों?

- आईसीसी महिला टी-20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड और वेल्स में किया गया, जिसके फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपना सातवां खिताब जीता है।

प्रमुख तथ्य:

- संस्करण व अवधि:** यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण था, जो 12 जून से 5 जुलाई 2026 के बीच आयोजित हुआ।

- **मेजबान देश:** इंग्लैंड और वेल्स (फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन में खेला गया)।
- **टीमें:** इस संस्करण में पहली बार टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 12 की गई, जिसमें नीदरलैंड ने पहली बार भाग लिया।
- **विजेता व उपविजेता:** ऑस्ट्रेलिया (विजेता) और इंग्लैंड (उपविजेता)।

- **प्रमुख आंकड़े:** प्लेयर ऑफ द फाइनल और सीरीज बैथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) रहीं, जबकि सर्वाधिक विकेट श्री चरणी (भारत - 14 विकेट) ने लिए।
- **ओलंपिक 2028 क्वालीफिकेशन:** विभिन्न महाद्वीपों से शीर्ष स्थान पाने वाली टीमों (दक्षिण अफ्रीका, भारत, ग्रेट ब्रिटेन/इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया) ने 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्रिकेट के लिए सीधे क्वालीफाई किया है।

खेल (SPORTS)

22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026



चर्चा में क्यों?

- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 14 जुलाई 2026 को इस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर 'मयूर' का अनावरण किया गया था, और इसका आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संपन्न हुआ।

संबंधित बिन्दु:

- **आयोजक:** दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया।
- **शुभंकर (Mascot):** मयूर (भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित, जो ऊर्जा और खेल भावना का प्रतीक है)।
- **सहभागिता:** इसमें 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
- **भारतीय प्रदर्शन:** भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों के टीम खिताब जीते तथा प्रतियोगिता में कुल 16 पदक हासिल किए।

खेल (SPORTS)

विंबलडन चैंपियनशिप 2026: पुरुष एवं महिला एकल



चर्चा में क्यों?

- वर्ष 2026 के विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब इटली के यानिक सिनर ने और महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने अपने नाम किया है।

प्रमुख बिन्दु:

- **पुरुष एकल विजेता:** यानिक सिनर (इटली), जिन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता। यह उनके करियर का पाँचवाँ ग्रैंड स्लैम था।

- **उपलब्धि:** सिनर के करियर का यह पाँचवाँ ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। वर्ष 2026 के इस संस्करण में जर्मनी के ज्वेरेव 1991 के बाद विंबलडन पुरुष एकल जीतने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बनने से चूक गए, हालांकि इस प्रदर्शन के बाद वे ATP रैंकिंग में विश्व नंबर-2 पर पहुँच गए।
- **महिला एकल विजेता:** लिंडा नोस्कोवा (चेक गणराज्य), जिन्होंने फाइनल में अपनी हमवतन कैरोलिना मुचोवा को हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता।
- **उपलब्धि:** यह मुकाबला ओपन युग के इतिहास में पहला 'ऑल-चेक' विंबलडन महिला फाइनल था।

विंबलडन के बारे में

- **परिचय:** यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी।
- **आयोजन स्थल:** यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रारंभ तक लंदन स्थित ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोके क्लब में आयोजित की जाती है।
- **कोर्ट की सतह:** यह एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो घास के कोर्ट पर खेला जाता है।

- **ड्रेस कोड:** इस टूर्नामेंट की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए मुख्यतः सफेद परिधान पहनना अनिवार्य होता है।
- **ग्रैंड स्लैम:** विंबलडन टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। अन्य तीन हैं—ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन।
- **प्रमुख श्रेणियाँ:** इसमें मुख्य रूप से पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले खेले जाते हैं। पुरुष एकल विजेता को 'चैलेंजर कप' प्रदान किया जाता है।

खेल (SPORTS)

20वें एशियाई खेल (Asian Games) 2026



चर्चा में क्यों?

- 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के आएंची प्रान्त और उसके प्रमुख शहर नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक किया जाना है, जो महाद्वीपीय बहु-खेल प्रतियोगिता के इतिहास में तीसरा अवसर है जब जापान इसकी मेजबानी कर रहा है।
- **मेजबान शहर और तिथियाँ:** इन खेलों का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के मध्य जापान के आएंची और नागोया शहरों में होगा।
- **आधिकारिक आदर्श वाक्य (Motto):** इन खेलों का आदर्श वाक्य "Imagine One Asia" (एक एशिया की कल्पना) रखा गया है।

- **शुभंकर (Mascot):** इसका आधिकारिक शुभंकर 'होणोहोण' है, जो नागोया किले के पौराणिक 'शाचिकोकू' (मछली-बाघ) से प्रेरित है।
- **प्रमुख नए खेल:** इस संस्करण में मिक्स्ट मार्शल आर्ट्स की आधिकारिक शुरुआत होगी, जबकि क्रिकेट को खेल कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से बनाए रखा गया है।
- **जापान द्वारा पूर्व मेजबानी:** इससे पहले जापान ने वर्ष 1958 (टोक्यो) और वर्ष 1994 (हिरोशिमा) में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी।

- **पिछला संस्करण:** इसका 19वां संस्करण वर्ष 2022 में हांगजो, चीन में आयोजित होना था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर वर्ष 2023 में कराया गया था, जहां भारत ने पहली बार 100 से अधिक पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** एशियाई खेलों की शुरुआत स्वतंत्र भारत की राजधानी नई दिल्ली में वर्ष 1951 में हुई थी, और ओलंपिक परिषद (OCA) इनका संचालन करती है।

खेल (SPORTS)

पहली एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026



चर्चा में क्यों?

- ओडोस, चीन में 9 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित पहली एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया।
- **ऐतिहासिक शुरुआत:** प्रतियोगिता के पहले दिन ही मिश्रित 4x400 मीटर रिले टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।

प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता:

- श्रावणी सचिन सांगले (400 मीटर हर्डल्स एवं रिले)
- आनंद सिंह (भाला फेंक)
- महिला 4x400 मीटर रिले टीम
- **कुल पदक विवरण:** भारत ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में कुल 16 पदक (3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य) अपने नाम किए।
- **पदक तालिका की स्थिति:** इस प्रतियोगिता में मेजबान चीन पहले स्थान पर, जापान दूसरे और उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा, जबकि भारत चौथे स्थान पर काबिज रहा।

खेल (SPORTS)

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (खेलो भारत नीति 2025)



Khelo Bharat Niti

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 को प्रतिस्थापित करते हुए 'राष्ट्रीय खेल नीति 2025' (जिसे आधिकारिक तौर पर "खेलो भारत नीति 2025" कहा गया है) को मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है।

मुख्य विवरण:

- नीति का स्वरूप: यह नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करना है।

पाँच मुख्य स्तंभ:

- **वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता:** जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक खेल कार्यक्रमों को मजबूत करना और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रशासन में सुधार करना।
- **आर्थिक विकास:** खेल पर्यटन, स्टार्ट-अप्स, उद्यमिता और नवाचार के माध्यम से खेलों की आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देना।
- **सामाजिक विकास:** महिलाओं और कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना।

- **एक जन आंदोलन के रूप में खेल:** आम जनता की भागीदारी और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए खेल सुविधाओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकरण:** खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।

- **रणनीतिक फ्रेमवर्क:** खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक मजबूत विनियामक प्रणाली, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से निजी वित्त-पोषण, तथा AI व डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
- **संवैधानिक और संस्थागत स्थिति:** संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत खेल 'राज्य सूची' का विषय हैं, तथा इसका संचालन 'युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय' के अधीन होता है।

- **प्रमुख ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति वर्ष 1984 में लागू की गई थी, और खेल विभाग के अंतर्गत 'भारतीय खेल प्राधिकरण' (SAI) की स्थापना 1984 (सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत) में हुई थी।
- **प्रमुख सरकारी पहलें:** देश में खेल संस्कृति और प्रतिभाओं को निखारने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS, 2014), खेलो इंडिया (2017) और फिट इंडिया मूवमेंट (2019) जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

खेल (SPORTS)

पीवी सिंधु बनीं जापान ओपन 2026 जीतने वाली
पहली भारतीय



चर्चा में क्यों?

- पीवी सिंधु ने जापान की तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची को सीधे गेमों में हराकर जापान ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है और यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई हैं।
- **फाइनल मुकाबला:** सिंधु ने महिला एकल के खिताबी मुकाबले में अकाने यामागुची को पराजित किया।
- **उपलब्धि:** वर्ष 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद से यह सिंधु का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब है।

- **पिछला खिताब:** उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय खिताब सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 में आया था।
- **ओलंपिक पदक:** पीवी सिंधु दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में रजत और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था।
- अकाने यामागुची अपने करियर का छठा जापान ओपन फाइनल खेल रही थीं, जिन्हें हराकर सिंधु ने यह नया इतिहास रचा है।

पुरस्कार (Award)

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा



चर्चा में क्यों?

- नई दिल्ली में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें हिंदी फिल्म 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है।
- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म:** 'आर्टिकल 370'
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता:** ममूटी (फिल्म 'ब्रह्मयुगम') और कार्तिक आर्यन (फिल्म 'चंदू चैंपियन')

- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री:** यामी गौतम को (फिल्म 'आर्टिकल 370')
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशन:** आनंद एल राय (फिल्म 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी-एकता का प्रतीक' के लिए)
- **गैर-फीचर फिल्म:** सुमीरा रॉय द्वारा निर्देशित 'भंगार' को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, जबकि मराठी फिल्म 'हमसफर' को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म चुना गया है।
- **सिनेमा पर लेखन और समीक्षा:** सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को तथा सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार के प्रदीप कुमार शेड्डी को उनकी कन्नड़ पुस्तक के लिए प्रदान किया जाएगा।

पुरस्कार (Award)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च
नागरिक सम्मान से सम्मानित



चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जकार्ता की यात्रा के दौरान भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने में उनके योगदान के लिए इंडोनेशिया गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंतांग आदिपूर्णा' से सम्मानित किया गया है।

मुख्य विवरण :

- **ऐतिहासिक सम्मान:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू (जिन्हें 1995 में सम्मानित किया गया था) के बाद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

- **समझौता ज्ञापन (MoU):** इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, इस्पात, समुद्री सहयोग और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में समझौतों का आदान-प्रदान किया।
- **शैक्षणिक सहयोग:** दोनों पक्षों के मध्य जकार्ता में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बंगलूरु के एक शाखा परिसर की स्थापना करने पर सहमति बनी है।

पुरस्कार (Award)

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित



चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुणे में आयोजित एक समारोह में 'लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026' से सम्मानित किया गया है।

पुरस्कार से संबंधित मुख्य बातें

- सम्मानित व्यक्ति: अजीत डोभाल (भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार - NSA)।

- **प्रदाता:** केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह।
- **आयोजन स्थल:** पुणे, महाराष्ट्र।
- **तिथि:** 1 अगस्त 2026 (लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि)।
- **संस्था:** यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है।
- **पुरस्कार राशि व सामग्री:** इसमें एक प्रतीक चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र, पुणेरी पगड़ी और 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है।

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में

- **स्थापना:** इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा की गई थी।
- **उद्देश्य:** यह पुरस्कार ऐसे असाधारण व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति, विकास और राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अजीत डोभाल का परिचय

- **कार्यकाल:** वह भारत के वर्तमान और देश के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में से एक हैं।
- **पूर्व सेवा:** वह केरल कैडर के 1968-बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के निदेशक भी रह चुके हैं।
- **उपलब्धियां:** उन्हें आतंकवाद-विरोधी अभियानों, गुप्त मिशनों और देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। उन्हें पूर्व में देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक 'कीर्ति चक्र' से भी सम्मानित किया जा चुका है।

पुरस्कार (Award)

खगोल भौतिकीविद् अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित
'COSPAR विक्रम साराभाई पदक 2026' से सम्मानित



चर्चा में क्यों?

- प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद् और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को इटली के फ्लोरेंस में आयोजित 46वीं कॉस्पार वैज्ञानिक सभा के दौरान वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित 'COSPAR विक्रम साराभाई पदक' से सम्मानित किया गया है।
- **ऐतिहासिक उपलब्धि:** प्रो. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला और कुल चौथी भारतीय बन गई हैं।

- **प्रदानकर्ता:** यह पदक अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (COSPAR) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है।
- **संस्थापना:** इस द्विवार्षिक पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1990 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई की स्मृति में की गई थी।

- **शोध योगदान:** यह सम्मान उन्हें तारकीय जनसंख्या (Stellar Populations), आकाशगंगा विकास और भारत के पहले स्पेस टेलीस्कोप 'एस्ट्रोसैट' पर अल्ट्रा-वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया गया है।
- **पूर्व भारतीय विजेता:** उनसे पहले यह पदक यू.आर. राव (1996), गुरबक्स सिंह लखीना (2014) और अनिल भारद्वाज (2024) को मिल चुका है।

पुरस्कार (Award)

ICMR-MINDS को ई-गवर्नेंस 2026 के लिए नेशनल अवार्ड्स
में मिला गोल्ड अवार्ड



चर्चा में क्यों?

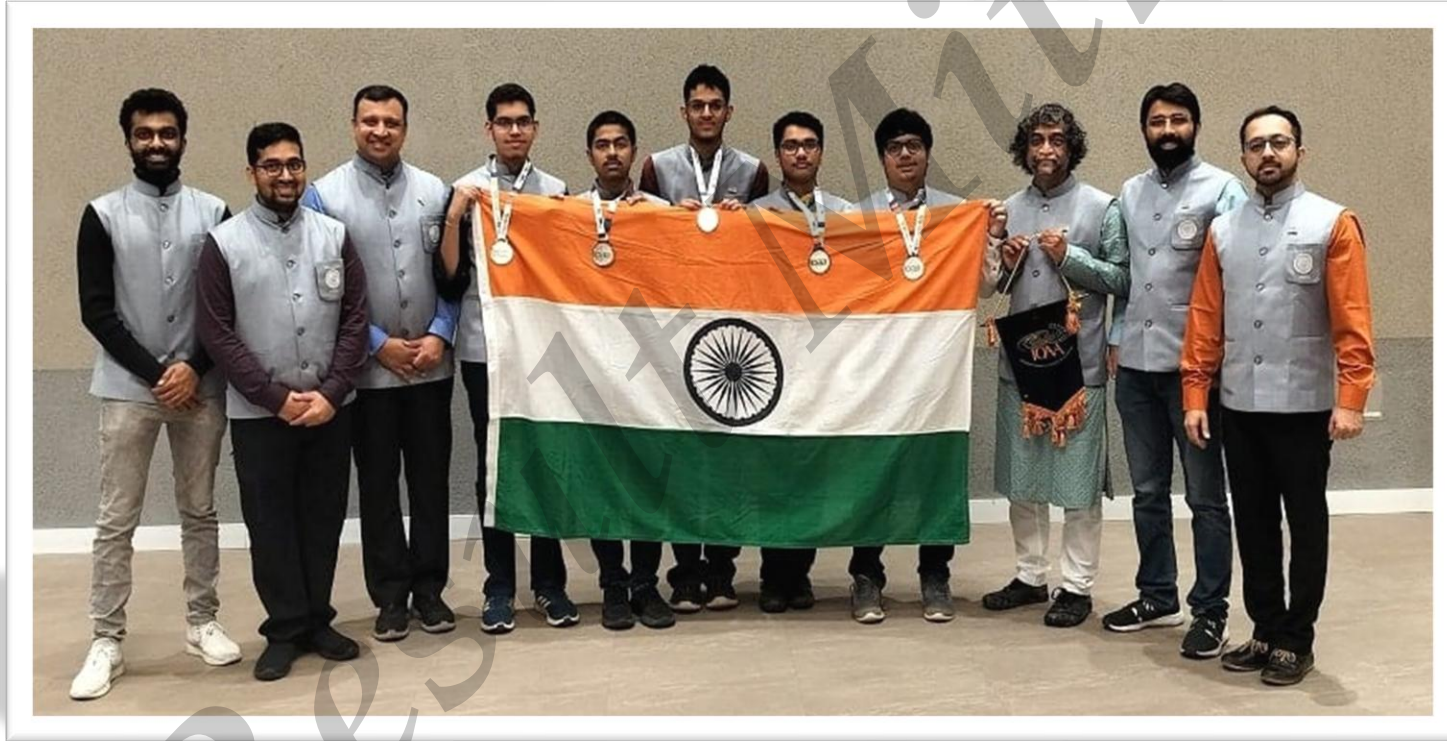
- इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च की पहल ICMR-MINDS ने नेशनल अवार्ड्स फॉर ई-गवर्नेंस 2026 में 'सिटिज़न-सेंट्रिक सर्विसेज़' श्रेणी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभिनव उपयोग के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड जीता है।
- **प्रदानकर्ता निकाय:** यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित 29वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के दौरान प्रदान किया गया।

- **तकनीकी विशेषता:** यह प्लेटफॉर्म फ्रंटलाइन हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को मानसिक स्वास्थ्य सेवा देने में सहायता हेतु AI-आधारित क्लिनिकल डिजीजन सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करता है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा विशेषज्ञों पर निर्भरता कम करना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाना और जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त करना है।

- **कार्यान्वयन:** यह प्रोजेक्ट वर्तमान में सात राज्यों में संबंधित राज्य के स्वास्थ्य विभागों और सहयोगी संस्थानों की साझेदारी के साथ लागू किया जा रहा है।
- **आईसीएमआर का परिचय:** इसकी स्थापना 1911 में 'इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन' के रूप में हुई थी, जिसे 1949 में वर्तमान नाम दिया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

पुरस्कार (Award)

अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय टीम ने
पांच स्वर्ण पदक जीते



चर्चा में क्यों?

- कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारतीय दल के सभी 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीतकर चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

प्रदर्शन एवं उपलब्धि:

- भारतीय दल का 100% सफलता दर रहा, जिसमें सभी 5 प्रतिभागियों कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी ने स्वर्ण पदक जीते।

- वर्ष 2018 के बाद यह दूसरा अवसर है जब भारत के सभी 5 सदस्यों ने IPhO में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं।
- 87 देशों के 381 छात्रों के बीच भारत संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहा।

संस्थागत एवं नोडल एजेंसी:

- होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE): यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) का एक राष्ट्रीय केंद्र है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अंतर्गत आता है।
- HBCSE भारत में विज्ञान और गणित के लिए राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रमों के समन्वय, चयन और प्रशिक्षण का संचालन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के बारे में:

- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत वर्ष 1967 में हुई थी। यह माध्यमिक स्तर के स्कूली छात्रों के लिए आयोजित एक वार्षिक वैश्विक प्रतियोगिता है।
- **संरचना:** इसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार की परीक्षाएँ शामिल होती हैं।

पुरस्कार (Award)

भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026
में चार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास



चर्चा में क्यों?

- ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारतीय दल ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए चारों स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी देश के सभी प्रतिभागियों ने इस वैश्विक रसायन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं।
- **आयोजन स्थल और तिथि:** यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 10 से 19 जुलाई 2026 तक ताशकंद, उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई।

स्वर्ण पदक विजेता और उनके गृह राज्य:

- देबादत्ता प्रियदर्शी (ओडिशा): स्वर्ण पदक
- हर्षित सिंगला (पंजाब): स्वर्ण पदक
- कबीर चिल्लर (दिल्ली): स्वर्ण पदक
- संदीप कुची (तेलंगाना): स्वर्ण पदक
- **वैश्विक भागीदारी:** इस अब तक के सबसे बड़े संस्करण में 93 देशों के 363 मेधावी छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत ने चीन, वियतनाम और रूस (ग्रुप बी) के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान साझा किया।
- **अतिरिक्त जानकारी:** अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 27वीं बार हिस्सा लिया है, और इस वर्ष सभी प्रतिभागियों द्वारा स्वर्ण पदक जीतना देश के विज्ञान इतिहास में एक मील का पत्थर है।

पुरस्कार (Award)

भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में
चार पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया



चर्चा में क्यों?

- विल्नीयस, लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड (IBO) 2026 में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और तीन रजत पदक हासिल किए हैं, जिसमें भाग लेने वाले सभी चारों भारतीय विद्यार्थियों ने पदक जीते हैं।
- **आयोजन स्थल और तिथि:** यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 12 से 19 जुलाई 2026 तक विल्नीयस, लिथुआनिया में संपन्न हुई।

पदक विजेता और उनके गृह राज्य:

- भव्य गुनवाल (महेन्द्रगढ़, हरियाणा): स्वर्ण पदक
- सौमिल मैती (हावड़ा, पश्चिम बंगाल): रजत पदक
- निशित कलानी (पाली, राजस्थान): रजत पदक
- अनमोल कुमार (मानसा, पंजाब): रजत पदक
- **वैश्विक भागीदारी:** इस प्रतियोगिता में कुल 78 देशों के 307 मेधावी छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल 31 स्वर्ण, 61 रजत और 91 कांस्य पदक प्रदान किए गए।
- **अतिरिक्त जानकारी:** भारत ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में कुल 26 बार हिस्सा लिया है, जिसमें अब तक कुल 17 स्वर्ण, 69 रजत और 17 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं।

पुरस्कार (Award)

दूरसंचार विभाग की 'समृद्ध ग्राम' परियोजना को WSIS
पुरस्कार 2026 में वैश्विक विजेता का खिताब



चर्चा में क्यों?

- संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग की प्रमुख पहल 'समृद्ध ग्राम: भारतनेट समर्थित एकीकृत फिजीटल सेवा वितरण मॉडल' ने 9 जुलाई 2026 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS Forum 2026 के दौरान 'एनेबलिंग एनवायरनमेंट' श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार 2026 का वैश्विक विजेता (Global Winner) खिताब जीत लिया है।
- **घोषणा एवं आयोजन स्थल:** इस पुरस्कार की घोषणा 9 जुलाई 2026 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में की गई।

- **श्रेणी एवं पुरस्कार:** यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा समर्थित 'एक्शन लाइन C6 - सक्षम वातावरण' के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
- **परियोजना का मुख्य उद्देश्य:** यह पहल भारतनेट फाइबर कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए ग्राम-स्तरीय समृद्धि केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, डिजिटल बैंकिंग, ई-शासन, कौशल विकास और आजीविका सेवाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत करती है।

- **फिजीटल मॉडल:** यह मॉडल डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति को ग्राम स्तर पर भौतिक सेवा वितरण के भरोसे और सुलभता के साथ जोड़ता है।
- **अतिरिक्त जानकारी:** 'वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी' (WSIS) पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करने वाली वैश्विक स्तर की सबसे प्रतिष्ठित पहलों में गिने जाते हैं।

पुरस्कार (Award)

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर 'बुखमैन अंतर्राष्ट्रीय
बुकर पुरस्कार' हुआ



चर्चा में क्यों?

- वर्ष 2027 से 'अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार' का आधिकारिक नाम बदलकर 'बुखमैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार' कर दिया गया है। बुखमैन फिलेन्थ्रोपीज़ के साथ एक दशक के नए वित्तपोषण समझौते के तहत पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया गया है।
- **नया नाम और प्रायोजक:** बुकर प्राइज फाउंडेशन और बुखमैन फिलेन्थ्रोपीज़ (डारिया बुखमैन और दिमित्री बुखमैन द्वारा स्थापित) के बीच 2027 से 2036 तक के लिए 10 साल का फंडिंग समझौता हुआ है।

- **दोगुनी पुरस्कार राशि:** वर्ष 2027 से विजेता को मिलने वाली पुरस्कार राशि दोगुनी होकर £100,000 (लगभग ₹1.28 करोड़) हो जाएगी, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।
- **शॉर्टलिस्टेड किताबें:** शॉर्टलिस्ट होने वाली प्रत्येक पुस्तक के लिए £5,000 की राशि भी लेखक और अनुवादक में बराबर बांटी जाएगी।

पुरस्कार का विकास क्रम:

- **2005:** 'मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज' के रूप में शुरुआत (द्विवार्षिक)।
- **2016:** अनुवादित कथा साहित्य के लिए वार्षिक पुरस्कार के रूप में पुनर्गठन।
- **2019:** 'अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार' नामकरण।
- **2027:** 'बुखमैन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार' के रूप में नया स्वरूप।

- **2027 की चयन समिति (ज्यूरी):** प्रसिद्ध उपन्यासकार केटी कितामुरा 2027 के निर्णायक मंडल की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें पैट्रिक मैकगुइनेस, कालेब अजुमा नेल्सन, ओल्गा रावन और टेसा थॉम्पसन जैसे प्रख्यात सदस्य शामिल हैं।
- **पात्रता (Eligibility):** वर्ष 2027 के पुरस्कार के लिए ऐसी पुस्तकें पात्र होंगी जो उपन्यास या लघु कथा संग्रह हों, अंग्रेजी में अनूदित हों, तथा 1 मई 2026 से 30 अप्रैल 2027 के बीच यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हों।

पुरस्कार (Award)

अमेरिकी फिल्म निर्माता जेम्स ग्रे को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल
में 'ऑनररी करियर पाडों' पुरस्कार



चर्चा में क्यों?

- प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्माता जेम्स ग्रे को 9 अगस्त 2026 को 79वें लोकानो फिल्म फेस्टिवल में वैश्विक सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और भावनात्मक रूप से समृद्ध फिल्मों के लिए प्रतिष्ठित 'पार्डो अल्लान कैरियरा' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मुख्य बिन्दु :

- **सम्मान एवं तिथि:** यह लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 9 अगस्त 2026 को यूरोप के सबसे बड़े ओपन-एयर सिनेमा में से एक, पियाज़ा ग्रांडे, लोकानो (स्विट्जरलैंड) में प्रदान किया गया।

- **फेस्टिवल की अवधि:** 79वां लोकानो फिल्म फेस्टिवल 5 से 15 अगस्त 2026 तक आयोजित किया गया, जो यूरोप के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है।
- **नवीनतम फिल्म का प्रदर्शन:** इस अवसर पर उनकी नवीनतम फिल्म 'पेपर टाइगर' का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एडम ड्राइवर, स्कारलेट जोहानसन और माइल्स टेलर मुख्य भूमिकाओं में हैं।
- **प्रमुख फिल्में:** जेम्स ग्रे को 'लिटिल ओडेसा' (1994), 'वी ओन द नाइट' (2007), 'टू लवर्स' (2008), 'द इमिग्रेंट' (2013), 'द लॉस्ट सिटी ऑफ़ ज़ेड' (2016) और 'एड एस्ट्रा' (2019) जैसी शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है।

- **पुरस्कार का महत्व:** 'पाडों अल्लान कैरियरा' लोकानों फिल्म फेस्टिवल का एक प्रमुख मानद पुरस्कार है, जो उन फिल्म निर्माताओं को सम्मानित करता है जिनके काम ने विश्व सिनेमा को गहराई से प्रभावित किया है (पिछले प्राप्तकर्ताओं में ब्रूनो गंज, क्लौडिया कार्डिनाले, शाहरुख खान और जैकी चैन आदि शामिल हैं)।

पुरस्कार (Award)

प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर. वैरामुथु को
60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार



चर्चा में क्यों?

- प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर. वैरामुथु को वर्ष 2025 के लिए देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक और मुख्य रूप से कविता के क्षेत्र में यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले तमिल कवि हैं।
- **पुरस्कार प्रदानकर्ता:** यह प्रतिष्ठित पुरस्कार डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया।

- **ऐतिहासिक मील का पत्थर:** वैरामुथु से पहले यह सम्मान केवल अखिलन (1975) और जयकांतन (2002) को मिला था, और इस पुरस्कार के साथ तमिल साहित्य के लिए 24 साल का अंतराल (सूखा) समाप्त हुआ है।
- **पुरस्कार सामग्री:** इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपये की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी (माता सरस्वती) की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है।

साहित्यिक सफर एवं कृतियां:

- उन्होंने फिल्मों के लिए 7,500 से अधिक गाने लिखे हैं और उन्हें सात बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है।

- उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'कल्लिकाट्टू इतिहासम' के लिए उन्हें वर्ष 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- उनके साहित्य में ग्रामीण जीवन, मानवीय भावनाएं, प्रकृति और सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना की गहरी छाप देखने को मिलती है।
- **पूर्व राष्ट्रीय सम्मान:** उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म श्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया जा चुका है।
- **ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में:** वर्ष 1961 में स्थापित 'भारतीय ज्ञानपीठ' द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य में आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है।

पुरस्कार (Award)

आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी को 'उस्ताद
बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025'



चर्चा में क्यों?

- संगीत नाटक अकादमी (केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय) ने अहमदाबाद के 32 वर्षीय आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी को 550 साल पुरानी 'पुष्टिमार्ग हवेली संगीत' परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025' के लिए चुना है।
- **पुरस्कार का विवरण:** 'उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार' संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत, नृत्य और नाटक जैसे प्रदर्शन कला क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा कलाकारों को दिया जाने वाला देश का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मान है।

- **हवेली संगीत परंपरा:** यह लगभग 550 साल पुरानी शास्त्रीय भक्ति संगीत शैली है, जो दैनिक अनुष्ठानों, ऋतुओं और त्योहारों से जुड़ी होती है, जिसमें गायन और संगीत को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है।
- **व्यक्तिगत पृष्ठभूमि:** आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी अहमदाबाद के कालूपुर (दोषीवाड़ा नी पोल) स्थित ऐतिहासिक गोस्वाम हवेली के 16वीं पीढ़ी के आचार्य हैं, जो पुष्टिमार्ग परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है।

विशिष्ट योगदान:

- उन्होंने ब्रजभाषा, गुजराती, संस्कृत, चारणी, मेवाड़ी और मारवाड़ी जैसी विभिन्न भाषाओं में 22,000 से अधिक भक्ति पद और रचनाएँ रची हैं।
- उन्होंने 8 पुस्तकें लिखी हैं तथा गुजरात विश्वविद्यालय के 'उपासना स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स' से स्नातकोत्तर और एम.फिल करने के बाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हवेली संगीत के विकास में अकादमिक विशेषज्ञ के रूप में योगदान दिया है।

पुरस्कार (Award)

सुनील भारती मित्तल को 2026 USISPF लीडरशिप
अवार्ड से सम्मानित किया गया



चर्चा में क्यों?

- भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और भारत के टेलिकॉम क्षेत्र को बदलने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित 9वें USISPF वार्षिक लीडरशिप समिट में 2026 USISPF लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- **सम्मान एवं आयोजन:** यह पुरस्कार अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम (USISPF) द्वारा वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया।

- **सम्मान का उद्देश्य:** यह पुरस्कार उन वैश्विक व्यापारिक नेताओं को दिया जाता है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में असाधारण योगदान देते हैं।
- **अन्य पुरस्कार विजेता:** इस वर्ष सुनील भारती मित्तल के साथ-साथ RTX के चेयरमैन एवं सीईओ क्रिस्टोफर टी. कैलियो और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के चेयरमैन एवं सीईओ वी. प्रेम वात्साम को भी इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया।
- **USISPF के बारे में:** यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारों और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करता है।

चर्चा में क्यों?

- भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और भारत के टेलिकॉम क्षेत्र को बदलने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित 9वें USISPF वार्षिक लीडरशिप समिट में 2026 USISPF लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- **सम्मान एवं आयोजन:** यह पुरस्कार अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम (USISPF) द्वारा वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया।

जुलाई 2026: महत्वपूर्ण दिवस

जुलाई 2026: महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	दिवस का नाम	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
1 जुलाई	राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस	भारत में डॉक्टरों के योगदान को सम्मान देने और डॉ. बिधान चंद्र राय की जन्म व पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में।
1 जुलाई	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस	1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की स्थापना की याद में।
2 जुलाई	विश्व खेल पत्रकार दिवस	अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना की वर्षगांठ।
2 जुलाई	विश्व यूएफओ (UFO) दिवस	रोजवेल घटना की याद में और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के प्रति जागरूकता।
3 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस	एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु।
4 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस	जुलाई के पहले शनिवार को मनाया गया (सहकारी संस्थाओं के योगदान हेतु)।
6 जुलाई	विश्व जूनोसिस दिवस	लुई पास्चर द्वारा रेबीज के टीके के सफल प्रशासन (1885) की याद में (पशुओं से इंसानों में फैलने वाले रोग)।

दिनांक	दिवस का नाम	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
6 जुलाई	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती	महान राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद् की जन्म जयंती ।
7 जुलाई	विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस	यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अफ्रीकी भाषा और उसके प्रसार हेतु।
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस	वैश्विक जनसंख्या वृद्धि, चुनौतियों और उसके सामाजिक प्रभावों के प्रति जागरूकता।
12 जुलाई	विश्व मलाला दिवस	मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर बालिका शिक्षा और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।
15 जुलाई	विश्व युवा कौशल दिवस	युवाओं में रोजगार, उद्यमिता और तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षा के विकास हेतु।
17 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस	अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली और अपराधों के खिलाफ वैश्विक अदालतों के प्रयासों को मान्यता।
18 जुलाई	नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस	दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मानवीय योगदान और शांति संदेश के सम्मान में।
20 जुलाई	विश्व शतरंज दिवस	1924 में पेरिस में FIDE की स्थापना और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने हेतु।
20 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस	अपोलो 11 मिशन (1969) के तहत चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग की वर्षगांठ।

दिनांक	दिवस का नाम	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
22 जुलाई	राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस (India)	संविधान सभा द्वारा 1947 में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की स्मृति में।
22 जुलाई	विश्व मस्तिष्क दिवस	मस्तिष्क स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकारों के प्रति जागरूकता (WFN द्वारा स्थापित)।
23 जुलाई	राष्ट्रीय प्रसारण दिवस	भारत में पहले रेडियो प्रसारण (1927) की शुरुआत की याद में।
23 जुलाई	लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जयंती	स्वतंत्रता सेनानी और महान राष्ट्रवादी नेता की जन्म यंती।
26 जुलाई	कारगिल विजय दिवस	1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की विजय और 'ऑपरेशन विजय' की सफलता के 27 वर्ष पूरे होने पर।
28 जुलाई	विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस	प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण हेतु।
28 जुलाई	विश्व हेपेटाइटिस दिवस	हेपेटाइटिस संक्रमण, उसकी रोकथाम, शुरुआती जांच और टीकाकरण के प्रति जागरूकता।
29 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस	बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के वैश्विक प्रयास।
30 जुलाई	विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस	मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा (थीम: Trapped Behind the Scam)।
30 जुलाई	अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस	संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, सद्भाव और मित्रता को बढ़ावा देना।



THANK YOU

RESULT MITRA